

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. II, First Session, 2019/1941 (Saka)
No.14, Thursday, July 04, 2019/Ashadha 13, 1941 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 181 to 187 and 192	12-64
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.188 to 191 and 193 to 200	65-217
Unstarred Question Nos. 2032 to 2261	218-665

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 669-674

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 675

STATEMENT BY MINISTER

Medium of examination for direct recruitment to certain levels in Regional Rural Banks

Shrimati Nirmala Sitharaman 676-677

**MOTION RE: 2ND REPORT OF BUSINESS
ADVISORY COMMITTEE** 678

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Alleged derogatory remarks made against Tamils 690-693

NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS 719

MATTERS UNDER RULE 377 722-744

(i) Regarding battle of Pathorighat in Assam

Shri Dilip Saikia 723

(ii) Need to run Nauchandi Express, Sangam Express and Shuttle trains running between Meerut and Delhi as per scheduled time-table

Shri Rajendra Agrawal 724

- (iii) Need to set up rural branches of Nationalised Banks in Sheohar Parliamentary Constituency, Bihar
- Shrimati Rama Devi 725
- (iv) Need to set up a Mega Food Park in Bettiah in Paschim Champaran Parliamentary Constituency, Bihar
- Dr. Sanjay Jaiswal 726
- (v) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Barwadih in Latehar district of Jharkhand
- Shri Sunil Kumar Singh 727
- (vi) Regarding implementation of Union Government's development schemes by State Governments
- Shri Gopal Shetty 728
- (vii) Need to construct a bridge on Son River between Srinagar in Jharkhand and Paduka in Bihar
- Shri Vishnu Dayal Ram 729
- (viii) Regarding damage caused to crops by stray cattle in Rewa Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
- Shri Janardan Mishra 730

- (ix) Need to establish a Training Centre for Para Military Forces at Madhogarh in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Shri Bhanu Pratap Singh Verma 731
- (x) Regarding wildfire in Uttarakhand
- Shri Tirath Singh Rawat 732
- (xi) Regarding illegal sand mining from Rivers in Aurangabad district of Bihar
- Shri Sushil Kumar Singh 733
- (xii) Need to expedite Wardha-Nagpur broad gauge Metro Rail Project in Maharashtra
- Shri Ramdas Tadas 734
- (xiii) Regarding fast depleting ground water resources in the country
- Dr. Manoj Rajoria 735
- (xiv) Regarding reported drug menace in Delhi
- Shri Parvesh Sahib Singh Verma 736

- (xv) Need to revamp Sant Ravidas Van Vihar Park in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Shri Harish Dwivedi 737
- (xvi) Need to improve tourism infrastructure in Thiruvananthapuram
- Dr. Shashi Tharoor 738
- (xvii) Need to upgrade infrastructure in Tiruvalla Railway Station in Kerala
- Shri Anto Antony 739
- (xviii) Regarding development of Edappilly-Moothakunnam stretch of National Highway 17 (new NH 66) in Kerala
- Shri Hibi Eden 740
- (xix) Need to import Feed Grade Maize for Poultry farmers with Zero duty
- Shri A.K.P. Chinraj 741
- (xx) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Buldhana Parliamentary Constituency, Maharashtra
- Shri Prataprao Jadhav 742

- (xxi) Need to start new academic courses at graduate and post graduate levels in Nava Nalanda Mahavihara, a deemed university in Nalanda, Bihar

Shri Kaushlendra Kumar 743

- (xxii) Need to provide a special package for coastal region of Kerala affected due to sea erosion

Shri N.K. Premachandran 744

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
AADHAR AND OTHER LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019
AND**

AADHAR AND OTHER LAWS (AMENDMENT) BILL, 2019 749-898

Motion to Consider 745-748

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 749-754,
873-874

Shri Ravi Shankar Prasad 745-748,
862-872,
875-876

Shri P.P. Chaudhary 755-762

Dr. D. Ravikumar 763-767

Sushri Mahua Moitra 768-774

Shri Sridhar Kotagiri 775-782

Shri Pinaki Misra 783-789

Shri Ritesh Pandey 790-793

Shri Ajay Misra Teni 794-798

Shrimati Supriya Sadanand Sule	799-803
Shri P.K. Kunhalikutty	804-806
Shri Manoj Tiwari	807-809
Shri Kaushlendra Kumar	810-811
Shri P.R. Natarajan	812-813
Shrimati Anupriya Patel	814-816
Shri Sanjay Kaka Patil	817-820
Shri Manish Tewari	821-828
Dr. Shrikant Eknath Shinde	829-831
Shri M. Selvaraj	832-833
Shri P. Raveendranath Kumar	834-836
Shri Asaduddin Owaisi	837-840
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	841-844
Shri Ramesh Bidhuri	845-847
Shri N.K. Premachandran	848-853
Shri Hanuman Beniwal	854-856
Dr. Thol Thirumaavalavan	857-858
Shri Girish Bhalachandra Bapat	859-860
Clauses 2 to 28 and 1	877-897
Motion to Pass	898

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	899
Member-wise Index to Unstarred Questions	900-903

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	904
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	905

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, July 04, 2019/Ashadha 13, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 181। श्री रामचरण बोहरा।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I have given the notice of adjournment motion. Kindly allow us...(Interruptions). We want a word from you, that is all...(Interruptions). Sir, adjournment motion should be taken up first...(Interruptions).

माननीय अध्यक्ष: आपसे बात हो गई है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको प्रश्न काल के बाद व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, only Baalu ji should be allowed...(Interruptions).

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको प्रश्न काल के बाद व्यवस्था दे रहा हूँ। बालू जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, we have done as you asked us to do...(*Interruptions*). Now, the leaders should be allowed to raise the issue...(*Interruptions*). Please allow the adjournment motion to be discussed...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after Question Hour.

... (*Interruptions*)

11.01 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 181 , श्री रामचरण बोहरा ।

(Q.181)

श्री रामचरण बोहरा : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने बायोगैस संयंत्र पर डिटेल से उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 16वीं लोकसभा में 8 करोड़ महिलाओं को.....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप पिन प्वाइंट क्वेश्चन पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। 8 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हे और सिलेंडर देने का काम किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपने डिटेलवाइज़ पूरा ब्यौरा दिया है, लेकिन इसमें मात्र 1600 रुपये की सब्सिडी देने का काम किया है। दूरदराज एरिया में गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पाते हैं, इससे महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत आती है और लकड़ी काटने से पर्यावरण में दिक्कत रहती है। बायो गैस संयंत्र लगने से चार चीजों का इजाफा होता है- रसोई में खाना बनाने के लिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप जवाब दें। माननीय सदस्य आप केवल प्रश्न पूछें। आप पिन टू प्वाइंट क्वेश्चन पूछिए, भाषण मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह: माननीय अध्यक्ष, सब्सिडी सिर्फ 1600 रुपये नहीं है, सब्सिडी 7,500 रुपये है, इसके अलावा इंस्टालेशन 2500 रुपये है, दस हजार रुपए हो जाते हैं। यह सामान्य क्षेत्र के लिए है। नार्थ-ईस्टर्न रीजन में सब्सिडी और अधिक है। सामान्य क्षेत्र में सब्सिडी की मात्रा आती है, वह करीब 41 प्रतिशत आती है।

नार्मल क्षेत्र में जो बायोगैस संयंत्र लगता है, उसको लगाने में करीब 19 हजार 800 रुपये का मूल्य आता है और हम करीब 10 हजार रुपये सब्सिडी दे रहे हैं।

श्री रामचरण बोहरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि बायोगैस संयंत्र दूर-दराज इलाके में लगेंगे तो इससे तीन-चार चीजों का लाभ होगा। रसोई में महिलाओं को, माताओं को खाना बनाने में आसानी होगी। जो यूरिया और फर्टिलाइजर किसान खेत में देते हैं, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है, लेकिन इससे खाद भी बनता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फसल भी अच्छी होगी और फसल के पैदावार की अच्छी कीमत भी मिलेगी तथा इससे रोशनी भी मिलेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को डबल करने का निर्णय लिया है, यदि संयंत्र को और दूर-दराज क्षेत्रों में लगाएंगे तो इससे किसानों को लाभ मिलेगा, रोशनी मिलेगी और अगर किसान कलस्टर बनाकर बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, तो इससे उनको इनकम भी होगी। यदि इससे युवाओं को जोड़ा जाता है तो युवाओं को भी लाभ मिलेगा।

श्री आर. के. सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही बात कही है। बायोगैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए और ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। हम लोगों ने इसके लिए इस साल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और इस बार

हमारी 76 हजार बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना है। अगर प्रगति अच्छी रही तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले पांच वर्षों में हम लोगों ने 2 लाख 84 हजार 765 बायोगैस संयंत्र लगाए हैं। हम प्रगति करना चाहते हैं और हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रश्न 182 और प्रश्न 187 एक ही नेचर के प्रश्न हैं, अगर सभा की इजाजत हो तो इनको क्लब किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

(Q.182, 187 and 192)

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में इस समय जल संरक्षण की बहुत चर्चा हो रही है। पर्याप्त जल की उपलब्धता रहते हुए भी संकट से पूर्व समाधान की नीति के अनुसार माननीय प्रधान मंत्री जी व जल शक्ति मंत्री जी द्वारा जल संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास व जन जागरूकता के कार्यक्रम की मैं प्रशंसा करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एक अध्ययन के अनुसार यह जानकारी आई है कि हमारे देश में वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चार हजार अरब घन मीटर वर्षा प्रतिवर्ष हमारे देश में होती है, लेकिन उसमें से दो हजार नौ सौ अरब घन मीटर वर्षा के जल के संरक्षण की उचित व्यवस्था या ऐसे स्थानों पर वर्षा होने के कारण व्यर्थ चला जाता है, जहां पर संरक्षण करने की हमारी क्षमता या वहां पर संभावनाएं नहीं हैं। केंद्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड ने रिचार्ज के माध्यम से लगभग दो हजार अरब घन मीटर पानी सीधे भूगर्भीय जलाशयों में डालकर रिचार्ज व संरक्षण की संभावना जताई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस योजना पर कोई काम कर रही है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री जी और जल शक्ति मंत्रालय ने इस दिशा में जो इनीशिएटिव लिया है, उसकी इन्होंने सराहना की है। यह बिल्कुल सत्य है कि चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल हमें बरसात से मिलता है। दुनिया के दूसरे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इससे बहुत कम पानी बरसात या बर्फबारी से आने के बावजूद भी उन्होंने अपने यहां वाटर बैलेंस को बनाकर रखा है। माननीय सदस्य का यह भी कहना सही है कि जितना पानी बरसता है उसके कैम्पेरिजन में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, चाहे वह सर्फेस वाटर पर स्टोरेज करने की बात हो या जो टोटल रिप्लैनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, वह कम्पेरेटिवली बहुत कम है। देश के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय भूजल संस्थान ने पूरे देश का एक्वीफर मैपिंग इस

दृष्टिकोण से करने का काम हाथ में लिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सारे सरपंचों को पत्र लिखा है कि हम घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोकने के लिए प्रयास करें। इसे एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता जताई है। निश्चित रूप से यदि यह जन आंदोलन बनता है तो हम भारत को जो प्रकृति से प्रदत्त जल हमारे पास है, उसके आधार पर जल के दृष्टिकोण से सुरक्षित बना सकते हैं।

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसी मेरी जानकारी है, देश में 85 प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि में होता है, परन्तु जागरूकता के अभाव में इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई चालू रहने तक लोग बोरेवेल को बंद नहीं करते और नहरों के पानी का भी जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जल संरक्षण की दृष्टि से देश के उन क्षेत्रों में जहां भूगर्भीय जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है, कुछ विशेष फसलों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के कुल जल संसाधनों के उपभोग का 85 प्रतिशत लगभग कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। यह बिल्कुल तथ्यात्मक है कि हमारे देश की वॉटर प्रॉडक्टिविटी पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे कम की श्रृंखला में है। मैंने राज्यसभा में इस पर चर्चा के उत्तर में भी यह कहा था कि हमारे देश में चावल का उत्पादन करने में जितना जल का उपयोग होता है, उससे लगभग आठवें हिस्से पानी में दुनिया के अन्य देशों में चावल का उत्पादन हो रहा है। निश्चित रूप से यह सत्य है कि फ्री इलैक्ट्रीसिटी होने के कारण जल का सिंचाई में अनावश्यक दुरुपयोग होता है। हम जल संरक्षण की जहां कहीं भी चर्चा करते हैं, वहां केवल डोमेस्टिक पर्पज, के लिए जो घरेलू जल का उपयोग होता है, उसको बचाने की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उपभोक्ता एग्रीकल्चर है, उसके बारे में कम्परेटिवली कम ध्यान दे पा रहे हैं। मैं सदन के और देश के संज्ञान में लाने के लिए आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि यदि किसी प्रदेश विशेष ने अच्छा काम किया है तो वह इस सदन के माध्यम से देश भर में जाना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नीति बनाई है और उन्होंने चावल की जिसमें सबसे ज्यादा वॉटर इंटेनसिटी कंजप्शन होता है, उसकी जगह अगर किसान मक्का उगाता है, तो उसको 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर एकड़ की सब्सिडी देने का निश्चय किया है। उसके अतिरिक्त यह एश्योर किया है कि जो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है, वह किसी फसल विशेष को उगाने के लिए अत्यन्त उत्तरदायी है। कोई मक्का की फसल अगर उगाएगा तो उसको 100 परसेंट प्रोक्योरमेंट भी प्रदेश की सरकार करेगी। इसी तरह से गन्ना जो दूसरा सबसे ज्यादा पानी का उपभोग करने वाली क्रॉप है, वह ड्रिप के माध्यम से ही उगाई जाए इस तरह का इनिशियेटिव महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। कृषि राज्यों का विषय है। सारे राज्य मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से जल सुरक्षा हम अपने देश को दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : जल शक्ति मंत्रालय पर यह लंबी डिबेट है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो क्वेश्चन है उसका ही जवाब दे दें, फिर आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने- उपस्थित नहीं।

श्री संजय हरिभाऊ जाधव- उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुधीर गुप्ता जी की आज्ञा हो तो हम प्रश्न 192 भी क्लब कर दें?

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, आपने देश के ज्वलंत मुद्दे, जिन पर प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 16वीं लोकसभा में बहुत काम हुआ है। मध्यप्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पर बहुत काम हुआ उस विषय पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जल आयोग ने बांधों में जो गाद जमा हो जाता है, ऐसे 126 बांधों का सर्वेक्षण किया है। नामर्स के हिसाब से एक प्रतिशत गाद प्रतिवर्ष जमा हो सकती है अर्थात् 100 वर्षों की समय सीमा निर्धारित रहती है, मगर कुछ बांधों में 22 वर्ष, 30 वर्ष और 37 वर्ष में लगभग 57 प्रतिशत, 63 प्रतिशत और 84 प्रतिशत गाद जमा हो गया है।

मेरा संसदीय क्षेत्र मन्दसौर, जिसमें चंबल नदी पर गांधीसागर बांध बना है, उसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा श्यामगढ़ प्रोजेक्ट है, जो लगभग 1700 करोड़ का है। यह माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से देश का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चंबल पर बहुत सारी योजनाएं बनी हैं और आगे बनना भी संभावित हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें भी गाद अगर जमा है तो क्या उसका परीक्षण का कोई प्रयास भारत सरकार करेगी?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, रिजर्वायर्स और डैम्स में सिल्टिंग एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब बांध बनाया जाता है, उसके डिजाइन के समय ही बांध की अनुमानित आयु 100 वर्ष मानते हुए, उसमें अगले 100 वर्ष में जितनी अपेक्षित सिल्ट जमा होनी है, उसके हिसाब से उसका डेड रिजर्वायर लेवल बनाते हैं और उसी तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि देश भर के यदि कुल बांधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यदि मैं देश के 246 बांधों, जिनका सर्वेक्षण हुआ है, उनके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं तो कुल मिलाकर ज़ीरो से एक प्रतिशत एवरेज रेट से सेडिमेंटेशन हर साल होती है, जो बिल्कुल स्वाभाविक और अपेक्षा के अनुरूप भी है। कुछ बांध ऐसे हैं, जिनकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, ऐसे छः बांध नोटिफाई हुए हैं, जिनमें समय-सीमा से कहीं अधिक सिल्टिंग हुई है। यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, लेकिन सिल्टिंग को डिसिल्ट करना टेक्नो-इकोनोमिकली वायबल नहीं है। बहुत छोटे बांधों में इस तरह की तकनीक को काम में लेते हुए डिसिल्टिंग की गई है। देश की सरकार ने आर.आर.आर. योजना या ड्रिप योजना के माध्यम से भी इस तरह की डिसिल्टिंग का काम हाथ में लेकर कुछ बांधों में इस तरह का प्रयोग किया था। मैं सदन से कहना चाहूंगा कि डिसिल्टिंग की चिन्ता करने के साथ ही हम सभी को इस बात की चिन्ता करनी होगी कि इसका कारण क्या है। इसका कारण वनों की कटाई और तटबन्धों का टूटना है। यदि हम उस दिशा में तेजी से कार्य करेंगे और तेजी से वृक्षारोपण होगा, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Thank you, hon. Speaker, Sir. Hirakud reservoir on Mahanadi river is under duress today. Silting is one problem but irregular or no flow of water during non-monsoon season is a matter of concern. Can the Government ensure free flow of water to the reservoir from upstream? Did the Central Water Commission inform Odisha before allowing a number of barrages and dams on upstream of Mahanadi river which has choked the free flow of water to the Hirakud reservoir?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षतः यह प्रश्न सूचीबद्ध प्रश्न से सीधे सम्बन्धित नहीं है, लेकिन जब किसी बांध की डिजाइन की जाती है, जब कोई बांध बनता है तो उसकी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में फ्री फ्लो ऑफ वाटर कंतिनिवसली बना रहे, इस दिशा में पूरा अध्ययन करके ही इस तरह के बांध बनाए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो भी अन्य सूचना है, वह मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, preservation of water has become most important now-a-days. Even the Prime Minister has also expressed his concern. Sir, my question is very specific. The Government of West Bengal has introduced a scheme since last eight years, “*Jal Dharo Jal Bharo*” – Catch Water and Preserve Water. We are being benefitted by that scheme. So, my question is whether the Government of India has any proposal or plan to make a master plan for the coming days to face the challenge of this water crisis in the country.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने ‘जल धरो, जल भरो’ योजना लागू की है, देश के अनेक प्रदेशों ने इस तरह की योजनाएं ली हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ

– राजस्थान, जो जल की सबसे अधिक कमी वाला राज्य है, वहां मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के आधार पर बहुत बड़ा काम इस दिशा में हुआ है। महाराष्ट्र ने भी इस तरह का बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने यहां लिया था। गुजरात ने 'सुजलाम-सुफलाम' कार्यक्रम लिया था। 'नीरू चेट्टू' और इस तरह के अनेक कार्यक्रम हरेक प्रदेश ने अपने यहां लिए हैं और उनके आशातीत परिणाम भी आए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के जलशक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाते हुए, एक जलशक्ति अभियान के नाम से, एक अभियान एक तारीख से प्रारम्भ किया गया है। देश की सरकार में काम करने वाले ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एबव ऑफिसर्स को आईडेंटिफाई करके, उनके साथ सेंट्रल वाटर कमिशन और सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अधिकारी, इंजीनियर्स और हाइड्रोलॉजिस्ट्स को मिलाकर, उनकी टीम बनाकर वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में भेजी गई हैं। ये टीम 75 दिनों में वहां जाकर, इन सभी विषयों का अध्ययन करेंगी और इसके साथ ही इस आंदोलन को एक जन-आंदोलन बनाया जाए, इस दिशा में जन-जागरण के लिए भी वहां पर स्टेक-होल्डर्स से बात करके काम करेंगी। जिलों में कलेक्टर्स को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। हम इसका पूरा विस्तृत अध्ययन दो फेजेज में कर रहे हैं, पहले फेज में, अभी जहां मानसून आता है और दूसरे फेज में ऐसे चार प्रदेश जहां रिट्रीटिंग मानसून आता है, उन दोनों जगहों पर इसे करने का काम किया है।

लेकिन प्राथमिक तौर पर इसमें प्रदेशों को आना पड़ेगा। जिस तरह से अन्य राज्य सरकारों ने काम किया है, जैसा कि मैंने चर्चा की है कि गुजरात, महाराष्ट्र और माननीय सदस्य के प्रदेश वेस्ट बंगाल ने काम किया है, यदि उसी तरह से सभी लोग घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने के अभियान के तहत काम करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश में इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Hon. Speaker, Sir, India is the biggest consumer of groundwater, followed by China and the USA. Groundwater forms a larger share of India's agriculture and drinking water. It is said that India consumed more than 109 cubic kilometre groundwater between 2002 and 2008, double the capacity of the country's largest reservoir of the Upper Wainganga. The bore-wells are drying up; the aquifers are deep down. What is happening is that though the digging of 200 feet, like in the case of Maharashtra, is legally allowed, people go deeper, digging up to 1,000 feet? So, my question to the hon. Minister is whether the Ministry is planning to make a Central law since we have got a new Jal Shakti Ministry, defining uniform conditions for digging bore-wells across the country and also laying directives for making rainwater harvesting compulsory for those who request for a bore-well. उससे जल भराव भी बढ़ जाएगा ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय है। इसलिए हम किसी भी तरह का प्रत्यक्ष कानून सीधे बनाए, इसकी संभावना बहुत कम है। मैं माननीय सदस्य को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा देश अत्यंत विशाल देश है और सभी प्रदेशों, हर एक क्षेत्र के एक्विफायर्स अलग-अलग हैं। इसलिए एक uniform digging policy for borewell बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी, राज्यों ने अपने यहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए उस दिशा में प्रयास किया है। अभी माननीय हरित न्यायालय ने भी स्ट्रेस्ड और ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं, उनमें अपने निर्णय के आधार पर इन पर अदर दैन ड्रिंकिंग वाटर परपस के लिए ट्यूब वेल, चाहे वह इंडस्ट्रियल परपस के लिए हो या एग्रीकल्चर परपस के लिए हो, फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है।

SHRI A. RAJA: Hon. Speaker, Sir, a few years back, in my constituency there was a big landslide because of flood. Two years back, in Chennai there was a huge flood. Out of this experience, I came to know through the officers that in spite of low or average rainfall, the flood is getting higher and higher every year. It is because the water channels that lead to the water bodies are being blocked by illegal constructions and encroachments. This is a very important issue. Unless and until the encroachments are removed, the water bodies cannot be filled up with water for future generation. What will be the mechanism of the Government to remove all these encroachments to keep the water bodies intact? This is my first question.

माननीय अध्यक्ष: कृपया एक ही प्रश्न पूछें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : जैसा मैंने अभी पूर्ववर्ती प्रश्नों में कहा है कि यह प्रत्यक्षतः राज्य सरकार का विषय है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मननीय सदस्य ने चेन्नई के बारे में प्रश्न किया है।...(व्यवधान)

SHRI A. RAJA : Out of my experience from Tamil Nadu, I am saying that it applies to the whole of India.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : मैं पूरे देश भर के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ और more specifically, to speak about Chennai, चेन्नई में जितने तालाब थे, अब उसके केवल 10वां हिस्सा ही तालाब बच्चे हैं। एनक्रोचमेंट की देश भर में समस्या है। वाटर बॉडीज, उनके कैचमेंट एरिया गांवों में या शहरों में हो, सभी जगह इस तरह की चुनौती है, लेकिन प्रत्यक्षतः राज्य सरकारें इस बारे में निर्णय करती हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर कई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहता हैं ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, फरक्का बैराज ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए रुकिए ।

जल संरक्षण और जल के विषय पर कई माननीय सदस्य सप्लिमेट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी, जो हमारे सदन के नेता हैं, उन्होंने भी इस जल संरक्षण पर विशेष रूप से गंभीर ध्यान दिया है, इसलिए अलग-अलग मंत्रालयों को एक साथ लेकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है । मैं सभी माननीय सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर एक बार डिबेट होनी चाहिए ताकि अधिकतम माननीय सदस्य इस पर बोल सकें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, सरकार इसके लिए तैयार है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, बंगाल में सिल्टेशन के कारण फरक्का बैराज प्रोजेक्ट की हालत बहुत बुरी होती जा रही है । अभी यह हालत है कि जो लॉक गेट है, वे सारे खोले भी नहीं जाते हैं । आपने अपने उत्तर में बताया है कि "There is a need-based provision for desilting of dams and desiltation works in three dams - two in Tamil Nadu and one in Uttarakhand ..." इसमें फरक्का बैराज प्रोजेक्ट को क्यों शामिल नहीं किया जाता है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यदि आप जवाब देना चाहते हैं, तो ठीक है । यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, नीड बेस्ड प्रोविजन के बारे में जो उल्लेख किया है, राज्य सरकार यदि उसमें...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे प्रश्न 187 को इस प्रश्न के साथ क्लब कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लेट आए हैं। मैंने आपका नाम पुकारा था। माननीय मंत्री के उत्तर के बाद मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, जो डैम्स और रिज़र्वॉयर्स हैं, वे या तो राज्य सरकारों की सम्पत्ति हैं या पीएसयूज की सम्पत्ति हैं और प्राइमरी यूज़र या ऑनर उसके बारे में यदि कोई रिक्वेस्ट भेजता है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरा आग्रह है कि आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, मैंने जैसा कहा कि फरक्का बांध या Reservoir नहीं हैं। Primarily, बांध या reservoirs are either owned by State Governments or PSUs, or other Ministries....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नेता हैं, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, फरक्का बैराज के प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी जल शक्ति मिनिसट्री के पास है अन्य बांधों के मामले में यदि प्राइमरिली उसका जो ऑनर है, वह इस तरह की यदि कोई भी रिक्वेस्ट हमें भेजता है, तो उसकी टेक्नो इकोनोमिक स्टडी कराने के बाद यदि उपयुक्त पाया जाए, तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसमें काम किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब प्रश्न पूछने के लिए नाम पुकारा जाए, तब आप उपस्थित रहें। ऐसा सिस्टम नहीं बनना चाहिए, नियम चलेगा।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने : सॉरी सर, मेरा प्रश्न 187 था, आपने क्लब कर दिया।

माननीय अध्यक्ष : मैंने सभा की इजाजत लेकर प्रश्न क्लब किया है, लेकिन पहले आपका नाम पुकारा था।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ग्रामीण एरिया में लेक हैं या वॉटर बॉडीज हैं, जिनका रिक्नाइजेशन कहीं नहीं होता है। हम सभी लोग रोड से जाते समय देखते हैं कि गांव के पास जो भी ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, वहां छोटे बच्चे तथा गांव के सभी लोग नहाने-धोने का काम करते हैं, क्योंकि बोरेवेल्स में पानी नहीं होता है। नल की योजना गांव में नहीं होती है। ऐसी वॉटर बॉडीज से ही वे अपना काम चलाते हैं।

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि राज्य सरकार तो इसके लिए कुछ न कुछ पैसा देती है और मदद करती है, लेकिन वह अपर्याप्त होता है। क्या केंद्र सरकार कोई विशेष योजना राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाने का विचार कर रही है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, भारत सरकार में वर्तमान जो उपलब्ध योजनाएं हैं जैसे “Repair, renovation, rehabilitation, rejuvenation, and modernisation of traditional water bodies” इसके माध्यम से इस दिशा में राज्यों का सहयोग करने का काम देश की सरकार ने किया है। इसके अतिरिक्त नरेगा के माध्यम से भी ऐसी ट्रेडिशनल वॉटर बॉडीज के लिए, यदि मैं पिछले वर्ष का उल्लेख करूं तो 2,21,777 वॉटर बॉडीज के रखरखाव के लिए और इस तरह उनके डिसिल्टिंग, उस केनाल में ठीक से वॉटर फ्लो हो और उनके माडर्नाइजेशन के लिए नरेगा के माध्यम से भी पिछले एक वर्ष में 3043 करोड़ रुपये इस दिशा में देश की सरकार के सहयोग से खर्च हुए।

(Q.183)

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न ग्लास फसाड के बढ़ते उपयोग के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काफी उपाय किए जाते हैं, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन भी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में मॉल हो या कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, इन सभी को ग्लास फसाड से कवर किया जाता है, जिसके कारण एनर्जी का उपयोग बढ़ता है और बिजली की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। नीरी की एक रिपोर्ट थी, जिसमें 17 परसेंट एनर्जी का उपयोग बढ़ता है। न केवल बिजली का उपयोग बढ़ता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग में इसके कारण उष्णता भी बढ़ती है।

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन कोड तो है, लेकिन जब उसका पालन नहीं होता है, तो क्या उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की योजना है? यह माननीय मंत्री जी बताएँ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI : I would like to thank the hon. Member for focusing our attention on this issue. Glass clearly has an aesthetic value but there is no evidence to suggest that the use of glass facade in buildings *per se* results in extra consumption of energy. In fact, the studies that have been conducted or the work that has been done by the Bureau of Indian Standards in terms of the National Building Code or in making the Model Building Bye Laws, show that in fact a glass building, if properly designed and properly located, can have beneficial effects. Therefore, those who are utilising glass facade, either in the residential segment or in the commercial area, would normally want to satisfy themselves before using it.

A reference has been made to a Study by IIT Delhi which says that it consumes four times more energy. I have personally read that Study Mr. Speaker, Sir. There is no such conclusion in that Study. This is a popular narrative, and if I may submit, not an entirely accurate narrative. In fact, glass buildings facing south use more energy, those facing north use less energy and those which are facing east or west use equal amount of energy. If you use glass in terms of double glazing and insert certain gas into them, like Argon or Crypton, the evidence is that the building consumes less energy.

I would urge the hon. Members and all others to let me know if there is any study done in India or outside which demonstrates that the use of glass façade is actually contributing to global warming. Insofar as global warming is concerned, all of us sitting in the room are contributing to global warming which could be seen in terms of the rise in the temperature of the earth and sea water.

Our effort all along has been to construct buildings which are environmentally sustainable and friendly. If there is any evidence which comes that glass façade has the opposite effect, we would certainly look at that evidence.

श्री मनोज कोटक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आईआईटी की रिपोर्ट में ऐसा सब्सटैंशियल नहीं पाया गया है। अमेरिका के न्यूयार्क सिटी में ग्लास फसाड पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है और उसके लिए वहाँ बिल भी आया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के अनुसार मापदण्ड तो बनाए गए, लेकिन मेरा बहुत

स्पेशिफिक प्रश्न था कि भवन निर्माता उस मापदण्ड का पालन नहीं करते हैं, तो क्या उसके लिए कोई सख्त कदम उठाने की योजना है?

दूसरा, पिछले दिनों सूरत में एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी। उस वक्त वहाँ बचाव कार्य के दौरान ग्लास फसाड की वजह से बाधा आई थी। इसलिए सुरक्षा उपायों के लिए भी प्रतिबद्धता जरूरी होती है। ऐसी बिल्डिंग्स के लिए नियमावली तो बनाते हैं, लेकिन उसके अनुसार भवन निर्माता भवन नहीं बनाते हैं, सूरत की जो घटना घटी है, उसमें हमने देखा है कि कई बच्चों की जान चली गई क्योंकि वहाँ कोचिंग संस्थान थे। इसलिए जब ऐसे नियम होते हैं, तो उसका पालन करने के लिए क्या किया जाए, यह मंत्री जी बताएँ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the Bureau of Indian Standards, in IS 16231, covers selection methodology on the basis of properties related to light, energy, fire and safety. These have to be followed. If there are any instances where the prescribed norms are not followed, that would be at the risk that the builder would be taking but, if there is a violation, we would be happy to look at it.

Similarly, the National Building Code of 2016 provides for use of glass, based on its thermal properties, to optimise solar load while taking care of safety concerns. My own Ministry has drafted these bye laws.

The hon. Member shifted his attention from IIT Delhi to the United States and referred to a Bill which is before the legislators. I am not aware of that Bill but I would be happy to look at it. I can tell him that I am not aware of any move to ban buildings *per se*. I had the privilege of serving as India's Ambassador and as Permanent Representative to UN.

I lived for five happy years in an entirely glass building, the Trump Tower, on Second Avenue on 46. I would be surprised if that building was going to be banned and particularly right now. But all I would say is that we have worked out a certain Code, which is called ECBC. About 12 States have adopted that Code. The Code becomes mandatory. We only design the template. Once that template is accepted by the States, it becomes mandatory. After making all these by-laws, these will then be implemented by the States. But let me again reiterate, as my distinguished colleague, the hon. Minister of Jal Shakti did earlier, that these are all State subjects and we can only design an eco-system here and then look to the States to implement them.

But again, I want to assure the hon. Member that should he have any difficulties on any utilisation of glass, which proceeds in a manner which is violating any prescribed norm, I would be happy to sit down with him and look at that issue. But I am not aware of anyone having brought to our attention the need to move in a direction which seeks to curb the use of glass. Thank you very much. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप जवाब मत दीजिए ।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : I am happy that the hon. Minister had spent five happy years in Trump Towers in New York. But what he is saying goes against common sense.

It is evident that if you use glass in the façade of a building, more light comes in and that means energy for using light becomes less. But since glass admits more heat, cost for air-conditioners would be more.

Now-a-days there is this concept of 'green building'. The hon. Minister in his reply has nowhere mentioned the need for green building. All his reports are dated: IIT studies dated July, 2011; the National Building Code is dated 2016; Model Building By-laws are dated 2016. In view of the many apprehensions expressed by people about using glass for the newly coming up shopping malls, multi-storey residential buildings and office buildings, I would like to know specifically from the hon. Minister whether the Ministry would notify green building laws and make it compulsory for all big builders, who are influential, throughout the country.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am happy to take this discussion into the realm of common sense.

Let me tell the hon. Member that there are glass facades. For instance, the least and the most disadvantage of these are very clear. As I have already mentioned, in double glazing, if you insert argon or krypton gas, that will have cooling effect. ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: These are inert gases.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: If I may be allowed to complete, I may be able to also respond on the doctrine of common sense. Let me say that the most energy consuming is the clear-cut glazing. That is the most energy consuming.

Then, there is a low E1 glazing; there is a low E2 glazing; and there is an absorptive glazing which absorbs a lot of heat. Then, there is a reflective glass. In fact, today, we are utilising what is called a Green Rating for Integrated Habitat Assessment where we rate green buildings. Our entire effort in the urbanisation is to empanel technologies which are green technologies. It is our assessment that the India of 2030 ...(*Interruptions*). The answer to the question is specific to the question because the question referred to an IIT study. I have to answer that. If the question had been on green technology, I am willing to have a discussion with the hon. Member.

I am now trying to - at the level of common sense – inform the hon. Member that a mix of different components can be used. We have clear evidence that a mall constructed with concrete using different components like aluminium, compost, bricks, glass, etc., in fact, can be far more damaging to the environment than a well-constructed glass building.

So, in other words, we have to ensure that the aesthetics of glass is also anchored in green technology. In fact, all our recommendations on the use of technologies and use of materials are based on green building protocol. In fact, the entire effort is anchored on that. Therefore, the answer was specific to the question. We can only formulate a template. We have it and 12 States have accepted it. I will encourage the other States to accept them as well.

(Q.184)

श्री सुशील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की जो संभावना तलाशी गयी है और जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार 1097 गीगावाट की संभावना देश में है। वर्ष 2022 तक के लिए मंत्रालय ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह मात्र 175 गीगावाट है, जो पूरी संभावना का मात्र 16 प्रतिशत है। अभी 2018-19 तक जो अचीवमेंट है, वह उस लक्ष्य का मात्र 50 प्रतिशत है। मैं बिहार से चुनकर आया हूँ, जहाँ इसकी अच्छी संभावना है। यदि बिहार के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ केवल सोलर एनर्जी में जो संभावना है, वह 11200 मेगावाट की है। अभी तक इस्टॉल्ड कैपेसिटी मात्र 144 मेगावाट है। देश के औसत से भी देखें तो यह काफी कम है। पूरे देश में जो संभावना है, जो इस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वह 33470 मेगावाट है, जबकि बिहार में यह मात्र 148.85 मेगावाट है। ऊर्जा मंत्रालय की स्थाई समिति ने भी अपने 39वें प्रतिवेदन, जो मार्च 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसमें कहा है कि roof-top systems are not remunerative for the consumers due to high maintenance cost and delay in disbursement of subsidy.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए, कमेटी की रिपोर्ट को न पढ़ें।

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, मैं कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल एक लाईन पढ़ रहा था। कमेटी ने भी कहा था कि इसके लागू करने का जो तरीका है, इसके इम्प्लीमेंट करने का जो सिस्टम है, वह इतना लम्बा और मुश्किल है कि अवेयरनेस नहीं आ पा रही है और लोग रूफटॉप पर नहीं लगा रहे हैं। बिहार में बड़ी मात्रा में और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र में, जो सूखे का इलाका है, पठारी क्षेत्र है, पथरीली जमीन, बैरन लैण्ड है, ऊसर जमीन है, वहाँ के किसान चाहते हैं कि हम अपनी जमीन पर सोलर पार्क लगा दें। यदि सरकार उनकी जमीन किराये पर, लीज पर ले ले तो उन जमीनों पर ऊर्जा की खेती को छोड़कर दूसरी कोई खेती नहीं हो सकती है। हमारे प्रधान मंत्री जी का जो स्वप्न है कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे तो

उस दिशा में भी यह कारगर कदम होता। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ ऐसी जमीनें हैं, जहाँ सोलर पार्क लगाकर सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है, वहाँ किसानों को भी इसका लाभ होगा और बिजली का भी उत्पादन होगा। इस दिशा में सरकार के क्या प्रयास हैं?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। माननीय सदस्य यह क्वेश्चन आवर है। क्वेश्चन आवर को क्वेश्चन आवर के हिसाब से ही चलने दें।

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने अपने सप्लीमेंट्री में 3-4 प्रश्न पूछ लिए हैं। मैं 3-4 प्रश्नों का ही उत्तर देता हूँ और बिहार का भी उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न यह है कि देश के स्तर पर हम लोगों की क्या उपलब्धि है? माननीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने लिए यह टारगेट रखा था कि वर्ष 2022 तक 1 लाख 75 हजार मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ेंगे। हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3 लाख 58 हजार मेगावाट है। 1 लाख 75 हजार मेगावाट के करीब 50 परसेंट को हम अमूमन चार-पांच साल में जोड़ना चाहते हैं।

स्थिति अब यह है कि आज हमारी रिन्यूअल एनर्जी की स्थापित क्षमता 80 हजार मेगा वाट स्थापित हो गई है। 24 हजार मेगावाट स्थापना के अधीन है, यानी कि वर्क अलॉट हो गया और वे स्थापना के अधीन हैं। यह 1 लाख 4 हजार मेगावाट हो गया है। 40 हजार मेगा वाट हमने डिफरेंट स्टेजेज़ में वीड आउट कर दिया है, जिससे यह 1 लाख 44 हजार मेगा वाट हो गया है। वर्ष 2022 तक हम अपना लक्ष्य पाएंगे ही नहीं, बल्कि हम उसको क्रॉस कर जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की जो स्पीड है, वह दुनिया में सर्वाधिक स्पीड वाले देशों में मानी जाती है। यानी भारत जिस गति से कैपेसिटी जोड़ रहा है, वह दुनिया में सर्वाधिक है। यह नेशनल लेवल पर हुआ है। बिहार के संबंध में बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने वर्ष 2016 से लेकर आज तक सात पत्र बिहार सरकार को लिखे और उन से प्रस्ताव मांगा कि वे सोलर पार्क इत्यादि के लिए प्रस्ताव दें। अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है। मैंने दो-तीन बार वहाँ के पदाधिकारियों से वार्ता भी की। माननीय सदस्य का यह

कहना सही है कि उनके क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी जमीनें हैं, जहां पर हम लोग सोलर पार्क लगा सकते हैं। उससे जो ऊर्जा पैदा होगी, वह बिहार को भी सहायता करेगी, क्योंकि बिहार ऊर्जा में डेफिसिट है। हम करीब 5 हजार मेगावाट केंद्रीय स्रोतों से बिहार को देते हैं और बिहार का अपना जेनरेशन बहुत कम है। उनको आवश्यकता भी है, लेकिन अभी तक हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य को सुझाव देना चाहूंगा कि वह अपनी राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवाएं। हम लोगों को खुशी होगी। माननीय सदस्य महोदय, मैंने तो लिखा ही है और बात भी की है। यदि माननीय सदस्य और बाकी अन्य सदस्यों का सहयोग होगा, तो प्रस्ताव आ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है। मेरा उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है। इनके तीन-चार सवाल थे, मैं उन सभी का उत्तर देता हूं। किसानों के लिए एक इंपॉर्टेंट उत्तर है। ये केवल बिहार के किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने एक योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत किसान अपनी ऊसर भूमि पर 2 मेगावाट तक की क्षमता के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और वह बिजली हम खरीद लेंगे। अगर किसान इसे लगाने हेतु अपनी जमीन का उपयोग करेगा, यदि वह 30 पैसे प्रति यूनिट भी देगा, जिसका प्रति यूनिट दाम हम लोग 3 रुपये 60 पैसे के आस-पास रख रहे हैं, तो भी उसे प्रतिवर्ष प्रति एकड़ एक लाख रुपये की आमदनी होगी। किसान की आमदनी दोगुनी ही नहीं होगी, तीन गुनी हो जाएगी। इसको हम लोग अगले 15-20 दिनों में लांच करेंगे। यह पूरे देश के किसानों के लिए एक अच्छी योजना है।

श्री सुशील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट और प्रसन्न होते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए जिस योजना की चर्चा इन्होंने अपने उत्तर में की, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि किसान के पास पूंजी नहीं होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वह ऑलरेडी कर्ज में होता है।

श्री आर. के. सिंह : इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कृपया बैठें, इनको अपना प्रश्न पूरा करने दें।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ सोलर मित्रों को ट्रेड करके जो सोलर लाइट हम लोगों ने एम.पी. लैंड से भी लगवाए हैं, उसमें से 90% खराब है। उनकी मेनटेनेंस करने वाला कोई नहीं होता है और जिस एजेंसी ने लगाया है वह भी जिम्मेवारी नहीं लेती है। अभी तक मात्र इकत्तीस हजार बानवे सोलर मित्र ट्रेन्ड हुए हैं। यह संख्या बहुत ही छोटी है। 130 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश के लिए इन सोलर मित्रों को लाखों की संख्या में ट्रेन्ड करें, ताकि उनको रोजगार मिल सके। सरकार के पास इसकी क्या योजना है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पुनः एक सप्लीमेंटरी में दो सवाल पूछे हैं।

माननीय अध्यक्ष : लेकिन माननीय सदस्य ने ठीक सवाल पूछा है।

श्री आर. के. सिंह : माननीय सदस्य ने जो दो सवाल पूछे हैं, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल माननीय सदस्य का यह था, वे कहते-कहते रुक गए कि किसान के पास पूंजी नहीं होती है तो लगाएगा कहां से? हमने इसकी भी व्यवस्था की है, यही मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता था। यह सिर्फ बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसान अपने पैसे से दो मेगावाट का सोलर पैनल लगाए। वह किसी डेवलपर को भी जमीन दे सकता है और डेवलपर को देगा तो डेवलपर उसके बदले में 30-35 पैसे प्रति यूनिट देगा, जिससे एक लाख रुपये तक की आमदनी हो जाएगी। यदि स्वयं लगाना चाहे तो उसका 3.5-4 रुपये प्रति यूनिट आमदनी होगी। जहां तक सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण की बात है तो हम लोगों ने प्रथम चरण में 50 हजार के आस-पास की ट्रेनिंग का टारगेट रखा था। 31 हजार हम अचीव कर चुके हैं। इसको हम बढ़ाएंगे। बिहार में हमारे पांच ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं। उसमें और गति आने की आवश्यकता है। अभी तक बिहार में सिर्फ 1159 व्यक्ति ट्रेड हुए हैं। इसको भी हम बढ़ाएंगे।

(Q.185)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वर्ष 2012 में ऊर्जा की बचत करने के लिए पीएटी चक्र -1 चलाया था, जो वर्ष 2015 में पूरा हुआ। इससे ऊर्जा की भी बचत हुई और 31 मिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड के उत्सर्जन से भी बचाव हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। बिजली की दरें ज्यादा होने से कपड़े का कारोबार बड़ी मुश्किल में है। सस्ती बिजली के लिए और बिजली की बचत करने के लिए क्या सरकार इस बारे में सोच रही है कि टैक्सटाइल के पूरे कारोबार को सोलर ऊर्जा पर कनवर्ट करके टैक्सटाइल का कारोबार करने वालों को सुविधा मिले? वहां बिजली की सप्लाई एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा की जा रही है, उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए अगर इसको सोलर पर कनवर्ट किया जाता है तो लोगों को बहुत आसानी होगी। अगर सरकार यह सोच रही है तो इसका ब्योरा क्या है? क्या देश में कहीं टैक्सटाइल को सोलर पर चलाने के लिए कनवर्ट किया गया है?

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए दो योजनाएं हैं और दोनों ही सार्थक हो सकती हैं। पहली योजना कैपटिव पावर प्लांट की है। इंडस्ट्रीज़ मिलकर कैपटिव पावर प्लांट लगा सकती हैं। हम लोगों की ओपन एक्सेस पॉलिसी है और सोलर का कैपटिव पावर प्लांट लगाकर उससे बिजली ले सकते हैं। इससे ऊर्जा का मूल्य बहुत घट जाएगा। दूसरी यह है कि इंडिविजुअल यूनिट अपनी जमीन या रूफटॉप पर लगाएं। इन दोनों से उनको लाभ होगा। इसके लिए जो भी सहायता की आवश्यकता होगी, हम लोग कर देंगे।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सर, मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग 8 लाख लूम के शेड हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। टैक्सटाइल के वेस्ट से अगर पावर जनरेट करें और दीनदयाल उपाध्याय योजना से उसे जोड़ा जाए, वहीं पर

पावर जनरेट करके, वहीं के कारोबारियों को सप्लाई करने के बारे में क्या सरकार की कोई योजना है? अगर ऐसा किया जा सकता है तो वहां के लोगों को इससे बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है।

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की योजना कोजनरेशन की है। कोजनरेशन योजना के अंतर्गत प्रति मेगावाट हम लोग सब्सिडी भी देते हैं। अगर वहां की इंडस्ट्री चाहे तो कोजनरेशन स्थापित कर सकती है, जिसमें वेस्ट का इस्तेमाल करे। हम लोग जो भी एडमिसिबल सब्सिडी है, वह दे देंगे।

(Q.186)

श्री चंदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं इस सदन में पहली बार बोलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद और संरक्षण चाहिए।

महोदय, उपरोक्त कथित वर्षों में देश में सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नीति अपनाने की घोषणा की गयी थी। इसका सीधा अर्थ था कि अब देश में उत्पादन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल यह आवश्यक भी था क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए तथा यहां के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में वह सहायक थी।

मैं इस नीति का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, किन्तु जब लघु और मझोले उद्योगों के क्षेत्रों में रुग्णता बढ़ती पाता हूँ, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसके कारणों पर सरकार ने विचार किया है और वे कारण क्या थे? और इन कारणों के निवारण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश की कुल जीडीपी में 29 प्रतिशत योगदान एमएसएमई का है। अगर हमारे देश को प्रगति और विकास करना है, तो यह सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। जो चाइना का औद्योगिक विकास हुआ, जापान का हुआ, कोरिया का हुआ, उसमें भी काफी शेयर एमएसएमई का ही है। इसलिए सरकार ने विशेष रूप से इसमें प्रायोरिटी दी है। एक बात जरूर है कि बहुत बड़े प्रमाण पर कुछ उद्योग बंद होते हैं और इसका कारण है, लैक ऑफ डिमांड, शार्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, नॉन अवेलबिलिटी ऑफ रॉ मैटेरियल, पावर शार्टेज, मार्केटिंग प्राब्लम्स, लेबर प्राब्लम्स एंड मैनेजमेंट प्राब्लम्स। इसके साथ ही साथ हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको हम कैसे सुलझा सकते हैं। अभी मैंने नया-नया चार्ज लिया है। अनेक योजनाएं तैयार की हैं और सबसे महत्वपूर्ण

चीज यह है कि एसएसआई में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सरकार में पब्लिक कॉर्पोरेशन को भी माल सप्लाई करती हैं, उनके पेमेंट साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल और दो-दो साल नहीं होते हैं। ब्याज बढ़ता है और उसके कारण भी यूनिट अड़चन में आती हैं। हमने उसका समाधान करके एक पोर्टल खोला है और इस एक्ट के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। उस पोर्टल में ठीक प्रकार से जो भी तकरार करेंगे कि किसी ने मेरा पेमेंट नहीं दिया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रोविज़न है। हम लोग धीरे-धीरे इन सब समस्याओं की पहचान करके उनको रिज़ाल्व करने के पीछे लगे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए एडीबी, केएफडलब्यू और वर्ल्ड बैंक से हमारी मीटिंग हो गई है। वहां से क्रेडिट लाईन में इंटर्रेस्ट कॉस्ट कैसे कम हो सकता है, यह भी प्रयास किया जा रहा है।

दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाइना में हुई है और जो आदरणीय सदस्यों को पता होगी कि अली बाबा के नाम से एक मार्केटिंग की वेबसाइट है या अमेरिका में अमेज़न है। इसके कारण उसका बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हुआ, जिसके कारण एमएसएमई को फायदा हुआ है। हम उसी तर्ज पर एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग के लिए एक बड़ी मार्केटिंग साइट अभी लांच करने जा रहे हैं। हमने उसकी तैयारी शुरू की है। इसके कारण देश भर के उद्योगों और लोगों को उसके ऊपर एक्सेस मिलेगा। इसका वर्ल्ड में मार्केट होगा। अगर किसी देहात में एक हनी तैयार की गई है, अगर अमेरिका में किसी को चाहिए, तो वह उस वेबसाइट पर जाकर उसे मंगवा सकता है। यह हो जाने से मार्केटिंग में भी प्रोत्साहन मिलेगा और भी नई-नई योजनाएं हैं। आपका बहुत सीरियस कंसर्न है, आपने इसको रखा है। अभी नई सरकार आई है और मैंने भी नया चार्ज लिया है। आपके और सभी सदस्यों के सुझावों को लेकर हम नई नीति बनाकर इसको निश्चित रूप मजबूत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टारगेट बड़ा रखा जाता है। वह कभी-कभी पूरा होता है और कभी-कभी पूरा नहीं भी होता है। हमने टारगेट रखा है कि देश के विकास में, जीडीपी में हम पचास टके पांच साल तक कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। 11 करोड़ लोगों को जो रोजगार दिया

गया है, उस रोजगार को हम 15 करोड़ के ऊपर यानी 5 करोड़ रोजगार को और एड करेंगे।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : करनी और कथनी में समानता होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : आपको कम से कम विदित हो कि अगर मेरी कही हुई कोई बात नहीं हुई होगी, तो आप खड़े होकर बता सकते हैं।...(व्यवधान) अगर बाद में नहीं होगा, तो आपको सवाल पूछने का अधिकार है। मैं जब इन टारगेट्स को घोषित कर रहा हूँ, जैसे रोड का टारगेट पूरा हुआ है, हम ये भी टारगेट्स पूरा करके दिखाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर इस पर आधे घंटे की चर्चा मांगेंगे, तो निश्चित रूप से इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा दी जाएगी, ताकि पूरे देश को पता चले कि किस तरीके से सूक्ष्म और लघु उद्योग पर सरकार काम कर रही है। माननीय मंत्री जी भी इफेक्टिव रूप से सारे सिस्टम को जानते हैं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर आप आधे घंटे की चर्चा के लिए लिखकर देंगे, तो वह निश्चित रूप से अलाउ की जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री चंदन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में, मैं एक उदाहरण अपने संसदीय क्षेत्र नवादा, बिहार में बंद पड़ी हुई चीनी मिल का देना चाहता हूँ। दशकों पूर्व नवादा में निजी क्षेत्र द्वारा यह चीनी मिल, जो मोहिनी शुगर मिल के नाम से जानी जाती थी, प्रारंभ की गई थी। किन्तु बाद में इस मिल का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 1993 से यह मिल आज तक बंद पड़ी हुई है। इस मिल के बंद हो जाने से जहां हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर नकारात्मक असर हुआ है, वहीं क्षेत्र के किसानों पर भी मार लगी है। यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के

लिए बहुत उपयोगी था, किन्तु अब यहां की कृषि भूमि प्रायः बंजर होती जा रही है और किसान आर्थिक संकट से घिर गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस मिल को पुनः चालू कराने का निर्णय ले। यदि आवश्यक हो तो इसका पुनः अधिग्रहण किया जाए अथवा सरकार इस प्रकार के सिक उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई नीति की घोषणा करे।...(व्यवधान)

क्या सरकार मेरे इस आग्रह पर निर्णय लेगी और लेगी तो कब तक?

12.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नितिन जयराम गडकरी : स्पीकर महोदय, वैसे इस प्रश्न से मेरा कुछ संबंध है और कुछ नहीं है। परंतु मैं चीनी मिल से संबंधित हूँ, इसलिए बताता हूँ कि गलती से चीनी मिल शुरू मत कीजिए। चीनी मिल की हालत बहुत खराब है। मैं खुद अपने क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की चीनी मिलें किसानों के साथ चलाता हूँ। मुंडे जी बैठी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, सब लोगों का बैंड-बाजा बज चुका है। अभी यह नया पिषय मत कीजिए। दूसरा, इसमें एक उपाय है कि गन्ने से, शुगरकेन जूस से डायरेक्ट इथनॉल बनता है। आठ लाख करोड़ रुपयों का हमारा इंपोर्ट है। हम इस साल पचास लाख टन शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सरप्लस शुगर है, वर्ल्ड में है। ब्राज़ील में 22 रुपये किलो का भाव है। भारत सरकार 32 रुपये किलो का पकड़ कर किसानों को दे रही है तो यह इकोनॉमिकली नॉन-वाएबल है। इसलिए डायरेक्ट शुगरकेन जूस से इथनॉल, इसका रेट सरकार ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 60 रुपये प्रति लीटर किया है। मुझे लगता है कि आप इसमें कभी आराम से आइए, मैं इसमें खुद काम भी करता हूँ तो आपको मदद करूंगा और यह मार्ग निकालने के लिए जो भी कुछ होगा, करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुश्री महुआ मोइत्रा जी, मुझे आपके 04 जुलाई, 2019 के विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है। यह मामला विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर स्टेटमेंट नहीं देते हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज बैठिए। यह मामला विचाराधीन है। मैं इस पर आपको बाद में समय दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बालू जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव की सूचना मेरे संज्ञान में है। इस विषय पर और अधिक तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित किया है। तथ्य प्राप्त होने पर, मैं इस प्रस्ताव पर समुचित निर्णय लूंगा।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Speaker, Sir, it has to be considered very quickly. ...(*Interruptions*) The competent authority has ridiculed the image of the people of Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको कक्ष में भी बताया है कि मैं आपको मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको कक्ष में बताया है कि अगले बजट के बाद मैं आपको मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा। सबको मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं निश्चित रूप से मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्तावों की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़। मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको इसी सत्र में मौका दूंगा। ठीक है?

...(व्यवधान)

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Economic Survey 2018-19 (Volume 1 and Volume 2).

[Placed in Library, See No. LT 104/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF

STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND

ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a

copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

- (1) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) (Sixth Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. L-1/44/2010/-CERC in Gazette of India dated 8th April, 2019.
- (2) Notification No. L-1/(3)/2009/-CERC published in Gazette of India dated 27th February, 2019, containing corrigendum to the Notification No. L-1/(3)/2009-CERC dated 9th January, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 105/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the Airports Authority of India and the Ministry of Civil Aviation for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 106/17/19]

- (ii) Memorandum of Understanding between the Chandigarh International Airport Limited and the Airports Authority of India for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 107/17/19]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-

- (i) S.O.1243(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2019, regarding Constitution of Special Task Force.
- (ii) S.O.1244(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2019, regarding setting up of Fuel Stations on Privately owned Lands in National Capital Territory of Delhi.

[Placed in Library, See No. LT 108/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

- (1) G.S.R.234(E) published in Gazette of India dated 25th March, 2019, approving the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (2) G.S.R.235(E) published in Gazette of India dated 25th March, 2019, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (3) G.S.R.408(E) published in Gazette of India dated 4th June, 2019, approving the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (4) G.S.R.417(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2019, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 109/17/19]

माननीय अध्यक्ष : जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) – उपस्थित नहीं ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, where is the Minister? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया ।

...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केरला लैंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरला लैंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 114/17/19]

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रख रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आईटम नंबर – 6 - श्री अर्जुन राम मेघवाल

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री रख सकते हैं। Please take your seat.

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से श्री वी. के. सिंह जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत नेशनल हाइवेज (मैनर ऑफ डिपोजिटिंग द अमाउंट बाई द सेंट्रल गर्वर्नमेंट; मेकिंग रिक्विजिट फंड्स एवलेबल टू द कंपनीटेंट अथॉरिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड) रूल्स, 2019 जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 110/17/19]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 510(अ) जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सेवानिवृत्त सचिव, उत्तराखण्ड सरकार की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का.आ. 862(अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 510(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 111/17/19]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 374(अ) जो 23 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजमार्ग प्रशासन को शक्तियां प्रदान करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 112/17/19]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 507 (अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30) (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दो) का.आ.801 (अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 479(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ. 867 (अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (भीलवाड़ा-लड़पुरा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चार) का.आ. 868 (अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 128 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 232) और 330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 232) (टांडा-रायबरेली खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 869 (अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 61) (अनेघाट से अहमदनगर बाईपास के प्रारंभ तक खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (छह) का.आ. 980 (अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 (दावुलापल्ली से मरकापुरम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

- (सात) का.आ. 981 (अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (चेन्नई-टाडा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 982 (अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (नागौर बाईपास की समाप्ति - नेत्रागांव - मंडोर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 1114(अ) जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2681(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दस) का.आ. 1132(अ) जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 211 (ये देशी-औरंगाबाद खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 1141(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9)(मुरादाबाद खंड जिसमें हापुड़ बाईपास खंड शामिल है) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 1611(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29ई) (सोनोली-गोरखपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 1612(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग

- सं.61) (मलशेज घाट से अनेघाट खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 1613(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.44) (श्रीनगर से बनिहाल खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 1667(अ) जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.9) (विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 1697(अ) जो 6 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24बी (रायबरेली-इलाहाबाद खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 1725(अ) जो 13 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.30) (शहडोल से अनूपपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 1890(अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1217(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 113/17/19]

12.04 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

1. “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd July, 2019 agreed without any amendment to the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th June, 2019.”

 2. “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd July, 2019 agreed without any amendment to the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st July, 2019.”
-

12.05 hrs

STATEMENT BY MINISTER

**Medium of examination for direct recruitment to certain levels
in Regional Rural Banks**

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to make a statement regarding Medium of examination for direct recruitment to certain levels in Regional Rural Banks.

Now, can I make the statement?

माननीय अध्यक्ष : हाँ बोलिये ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: At present, there are 45 Regional Rural Banks (RRBs) functioning in the country having a total staff strength of around 90,000 employees. Institute of Banking Personnel Selection (IBPs) conducts Common Recruitment Process (CRP) for recruitment of officers (Scale-I, II and III) and Office Assistants (Multipurpose) in RRBs on an all-India basis in English and Hindi medium.

In the present system, candidates educated in local languages are at a disadvantage due to the medium of examination. Various references and representations have also been made and received suggesting, inter alia, to conduct the recruitment examination for RRBs in regional languages.

The functioning of RRBs is State specific and rural focused and therefore, knowledge of the local language of that particular State or region would help the candidate in performing his duties effectively.

Thus, with a view to provide a level playing field and to expand employment possibilities for local youths, it has been decided that the examination for direct recruitment for officers (Scale-I) and Office Assistant (Multipurpose) in RRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English and Hindi. These 13 regional languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. The candidates will, in addition to English and Hindi, also have the option to choose the regional language of the State that they have opted for, from among the above languages, as their medium of examination.

This change shall be implemented from the Mains Examination of CRP RRB VIII, which is 2019 this year, onwards.

12.07 hrs

**MOTION RE: 2ND REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY
INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM
MEGHWAL):** On behalf of my colleague, Shri Pralhad Joshi, I beg to move the
following:

“That this House do agree with the Second Report of the Business
Advisory Committee presented to the House on 3rd July, 2019.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 3 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे
प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल । माननीय सदस्य बोलिए ।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Under Rule 225, I have given a notice of question of privilege before 10' Clock today. ...(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : विशेषाधिकार पर केवल अपनी बात कह दीजिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य शून्य काल में अपना कोई गम्भीर विषय है, तो रख दीजिए ।

...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA: It is a point of order. ...(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल है । शून्य काल में आप अपनी बात रख दें । शून्य काल में मैंने आपको स्पेशल परमिशन दी है ।

सुश्री महुआ मोइत्रा : हाँ, मुझे बोलना है ।

माननीय अध्यक्ष : हाँ बोलिये ।

सुश्री महुआ मोइत्रा : सब कह रहे हैं कि सरकार उनकी है, कोई फायदा नहीं है यह करके ।

Even if it is a minority of one, but the truth is the truth. I have faith in your neutrality. Please let me read the statement. ...(*Interruptions*).

I have submitted a notice of question of privilege against Zee TV and its ... * for falsely reporting on my maiden address in this august House. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम नहीं ले सकते ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खगेन मुर्मु जी, आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय और अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल खगेन मुर्मु जी की बात ही रिकॉर्ड हो, अन्य किसी की बात रिकॉर्ड न हो ।

...(व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह जो कि सन् 1857 में हुआ था, को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता दी जाती है। इससे करीब 2 साल पहले 30 जून, 1855 में गुलाम भारत की आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। आज भी प्रतिवर्ष 30 जून को भारत के कुछ हिस्सों में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खगेन मुर्मु जी, आप एक मिनट रुकिए ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि शून्य काल शुरू होते ही कई माननीय वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष पीठ के पीछे खड़े होकर जाने का प्रयास करते हैं। यह उचित नहीं है। मैं पुनः सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूँगा कि अब आप अगर पीछे जाएंगे, तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा ।

माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात शुरू करें ।

श्री खगेन मुर्मु : महोदय, इस हूल दिवस को हूल क्रांति और संधाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आदिम जनजाति समुदाय और आम जनता ने तत्कालीन भारत में व्याप्त लगान वसूली, जंगल की जमीन को काट कर खेती के लिए बनाना तथा उस पर अपना स्वामित्व, सूदखोरी इत्यादी से आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस लड़ाई में करीब 20 हजार आदिवासियों ने अपनी माटी के लिए जान दे दी थी। इस आजादी की लड़ाई में करीब 50 से 60 हजार आदिवासियों ने भाग लिया था। अंग्रेजी सरकार अपने राजस्व की वसूली के लिए प्रतिदिन

कोई न कोई कानून बनाकर आम जनता को बड़ी ही बेरहमी से प्रताड़ित करती थी और उस पर काफी अत्याचार करती थी।

महोदय, इस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व वर्तमान झारखण्ड राज्य के भोगनाडीह ग्राम के भूमिहीन ग्राम प्रधान चुनिया मुर्मु के पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। इस आजादी की लड़ाई में उनके चारों पुत्रों ने 20 हजार आदिवासियों के साथ अपनी जान को न्योछावर कर दिया। सिद्धू, कान्हू के नेतृत्व में भोगनाडीह ग्राम में शुरू हुई इस लड़ाई में दोनों ने 'करो या मरो', 'अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो' का नारा दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इन वीर सपूतों तथा अपनी माटी के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले 20 हजार आदिवासियों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि है। इस आजादी की लड़ाई के परिणामस्वरूप सन् 1900 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत एक आदिवासी की जमीन एक आदिवासी ही खरीद सकता है। यह कानून आज भी लागू है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हूल दिवस, जो कि हर साल 30 जून को भारत के कुछ राज्यों में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है, को सम्पूर्ण भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए तथा इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इन वीर सपूतों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हमारे देश की भावी युवा पीढ़ी इनको जान सके और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो सके। धन्यवाद।

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, there is no doubt that the Ruling Party had won majority in Parliament riding on the Balakot strikes. Yet we see, every second day that the entitlements of Armed Forces are being cut. The latest being withdrawal of income tax exemptions to disabled soldiers who are not invalidated out. It is being extremely insensitive and insulting for an organisation which has proved itself in every crisis, be it an

external aggression or flood or any internal crisis. The Armed Forces have proved their mettle and we need to be proud of their contribution. They deserve our love and gratitude, especially, our soldiers and veterans who are war disabled.

Therefore, it is my earnest request to frame guidelines so that entitlements of our Armed Forces are not withdrawn, without it being passed by both the Houses of Parliament and consented by the President who is constitutionally the Supreme Commander of our Armed Forces. Our bureaucrats have no right to withdraw justified entitlements which have been earned by our soldiers by giving their blood and sweat. Even the Armed Forces Headquarters should not be allowed to withdraw or reduce any entitlement without the Parliament's nod.

Recently the CSD entitlements were reduced and the rations in peace stations were withdrawn. The military justice delivery system has been made almost defunct with over 16,000 pending cases and just 6 AFTs remaining functional out of 22.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घंटी बजाने का मतलब समझें, नहीं तो मुझे माननीय सदस्य को बुलाना पड़ेगा ।

SHRI JASBIR SINGH GILL: The Indian Army is the most disciplined force. It is difficult for them to raise their voice against such insensitive decisions as they do not enjoy the same Fundamental Rights as enjoyed by common citizens.

On the 550th Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji, I would like to request the Government to open a Defence University or Symbiosis like Institute in Sultanpur area.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले एवं डॉ. संजय जायसवाल को श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Speaker, Sir, the rubber farmers, especially, of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, North-East and other parts of the country are in severe crisis for several years due to fall in the prices of natural rubber. It is because of the import policy adopted by the Union Government.

The farmers had received reasonable prices for natural rubber in a period when the Government of India followed a policy which banned the import of natural rubber in the country. The Government of India have changed their policy because the tyre manufacturers misled the Government that Indian natural rubber is of an inferior quality. The Government has commenced import of rubber from international market. This argument of the tyre industry and their lobbies is totally false. Our natural rubber is competent enough to be compared with any imported produce. It meets the quality benchmark. After the tyre lobby's pressure, the Government of India had decided to relax the Import Duty on natural rubber. After this decision, the demand for Indian natural rubber had fallen and gone downward spiral. Due to mounting losses and falling rates, the rubber farmers including small and marginal planters were compelled to stop cultivation. The rate of fertilizers is also high. The

Rubber Board itself is under strain as it could not meet with the challenges posed by the crisis.

It will be noted that the then Minister of Commerce and Industry, Shrimati Nirmala Sitharaman had held several meetings with all stakeholders including the representatives of rubber farmers and members of the industry to analyse this matter. Even then the tyre lobby had misled the Government during pre-budget deliberations about the sectoral demands and urged the Government for zero Import Duty on natural rubber.

माननीय अध्यक्ष : आप तो शॉर्ट में बोलें ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Yes, Sir. This demand is anti-farmer, anti-people and disastrous for the domestic rubber production.

This move will adversely affect the welfare of 13.1 lakh growers who are mainly small growers, and 4.93 lakh workers dependent on the agro-based industry.

I would strongly urge upon the Government to take urgent steps to protect the domestic rubber productions and farmers by increasing the import duty of natural rubber so that domestic prices are protected and farmers get maximum price. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री एंटो एन्टोनी, एडवोकेट अदूर प्रकाश, श्री राजमोहन उन्नीथन और श्रीमती राम्या हरिदास को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के छात्रों और अभिभावकों के एक महत्वपूर्ण भाव को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार अंतर्गत सारण जिला के मशरक में केन्द्रीय विद्यालय मशरक स्थापित है। वर्तमान में इस विद्यालय में एक पाली में पढ़ाई होती है। विदित हो कि मेरा संसदीय क्षेत्र दो जिलों में विस्तारित है। आबादी की दृष्टि से भी मेरा संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है। इतनी बड़ी आबादी में बच्चों के अभिभावकों के सामने अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक बड़ी चुनौती है। अधिक से अधिक अभिभावक चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़ाई करे। अभिभावकगण जब अच्छे विद्यालय की खोज करते हैं तब उनके सामने केन्द्रीय विद्यालय मशरक का ही नाम आता है। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र के हजारों-हजार बच्चों के अभिभावकगण अपने बच्चों का नामांकन केन्द्रीय विद्यालय मशरक में ही करवाना चाहते हैं। केन्द्रीय विद्यालय मशरक में दो पाली की पढ़ाई शुरू कराना अत्यंत ही आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय मशरक को दो पाली में चलाये जाने हेतु अपनी आवश्यक कार्रवाई पूरी करें, जिससे वहाँ के बच्चों को मान-सम्मान के साथ अच्छी पढ़ाई मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि वे अपनी बात एक-एक, डेढ़-डेढ़ मिनट में संक्षिप्त में कहें। आपको जो विषय कहना है, उसे सदन के माध्यम से सरकार को बता दिया जाएगा।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आग्रह करती हूँ। ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों द्वारा हर साल कटाव के कारण लाखों लोगों को भूमिहीन और बेघर होना पड़ता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट के इलाके जबरदस्त कटाव से प्रभावित हो रहे हैं। लगातार हो रहे कटाव से राज्य की करीब चार हजार वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो चुका है और इससे करीब 2,500 गांवों में बसे 50 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में होने वाला यह भूक्षरण करीब

80 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। इस मामले में राज्य के जल संसाधन विभाग ने 25 संवेदनशील और अति क्षरणीय स्थलों की पहचान की है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि असम से लगने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर जारी कटाव से अभी तक लगभग 7.4 फीसदी भूमि का नुकसान हो चुका है। ऊपरी असम एवं डिब्रूगढ़ जिले के चाय बागान वाले क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नदी के तट से लगा हुआ डिब्रूसैखोवा राष्ट्रीय उद्यान का भी काफी क्षेत्र इससे प्रभावित है। अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य समूह को गठित किया जाए और एक अध्ययन कराकर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी किया जाए, जिससे आम जनता की इस गंभीर समस्या से निपटा जा सके।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही सेन्सिटिव विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

सर, दिल्ली के अंदर दो करोड़ की आबादी रहती है। यहां 20 लाख लोग अनियमित कॉलोनियों में रहते हैं। पिछले 25 सालों से ये कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई हैं। उनमें सरकार कोई बेसिक अमेनिटीज़ नहीं देती है। यह राज्य सरकार का विषय होता है। एक बार वर्ष 2008 में एक ऐसी नौटंकी हुई, माननीय सोनिया जी बैठी हैं, इन्होंने एक बार रामलीला मैदान में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट उन कॉलोनियों के लिया बाँट दिया था कि हम इनको पास करेंगे। वह वर्ष 2008 का चुनाव झांसा देकर जीत गए थे। अभी के मुख्य मंत्री ने भी वही नौटंकी की कि मैं उन कॉलोनियों को पास कर दूंगा।... (व्यवधान) वहां पर 1639 कॉलोनियां हैं, जिनमें 20 लाख लोग रहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई विषय हो तो मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : सर्टिफिकेट बांटे हैं ।... (व्यवधान) ...* सर्टिफिकेट बांटे हैं ।... (व्यवधान) मना कर दें । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री रमेश बिधूड़ी: ... (व्यवधान) कि हम तुम्हारी कॉलोनी को पास कर देंगे ।... (व्यवधान) वहां पर बीस लाख लोग रहते हैं । यह राज्य सरकार का इश्यू है ।... (व्यवधान) सर, लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि थानेदार से काम नहीं चला रहा है, एसीपी के पास चले जाओ ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है ।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: लोग कहते हैं कि वे तो विधायक हैं, आप सांसद हैं, उनसे बड़े हैं ।... (व्यवधान) यहां पर विकास कराओ ।... (व्यवधान) वहां केन्द्र सरकार का पैसा नहीं लगता है ।... (व्यवधान) सर, उन कॉलोनियों के अंदर देश की राजधानी में लोग रोजी-रोटी के लिए आए हैं । ... (व्यवधान) सर, बहुत सेंसेटिव विषय है । कृपया थोड़ा टाइम दीजिए ।... (व्यवधान) सर, यह बीस लाख लोगों के जीवन का सवाल है ।... (व्यवधान) केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने चीफ सेक्रेटरी, मंत्री जी को बुलाया था और 4 साल पहले कहा था कि उसका ले-आउट प्लान बनाया जाए ।... (व्यवधान) सर, 30 सेकेंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।... (व्यवधान) उनका ले-आउट प्लान बनाया जाए । ... (व्यवधान) इस सरकार ने, ... * ने दो साल तक ले-आउट प्लान नहीं बनाया । ... (व्यवधान) दो साल बाद फिर कहा कि इसका ले-आउट प्लान बनाइए ।... (व्यवधान) इन कॉलोनियों में विकास करना है ।... (व्यवधान) दो साल बाद उन्होंने कहा कि हमें दो साल का समय और दो ।... (व्यवधान) सर, लोग समझते हैं कि केन्द्र सरकार के पास यह मामला है ।... (व्यवधान) मेरी रिकवैस्ट है कि केन्द्र सरकार चीफ सेक्रेटरी को बुलाए।... (व्यवधान) केन्द्र सरकार चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर, दिल्ली एनसीटी है, राष्ट्रीय

राजधानी है, इसलिए इंटरफेरेंस करने के बाद...(व्यवधान) माननीय उपराज्यपाल जी सीधा देखें व इन कालोनियों को पास करवाने की कार्यवाही करवाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं श्री नारणभाई काछड़िया को श्री रमेश बिधूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार-बार मत उठा करें। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य, मैं आपको सदन में दूसरी बार कह रहा हूँ। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए। Please sit down.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. ए. चैल्ला कुमार। किसी और की बात अंकित नहीं होगी।

...(Interruptions) ... *

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, कोई भी माननीय सदस्य आपस में डिबेट न करे। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister for the proposed project from Tindivanam to Krishnagiri via Thiruvannamalai, Tamil Nadu. This project was sanctioned by the Congress led UPA Government and the work was also initiated. But this work has been stalled for unknown reasons. It has put people into hardships.

The proposed National Highway connects the western part of Tamil Nadu to the eastern part facilitating quick travel and comfortable journey. It also connects the world-famous temple city Thiruvannamalai visited by lakhs of people every month. I request the hon. Minister, through you, Sir, to re-initiate and speed up the project with an utmost public priority.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, majority of our population is young in our country. Unfortunately, most of our youth in the country are becoming spiritually inactive, physically unfit and increasingly overweight. In the long run, this physical inactivity will affect India badly. It will spoil our decades long progress that we have achieved in life expectancy. It will also affect our health care budget.

So, promoting participation of youth in physical activity and sports is very important. This will shape our life style. This will contribute wellness to our entire socio-cultural aspects. But, at present, there is no importance given to sports and physical education in our schools and colleges. The syllabus of our schools is focused primarily on making students as doctors, engineers, lawyers, IT professionals only. I do not generalise this. Still, it is a wide reality. There is no emphasis for minimum physical activity in our schools.

Hence, it is high time that we should make physical education as mandatory in all classes at school level. We should take concern for physical literacy in our people. There should be separate compulsory sports curriculum in our schools with a minimum of three periods per week for all classes from 1st to 12th standard.

The minimum qualifying marks should be prescribed for physical education. It should be considered as a mandatory qualification for promoting to higher classes. It should be both practical and theoretical.

माननीय अध्यक्ष : यह 377 नहीं है, यह जीरो ऑवर है।

SHRI T. N. PRATHAPAN : My last point is that if we make it seriously, the physical health along with mental wellness of our population will be at the best. In another way, it will give a good healthy workforce, job opportunities and great name in the world sports map.

I request the Central Government to direct all the State Governments, national education boards and other educational agencies to make physical education mandatory in the curriculum.

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक विश्व प्रसिद्ध नीम करोरी धाम स्थित है। बाबा लक्ष्मण दास जो बाबा नीम करोरी के नाम पूरे विश्व में जाने जाते हैं, की जन्मस्थली फर्रुखाबाद में है और तपोस्थली भी है। यहां देश-विदेश से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। जो नीम करोरी धाम स्टेशन है और मंदिर के पास बाबा लक्ष्मणदास पुरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन है वहां यात्रियों के रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। मंदिर पर लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं और उनके लिए रुकने का कोई भी स्थान नहीं है।

मेरा माननीय रेल मंत्री और पर्यटन मंत्री जी से निवेदन है कि उस स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाए और वहां पर पर्यटकों के लिए कोई अतिथि आवास गृह बनाया जाए। इससे पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मुकेश राजपूत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Speaker Sir, I wish to raise an important issue of inter-State rail connectivity. The gauge conversion of Palakkad and Pollachi railway route was completed in 2016, involving a sum of Rs.450 crore. Prior to broad-gauge conversion, there were six pairs of trains running between Palakkad and Pollachi. Now only one passenger train and two express trains are running on this route. It was assured that all the trains, which were running earlier, would be restored after the broad-gauge conversion. But nothing has happened so far. It was also assured that new train would be introduced between north Kerala and Konkan areas. This section is very important as it connects many pilgrim places such as Rameswaram, Madurai, Palani, etc.

Therefore, I urge upon the hon. Minister to restore all the trains which were running between Palakkad and Pollachi prior to gauge conversion, and also introduce new trains passing through this route at the earliest. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं।

12.32 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Alleged derogatory remarks made against Tamils

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): First of all, I have to thank the Deputy Leader of the House for having agreed to allow me to speak in this House, through you, Sir.

On the other day, my leader Dr. M.K. Stalin, with great anguish, had expressed his condemnation on the remarks made by the Lieutenant Governor of Puducherry. You advised me not to take the name. What was the provocation for the Lieutenant Governor? There was no provocation. Without any provocation, she has tweeted on 30.6.2019. In her Twitter, she has expressed, 'poor governance, corrupt politician— 'politician' means, including the Members of Parliament—indifferent bureaucrats, selfish and coward people of Tamil Nadu.' This amounts that she has ridiculed the entire Tamil society. She has ridiculed the society; she has ridiculed the Government; she has ridiculed the Members of Parliament, politicians and so on. What else is this? We have been elected by those people only.

Here, the custodian of the Members of the Parliament is you, and not anybody else. The Deputy Leader of the House is very much here. He is the most responsible Minister. I know I was his colleague many times.

माननीय अध्यक्ष: वे उदार भी हैं।

SHRI T. R. BAALU: I request the hon. Deputy-Leader of the House to respond to this. Suppose, the Government endorses her views, then it means that the Government is also supporting her remarks. That is all I want to say. I would also say it to you if you do not protect me.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI RAJNATH SINGH): Speaker, Sir, when the matter was raised in Parliament by my dear friend and the hon. Member of Parliament, Shri T.R. Baalu with regard to a tweet made by the Lieutenant-Governor of Puducherry, Smt. Kiran Bedi, the MHA took its notice immediately. Thereafter, Mrs. Kiran Bedi had expressed deep regret in the following words:

“What was written was a people’s perspective, shared in my personal capacity, as it came, at a time, when people were hugely suffering for want of water in Chennai.” ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): A Lieutenant-Governor cannot express a personal opinion. ...(*Interruptions*) Lieutenant-Governor is a Constitutional Head. ...(*Interruptions*)

SHRI RAJNATH SINGH: Please listen to me. ...(*Interruptions*)

“...However, I admit that it was avoidable and I should not have shared it in public in this manner.”

She has accepted it. She further mentioned:

“I too realize it. I have therefore deleted my sharing. I have the highest regard and warmth for the people of Tamil Nadu like I have for the people of Puducherry, the Union Territory, whom I have been serving with utmost devotion over last three years and they too have given me maximum support and trust. I have never wished to hurt anyone’s feelings. I deeply regret, if any hurt caused.”

Mr. Speaker, Sir, in the light of the words expressed by the Lieutenant-Governor, Puducherry, I would like to request the Members of this House to put this issue at rest. ...(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Lieutenant-Governor of Puducherry, a representative of the people has humiliated the people of Tamil Nadu and the people of Puducherry in such an outrageous manner that the House should adopt a resolution to remove her from the post that she is now holding. ...(*Interruptions*) Sir, this is our demand. The House should adopt a resolution. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हनुमान बेनीवालजी की बात रिकॉर्ड में जाएगी और किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपके नेता ने बोल लिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बेनीवालजी, आप अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : माननीय अध्यक्ष, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी।...(व्यवधान)

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल कैबिनेट की बैठक में 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया। कांग्रेस के लोगों ने तो 50 साल में खाली बात की है। मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपये किसानों के खातों में गए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि पहली बार देश में कर्जमाफी के लिए जो किसान आंदोलित थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना बनी।

* Not recorded.

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने आंशिक रूप से लागू की।...(व्यवधान)

मैं राजस्थान के किसानों के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 2018 में रबी फसल, चना व सरसों की समस्त भण्डारण रसीदें नेफेड को उपलब्ध करा दी थीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी व्यवस्था देता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए, मैं व्यवस्था देता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: नेफेड द्वारा 54825.69 करोड़ रुपये के विरुद्ध 4733.20 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई। 92.94 करोड़ रुपये की राशि अब भी बकाया है, दिल्ली सरकार वह पैसा राजस्थान सरकार को भेजेगी।

इसी प्रकार खरीफ फसल में मूंग, उड़द और सोयाबीन के लिए नेफेड द्वारा 3030.32 करोड़ के विरुद्ध 3000.14 करोड़ रुपये ही जारी किए गए।

इस प्रकार 122.67 करोड़ की कुल राशि नेफेड से प्राप्त होना बाकी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त राशि को शीघ्रता से राजफेड राजस्थान को जारी करे ताकि किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का भुगतान उन्हें मिल सके और जिला सहकारी संस्था उन्हें समर्थन मूल्य पर खरीद क्रय एजेंसी के रूप में जो कार्य किया, उनकी बकाया राशि भी उन्हें मिल सके। किसानों के हित में, जिन संस्थानों ने खरीद का जिम्मा उठाया, उन संस्थाओं की भी राशि रुकने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी। साथ में, अनुरोध करता हूँ कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि किसान जिस दिन समर्थन मूल्य पर उपज बेचे तीन दिन के अंदर उसके खाते में पैसा चला जाए। ...(व्यवधान) 11 मार्च 2019 को राजस्थान के प्रमुख सहकारिता सचिव ने नेफेड के एमडी नई दिल्ली को पत्र भी लिखा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी जो नए माननीय सदस्य हैं, उनके लिए प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: अध्यक्ष जी, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि राजस्थान सरकार का जो केंद्र में समर्थन मूल्य का पैसा बकाया है, नेफेड राजफेड को जारी करे ताकि किसानों के बकायों का भुगतान हो सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं नए माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आपस में संवाद न करें और मैं माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि बिना तथ्य, बिना प्रमाण के किसी पर आरोप-प्रत्यारोप इस सदन में करने का प्रयास न करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री एम.देवजी पटेल और श्री उदय प्रताप सिंह को श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो कांग्रेस सरकार के बारे में कहा है उसे एक्सपंज किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोल दिया, मैंने व्यवस्था दे दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस सदन के अंदर जिस तरीके की हमारी गरिमा है, हम सदन की गरिमा से चलाएं, इसलिए नए माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम शुरू किया है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया सदन के अंदर बिना तथ्य, बिना प्रमाण के आरोप न लगाएं । अपनी बात कहें, अपनी समस्याओं के बारे में कहें, लोगों के अभावों के बारे में कहें, लेकिन किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं देख लूंगा । माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है ।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठे-बैठे मत बोलिए ।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आज बोलना चाहता हूँ । विदेशों में जो दूतावास हैं, चूंकि लाखों भारतीय विदेशों में बसते हैं, उनको सुविधा देने के लिए, अगर कोई दिक्कत आए तो उनकी दिक्कतों को ठीक करने के लिए बनाए गए हैं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप प्लीज बैठ जाइए । आपने जीरो आवर में जो विषय दिया है, अगर आपको विषय बदलना है तो आप मुझसे परमीशन लीजिए । आपका विषय Regarding deduction in salary of teachers in Punjab के बारे में है । माननीय सदस्य, मैं पढ़ा-लिखा अध्यक्ष हूँ ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी माननीय सदस्य जीरो आवर के अंदर अपने विषय को परिवर्तन करना चाहता है, तो आप परमीशन लीजिए, मैं आपको परमीशन दूंगा ।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : क्या मैं इस विषय पर बोल सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष: हां, आपको परमीशन दी जाती है ।

श्री भगवंत मान : विदेशों में जो लाखों की गिनती में भारतीय बसते हैं, उनमें पंजाबी भी बहुत ज्यादा हैं। वहां जो दूतावास हैं, वे भारतीयों को सुविधा देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, वे उनको दिक्कतें पैदा कर रही हैं। अगर पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट को रिन्यू कराना है या पोलिटिकल असाइलम का केस है तो वे दिक्कत करते हैं। सऊदी अरब, जहां शरियत के कानून हैं, सऊदी अरब में जो एजेंट हैं, वे सपने दिखाकर यहां से भारतीयों को ले जाते हैं, खास तौर से पंजाबियों को। वे वहां जाकर फंस जाते हैं, उनको स्लेव बना लिया जाता है। जब वे कोई न कोई, किसी न किसी कारण से निकल जाते हैं उनकी कैद से, जब वे भारतीय दूतावास में पहुंचते हैं तो दूतावास वाले कहते हैं कि जहां से आए हो, वहां से एनओसी लेकर आओ। How is it possible?

यह कैसे संभव है कि जिसकी कैद से बचकर आए है, वहां से एन.ओ.सी. कैसे मिल सकती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यूरोप, अमेरिका, और कनाडा में पासपोर्ट बनाने की यही शिकायतें आ रही हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल एसाइलम उनके बच्चों के पासपोर्ट बनाने के लिए लिया तो यह रिश्त बंद होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): धन्यवाद स्पीकर महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बोलने जा रहा हूँ, जो देश में सब्सटेन्स अब्यूज, ड्रग अब्यूज और नशे का जो एपिडेमिक सारे देश में फैल रहा है, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ।

स्पीकर महोदय, मैं जिस प्रांत से आता हूँ, हमने 1980 के दशक में प्रोक्सी वार पाकिस्तान से टैरिज्म के साथ से लड़ाई लड़ी। जो हमारे 35 हजार बेगुनाह लोग थे, वे टैरिज्म में मारे गए और अब पिछले दशक से हम नार्को-टैरिज्म से लड़ाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत गंभीर मसला है। बेशक हमारी सरकार के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह है, वे बड़े सख्त हाथों से इस समस्या का हल निकाल रहे हैं, इस पर काबू कर रहे हैं। जो 33 हजार पैडलर हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है, लेकिन यह समस्या सिर्फ पंजाब की नहीं है। आज हम रोज रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, अभी 2700 करोड़ की जो रिकवरी हुई है। There are reports with captions, like "How

drugs from Pakistan are ruining Jammu gennext? Is Bangalore emerging as India's drug capital?" ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका विषय गंभीर है।

डॉ. एस. टी. हसन ।

श्री संतोख सिंह चौधरी : सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। There is one more report under the heading - "Is Shimla set to be the new drug capital of the country?" मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत गंभीर समस्या है। ये जो स्टेट्स हैं, उसको अकेले टैकल नहीं कर सकतीं, इसके लिए एक बड़ी मजबूत नेशनल ड्रग्स पॉलिसी की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, हमारे मुख्य मंत्री होम मिनिस्टर से भी मिलकर गए हैं और उन्होंने भी यह रिक्वेस्ट की है कि आज अगर इसको रोका नहीं गया तो यह जो एपिडेमिक है, यह देश को तबाह कर देगा। देश की आने वाली जनरेशन्स को खत्म कर देगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही जटिल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। एन.जी.टी. के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से स्लाटर हाउसेज उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के बंद कर दिए हैं, जिनकी आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। मुरादाबाद का स्लाटर हाउस 31 दिसंबर, 2013 को बंद किया गया। साढ़े पांच साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, लोग बेरोजगार हो गए। इनकी जीविका चलाने के लिए ये भुखमरी के कगार पर आ गए।

अध्यक्ष जी, अगर ये कहीं से मीट लेकर आते हैं और बेचते हैं तो पुलिस का टार्चर झेलते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जब तक मॉडल स्लाटर हाउस एस्टेब्लिश हो,

तब तक इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि इन लोगों का रोजगार चल सके और कन्ज्यूमर्स को उसका फूड मिल सके।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बहुत ही गंभीर समस्या की ओर इस सभागृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो नदियां वालधुनी और उल्लास हैं, जो 50 लाख लोगों की प्यास बुझाने का काम करती हैं। लेकिन आज वालधुनी नदी नाले का रूप ले चुकी है और उल्लास नदी भी प्रदूषित हो चुकी है। यह नदियां 5 शहरों से होकर गुजरती हैं। नदियों के दूषित होने का कारण यह है कि शहरों के अनट्रिटेड सीवरेज वॉटर इन नदियों में जाकर मिल जाते हैं। वहां के सभी जल स्रोत भी दूषित हो चुके हैं, जिससे पानी की बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को और नगरपालिकाओं को आदेश दिया है कि इसका प्रदूषण जल्द से जल्द रोका जाए, लेकिन पैसे की कमी के कारण इस नदी प्रदूषण से निपटने के लिए यहां की नगरपालिकाएं असमर्थ हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जलशक्ति मंत्रालय को यह निवेदन करता हूँ कि जैसे गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे की स्थापना की और 20 हजार करोड़ के बजट में प्रावधान किया, उसी तरह इन दोनों नदियों के लिए भी जलशक्ति मंत्रालय प्रावधान करे।

मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि इस नदी प्रदूषण को रोकने के लिए थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग का काम नीरी जैसी संस्था को दें और एमआईडीसी, नगरपालिका आदि संस्थाएं नीरी को रिपोर्ट करें और जल्द से जल्द इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करें।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, भारत की सबसे प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली बनास नदी, जो मूलतः एक बरसाती नदी है, जिस पर खारी, डाई एवं बनास के त्रिवेणी संगम से आगे डाउनस्ट्रीम में बीसलपुर डैम का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ। नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 48,018 वर्ग किलोमीटर है एवं

बीसलपुर बांध स्तर तक कुल जल ग्रहण 27,726 किलोमीटर है। बांध की नदी तल की सतह 27.50 मीटर है, इसकी कुल भराव क्षमता 38.70 टी.एम.सी. है। पूर्ण भराव की स्थिति में वाष्पीकरण के पश्चात् शेष उपयोगी क्षमता 24.20 टी.एम.सी. रही है, जिसमें से 16.20 टी.एम.सी. अजमेर और जयपुर जिले की पेयजल व्यवस्था हेतु निर्धारित है। अतः केवल पेयजल के मामले में इस बांध से उपलब्ध होने वाला पानी लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी व वर्षा न होने के कारण वर्तमान में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र के टोंक जिले में बनास नदी, जो एक बरसाती नदी है, में बीसलपुर बांध से विभिन्न जिलों जैसे अजमेर, जयपुर, टोंक, ब्यावर और दौसा आदि का जल की आपूर्ति की जाती है, वह भी सूखने की कगार पर है एवं अधिकांश जिलों को 48 घण्टे के अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न हो चुका है। बांध निर्माण से लेकर आज तक उसकी सफाई न होने के कारण गाद जमा हो चुकी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप पढ़कर नहीं बोलें।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : गाद को अतिशीघ्र साफ करना आवश्यक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिल्ट की गणना हेतु सर्वे कराया गया है। स्थानीय राजस्थान सरकार द्वारा इसे ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम के माध्यम से करवाया जाना है और बाद में डिसिल्टिंग का कार्य राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स कारपोरेशन के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित बताया गया है। यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाना परम आवश्यक है। अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जलशक्ति मंत्री इसे तुरंत साफ कराएं, ताकि सभी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति हो सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री राम चरण बोहरा को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, नियम 377 के अंदर यह व्यवस्था है कि पढ़कर बोलें। अगर आप जीरो आवर में बोलना चाहते हैं तो संक्षिप्त में लिखकर लेकर आएँ। मेरा पुनः आपसे यह आग्रह है, ताकि अधिकतम माननीय सदस्यों को मौका मिल सके।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में 25 से 30 प्रतिशत बीहड़ का क्षेत्र है, जिसे पारपट्टी के नाम से जाना जाता है। उसमें इटावा, भिंड, जालौन, कानपुर, औरैया आदि कई जिले आते हैं। उसके बीच में एक पचनद है, जहाँ पर पांच नदियों का मिलन होता है। चम्बल, यमुना, सिंध, पहुज और क्वारी, ये पांच नदियाँ मिलकर पचनद बनाती हैं। पचनद एक ऐसा स्थान है, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकत्रित होता है। वहाँ की जनता की लम्बे समय से मांग है कि वहाँ पर एक बैराज बनाया जाए। वहाँ पानी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है कि वहाँ एक बैराज बनाकर, वहाँ से छः छोटी नहरें निकालने की व्यवस्था की गई है, जिससे बीहड़ का क्षेत्र, जहाँ पर किसान खेती नहीं कर पाते हैं, वे खेती कर सकें और पूरे बीहड़ क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, उससे वहाँ मुक्ति मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 2600 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए बनाया है और यह विषय प्रोसेस में है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इसे शीघ्रताशीघ्र स्वीकृति देकर, इस पचनद परियोजना को पूरा किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को डॉ. रामशंकर कठेरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): महोदय, मैं कोकराझार, असम के एक सीरियस एंड इम्पोर्टेंट इश्यू, डी-वोटर पर बोलना चाहता हूँ। यहाँ सभी को पता है कि असम में एक डी-वोटर इश्यू है। वहाँ बहुत सारे सिटीजन्स को डी-वोटर बनाया गया है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके पास सिटीजनशिप के सारे डाक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको डी-वोटर बनाया गया है और जब वे ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह न्याय नहीं मिलता है। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स,

आपके माध्यम से, सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पहला मामला एमएलए कांस्टीट्यूटिवी बिजनी का विष्णुपुर का है।

मधुबाला मंडल नाम की एक लड़की, जिसकी सिर्फ एक बेटी थी, वह कुछ बोल नहीं सकती थी। वह तीन साल डिटेंशन कैंप में बिता कर आई है। वह इतनी गरीब है कि उसके पास कुछ नहीं है। उसकी गलती यह है कि वह मधुबाला मंडल है, लेकिन मधुबाला दास के नाम पर एक केस था। लगभग चार महीने पहले मेरे अपने गांव के पीछे के गाँव डिमलापार के बिनय चांद, उसके भैया को न्याय मिला है, वह सिटिजन बन गया है, लेकिन फिर उसकी मम्मी का डी वोटर का केस आ गया। वह केस ट्रिब्यूनल में चला गया। उनकी घर की सारी प्रॉपर्टी चली गई। उसने आत्महत्या कर ली।

तीसरा मामला कला भांगा बरपेटा रोड का है। अमृत दास डिटेंशन कैंप में तीन साल के बाद मर गया। हम उसके घर में गए थे। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सनाउल्लाह के बारे में सभी को पता है। हम आपके जरिए सरकार से मांग करते हैं कि जितने सारे डी वोटर हैं, जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एक बार सेन्ट्रल और स्टेट से रिवेरिफिकेशन किया जाए और उनको वहां से बाहर किया जाए।... (व्यवधान)

सेकेंड पॉइंट यह है कि जिसको तीन साल बिताना पड़ा, जिसको ऐसे ही मारा गया, उसको 50 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार पटेल साहब की कर्मभूमि बारदौली गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल साहब कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, सरदार साहब के व्यक्तित्व के ऊंचाई के अनुरूप 182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की स्वप्न दृष्टि से गुजरात के नर्मदा जिले में निर्मित हुई है। यहां देश-विदेश से पर्यटकों का आवागमन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। पर्यटकों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना, हम सभी की जिम्मेदारी है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों को भी सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रहपूर्वक मांग करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते हुए देश का पहला रेलवे का विश्वविद्यालय, बड़ोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर को जोड़ते हुए मांडवी होकर, पर्यटक स्थल सापुतारा और जहां कुंभ मेला लगता है, ऐसे पवित्र स्थान गोदावरी तक, नासिक से सबका मालिक एक साईं बाबा, शिरडी तक नई रेलवे लाइन बिछाने की मैं मांग करता हूँ, जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्रों का ज्यादा विकास हो पाएगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री देवजी एम. पटेल को श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपानाथ मल्लाह (करीमगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं असम से चुन कर आया हूँ और करीमगंज मेरा संसदीय क्षेत्र है। मेरा विषय नेशनल हाईवे से संबंधित है। सर, मेरे क्षेत्र में एक नेशनल हाईवे एनएच-44 है, अभी उसका नया नाम एनएच-8 है। वह रास्ता गुवाहाटी से थ्रू करीमगंज त्रिपुरा को जाता है और करीमगंज का पोर्शन बहुत खराब है। दो साल पहले एक कंपनी को काम दिया गया था, लेकिन उसका प्रोग्रेस नहीं था, जिसके कारण उसको कैंसिल कर दिया गया और आज तक दूसरी कि सी कंपनी को काम नहीं दिया गया। वह रास्ता बहुत खराब है। त्रिपुरा का कनेक्शन उसी रोड से है। वही एक रोड है जो त्रिपुरा को कनेक्ट करती है। त्रिपुरा का सारा सामान और गाड़ियां उसी रास्ते से जाती हैं। बारिश होने पर तीन-चार दिन रास्ता बंद हो जाता है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस रास्ते का काम जल्द से जल्द करवाएं, नहीं तो त्रिपुरा और मेरा करीमगंज क्षेत्र दोनों की हालत खराब है।

मैं अपने मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वह 29 जनवरी, 2017 को गुवाहाटी गए थे। वहां ब्रिज का उद्घाटन हुआ और असम से नए-नए एनएच डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल आए थे तो वहां पांच-छः रास्तों का डिक्लरेशन हुआ था। उसमें दो रास्ते हमारे संसदीय क्षेत्र के हैं।

13.00 hrs

एक रास्ता बदरपुर घाट से लेकर एंगक्ता, दुल्लभ चेरा, मामीत बाज़ार, जो मिजोरम से जाता है और एक सिल्चर हेलाकांदी से रामकृष्ण नगर होते हुए केनाई बाज़ार तक एनएच-44 है। ढाई साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक डीपीआर नहीं हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द डीपीआर बनाकर इस काम को शुरू किया जाए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रास्ते हैं। एक रास्ता मिजोरम से कनेक्ट करता है और एक रास्ता सिल्चर से एनएच-44 को कनेक्ट करता है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, हमारे सदन में सबसे कम उम्र की चुनकर आने वाली माननीय सदस्या से मैं आग्रह करूंगा कि वे शून्य काल में बोलें। मैंने उन्हें बुलाकर व्यक्तिगत आग्रह किया कि वे शून्य काल के समय सदन में अपनी बात रखें।

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु।

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु (क्योंझर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है। मैं पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आई हूँ। मैं संसद भवन में उपस्थित सभी सांसदों और सारे विश्ववासियों को पवित्र 'रथ यात्रा' के पावन अवसर पर बहुत-बहुत बधाई भी देती हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सांसदों, इस्पात मंत्रालय तथा सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र क्योंझर, ओडिशा है, यह प्राकृतिक सम्पदा से भरा हुआ जिला है। यहां से आयरन ओर देश के विभिन्न हिस्सों में तथा देश के बाहर भी सप्लाई किया जाता है, जिससे कि सरकार को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता आ रहा है। मेरे

क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी रहते हैं, जो कि जंगल की लकड़ी या द्रव्यों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन माइनिंग के कारण उन्हें दूसरे जिलों या राज्यों में काम ढूँढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में एक स्टील प्लांट बनाने के लिए सारे प्रावधान हैं। राँ मैटीरियल से मेरा संसदीय क्षेत्र भरा पड़ा है। यदि मेरे क्षेत्र में स्टील प्लांट बनाया जाता है, तो बहुत सारी जॉब ओपोरच्युनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। इससे इस जिले के साथ-साथ बाहर के दूसरे जिलों या राज्यों के शिक्षित, अशिक्षित तथा अर्द्धशिक्षित सारे वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी एवं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह ओडिशा के राउरकेला में केंद्र सरकार के माध्यम से एक स्टील प्लांट बनाया गया है, उसी तरह कर्नाटक में एक मेगा स्टील प्लांट केंद्र सरकार के माध्यम से बनाया जाए और जिलेवासियों को उनका हक दिलाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को कुमारी चन्द्राणी मुर्मु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती प्रमिला बिसाई। माननीय सदस्यो, प्रमिला बिसाई जी वह सदस्या हैं, जो एक ही गांव में 70 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्यों को सिखाने का काम करती हैं।

*** SHRIMATI PRAMILA BISOYI (ASKA):** Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in this august House for the first time. Today I want to raise a very important issue regarding women empowerment. In September 2018, the central government increased the honorarium of Asha Karmis and Anganwadi workers to Rs.4500/- . Sir, through you I want to empharize here that this hike is very insufficient. Women who work at the

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

grassroots level deserve respect and a decent remuneration. Hence, through you I place my demand that the honorarium of Asha Karmis & Angawadi workers be raised to Rs.15000/- and that of the Sahayak's (Assistants) should be increased to Rs.12000/- Lastly I wish to extend my heartiest greetings to all the Hon. Members on the auspicious occasion of Rathyatra. Jai Jagannatha, Jai Odisha.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, first of all, I would like to wish a happy '*Rath Yatra*' to all the hon. Members present here.

Sir, I would like to raise an important issue of my constituency of Jajpur, Odisha. There is a long pending demand for construction of a railway line from Jajpur-Keonjhar Road to Dhamra Port via Jajpur and Aradi with a total distance of 95 km.

It is worthwhile to mention here that Biraja Kshetra in Jajpur District is one of the most important Shakti Kshetras and pilgrimages in India like Dwarka and Kashi in Varanasi. Sir, a large number of pilgrims visit this area throughout the year. The construction of a railway line will help in developing religious eco-tourism projects also. Further, it will help create a financial source to the people in Jajpur through linking of Kalinganagar with Dhamra Port as a part of fourth generation of industrialisation. Though a demand has been made by the State Government, including several memorandums and railway budget proposals made by the hon. Chief Minister emphasising the importance of this railway line project, no progress has been made so far.

Through you, Sir, I request the Minister of Railways for commencement and completion of the proposed extension of railway line from Jajpur-Keonjhar Road Station to Dhamra Port Station.

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली में बंद पड़े मोतीपुर और गोरौल चीनी मिलों के बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उक्त दोनों चीनी मिलें 15-16 वर्षों से बंद पड़ी हैं। इसके कारण वहाँ के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करते हुए दोनों चीनी मिलों को शीघ्र चालू करने की माँग करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती वीणा देवी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती कविता मलोथू (महबूबाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस संसद में मुझे पहली बार अपनी बात कहने का मौका आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

मैं तेलंगाना राज्य के महबूबाबाद संसदीय क्षेत्र की सांसद हूँ। यहाँ की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। आज बड़े गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि उस प्रांत से सांसद बनने वाली मैं पहली अनुसूचित जनजाति की महिला हूँ। मैं इसका सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव जी को देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे बड़ी आशा के साथ भारी बहुमत से जिताकर सांसद बनाकर भेजा है। अब मेरा फ़र्ज

है कि मैं महबूबाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास और खास करके अनुसूचित जनजातियों के विकास पर जोर दूँ।

इस संबंध में, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिवीजन के वक्त केन्द्र सरकार ने तेलंगाना राज्य के हित में कई वायदे किये थे, जिनमें से एक वायदा मेरे संसदीय क्षेत्र के बय्यारम में इस्पात का कारखाना स्थापित करना था, जो विभाजन के छह साल बाद भी अधूरा है। बय्यारम इस्पात कारखाना लगने से कम-से-कम 20 हजार लोगों को काम मिल सकता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलेगा।

लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहती हूँ कि आज तक अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की बेरोजगारी को हटाने और युवाओं के विकास के लिए बय्यारम इस्पात कारखाना चालू करने के साथ ही वहाँ मध्यम और लघु उद्योगों की स्थापना की जाए।

महोदय, आज मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव जी आदिवासियों और बंजारों की समस्याओं को हटाने के लिए बहुत-से काम कर रहे हैं। कल मुझसे एक एम.पी. बात कर रहे थे, कुछ भी काम हो, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती कविता मलोथू द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता (पेड्डापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारे जैसे युवा और नये सांसदों को बात करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

Under the leadership of hon. Chief Minister of Telangana Chandrasekhara Rao Ji, I rise to state that the issue of *Adivasis* is a burning issue in the State of Telangana. However, our hon. Chief Minister has been doing a remarkable work to sort out the issue. It comes under LTR 1/70, Sir. In this context I would request the authorities concerned in the Government to give necessary records, necessary demarcation methods, and necessary mechanism to sort out the issue in the State of Telangana.

DR. RAJASHREE MALLICK (JAGATSINGHPUR): Hon. Speaker, Sir, I am very much grateful to you as I have been allowed to speak a few words during the 'Zero Hour'. I have been elected as an MP from Jagatsinghpur District for the first time.

Sir, there is a need to start work on National Highway 55 from Cuttack to Naugaon. Our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik Ji is very keen on working for the development of Odisha. That is why he has proposed for the upgradation of this road and has given a proposal to the Central Government for providing necessary facilities on National Highway 55 from Cuttack to Naugaon. Earlier it was a State Highway with single road with a level crossing on it. Subsequently it was converted into National Highway 55. Due to heavy traffic, frequent accidents take place on this road. Also, owing to traffic

congestion, ambulances do not have a free passage on it. An overbridge is also required to be constructed at the level crossing to minimise the mishaps. So, I would urge upon the Government to initiate work for providing necessary facilities on this road to make it a modern National Highway. Thank you, Sir.

सर, आज रथ यात्रा का शुभ अवसर है। मैं सबको इस पवित्र पर्व की शुभकामनाएं देती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: ये सभी वे माननीय सदस्य हैं, जो पहली बार सदन में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I thank you, Sir, for allowing them to break the ice.

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी, अध्यक्ष और गृह मंत्री अमितभाई शाह और पूरे मंत्रिमंडल का आभार मानता हूं। मैं गुजरात के आनंद क्षेत्र से आता हूं, जो कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मभूमि है। वहां अमूल डेयरी भी है। हमारी सरकार पहले ही किसानों की आय दोगुनी करने का निर्णय ले चुकी है। सरकार ने कुछ दिन पहले किसानों को एक वर्ष में 6 हजार रुपये देने की घोषणा की, तो तुरंत ही किसानों के खातों में 4 हजार रुपये पहुंचा दिए गए। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और उनको प्रसन्नता हुई है। उन्हें यह विश्वास हो गया है कि सरकार उनके हित में काम करने का विचार रखती है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों को खाद्य, बीज तथा खेती उपकरण तथा फर्टिलाइजर खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में उनकी सहायता कर रही है,

किंतु परोक्ष रूप से होने के कारण उनको यह महसूस नहीं होता कि सरकार उनकी मदद कर रही है। किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, वह उनको तुरंत नहीं मिलती है, बीच में बिचौलिये लोग भी हैं। मेरी मांग है कि सरकार द्वारा उक्त सब्सिडी को बंद कर के उनके खर्च की धनराशि को डायरेक्ट उनके खाते में डाला जाए। जो 6 हजार रुपये उन्हें मिल रहे हैं, यह धनराशि उन्हें अगर डायरेक्ट खाते में मिल जाए, तो किसानों को प्रसन्ता होगी।

अतः मैं माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री से मांग करता हूं कि सभी सब्सिडीज़ को बंद कर के किसानों के खाते में इस राशि को जमा करने का कष्ट करें, ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे खर्च कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मितेश पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR):** Hon. Speaker Sir, I convey my gratitude to you and all other respected members on behalf of my state. I thank Hon. Speaker as you have given me the opportunity to speak as I am a new member. The lives of people are at the brink of collapse because of the Ganga Bhagirathi erosion in many areas of Murshidabad, Malda and Nadia. Their existence is at stake. The erosion of river has devastating effect on the houses, agricultural tracts, educational institutions, livelihoods of thousands of people. People have lost everything today. The previous government had allocated some funds together with the state government, to control the menace of erosion. As a result the work of 40 km above and 80 km below the Farakka barrage was to be completed. But unfortunately, though the work was entrusted with the Farakka Barrage Authority, it did little work and then stopped it. Thus Ganga erosion is still going on. Compensation is generally paid for natural disasters like flood, drought, cyclone etc. But the people affected by Ganga erosion are never compensated or rehabilitated Sir, through you I urge upon the concerned minister to pay compensation to and arrange for rehabilitation of the affected persons. Steps should also be taken immediately to arrest erosion. Sir, few days back, some people from Raghunathganj assembly constituency's Giriya area came to me and said that though a little work has been done there, but whenever there is flood, many school buildings and some villages are washed away. So steps must be taken to deal with this

* English translation of speech originally delivered in Bengali.

problem. Sir kindly look into the matter. Lakhs of people will be benefitted and they will praise you wholeheartedly.

Thank you.

SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL): Hon. Speaker, Sir, Tamil Nadu Poultry Farmers Association is an apex body of poultry farmers from across Tamil Nadu, especially, Namakkal, Erode, Palladam and Pollachi. This includes layer, broilers and breeder farms.

Tamil Nadu layer poultry farms have close to 5-crore laying hens which produce 4-crore eggs every day and also has a broiler placement of 4.5 crore chicks every month which is 20 per cent and 15 per cent of India's market share respectively.

Poultry industry in Tamil Nadu employs directly and indirectly more than 20 lakh people in rural areas. At national level, poultry industry contributes close to Rs. 70,000 crore to the GNP of our country.

All over India, poultry farmers are facing a very critical situation currently due to shortage of basic raw material especially, maize. Drought and pest attack across India and also the failure of North-East monsoon and South-West monsoon led to non-availability of maize throughout the year. Since, maize is a major ingredient in poultry feed, poultry farmers are facing a huge financial loss due to unavailability of maize which will lead to higher cost of egg production and unemployment in India.

We have earlier requested the former hon. Minister Shri Radha Mohan Singh for import of 10 lakh tonnes of maize with zero duty for poultry farmers. We have got approval from DGFT to import 1 lakh metric tonnes of maize with 15 per cent tax and the order was released on April 3, 2019, Order No. 02/2019. But, till date, the global tender was not released for bidding. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यहां पर कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री बैठे हैं।

SHRI A. K. P. CHINRAJ: We humbly request the hon. Commerce Minister to approve the import of 10 lakh tonnes of maize with zero duty for poultry farmers. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नये सदस्यों को बोलने दें।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): At least, two Cabinet Ministers must be present in the House. Otherwise, what is the point? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं नियम की किताब बता दूंगा। यह शून्य काल चल रहा है।

*** SHRI MOHAMMAD SADIQUE (FARIDKOT):** Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this important subject. I have been elected as a Member of Parliament from Punjab for the first time. I thank our Hon. Chief Minister Captain Amarinder Singh Ji and our High Command Shri Rahul Gandhi ji and Madam Sonia Gandhi ji. I also pay my obeisance to the great land of Faridkot.

I have a question. The work on the road from Ludhiana to Talwandi started in 2011. It was to be completed by 2014. However, it could not be completed. People were so fed up that they filed a case against the contractor. He promised that he will complete the road by 2017.

However, half the year of 2019 too is over, the road is yet to be completed. Sir, over 780 accidents have taken place on this stretch which is a matter of grief. Sir, people in Punjab believe in family planning. They have one child per family and when that child dies in a road accident, the entire family suffers and they are left with no future.

So, Sir, I urge upon the Hon. Surface Transport Minister to get completed this NH-95 road at the earliest. Sir, completion of this road is in the national interest as this road leads to Husainiwala and the army tracks and convoy pass through this stretch. Hence, this is a crucial road as far as our security is concerned. So, this road may kindly be completed at the earliest.

Jai Hind.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य भी सूफी गाने गाते हैं।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Speaker, Sir, I represent the Hindupur Parliamentary constituency in Andhra Pradesh. I would like to thank you, our hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy for giving me an opportunity to contest the election and the people of my constituency for voting me to represent them in this august House.

Our constituency is subjected to agrarian crisis resulting in migration of farmers to faraway cities and sending the domesticated animals which are an integral part of our life and culture like oxen to *Kabelas*. There are two reasons for our agrarian crisis. One is the curse of the nature and the other is the indifferent attitude of the earlier Governments. I request the Government to include work in agricultural farms under NREGS which will serve the farmers and coolies. One is that the farmers will get Government-sponsored labour and the other is that employment would be created.

Another issue which needs the immediate attention of the Government is proper implementation of Right to Education in rural area. Agrarian crisis leads to migration resulting in school drop-outs. This is where the children are being turned into anti-social elements. Here it is relevant to recall a Telugu saying, "*Mokkai vanganidi manai vanguna*" which means, "Will he respect the elders of the day, if he is not doing it as a child?" Most of the anti-social elements are the school dropouts. Instead of spending crores of rupees on fighting terrorism and anti-social elements, it is better to implement free and compulsory

education effectively in such a way that no child is left outside the school. I happen to see many school dropouts roaming the streets.

I speak with great urgency. My region has a very high incidence of poverty, malnutrition, poor health outcomes and high illiteracy. Being a semi-arid region, the incomes from agriculture are very low and no work is currently available in the non-farm sector. This is pushing people towards desperation and with a heavy heart I say that women are being pushed into flesh trade as a result. Prostitution is happening even in places very close to New Delhi. ...*(Interruptions)* Prostitution and women trafficking are the results of agrarian crisis. Though our constituency is the worst sufferer of these effects, we cannot rule them out in all the poverty-ridden regions across the country. It is an open secret that the women of India migrating to the Gulf are being subjected to sexual exploitation and harassment. Let me quote a poem written by Vemana, a medieval Telugu poet:

*“Medipandu chuda melimai yundunu
potta vippi chuda purugulundu
piriki vani madini binka meelaaguraa
Viswadhaabhiraama, vinura Vema”*

The equal English saying for this Telugu poem is, “All that glitters is not gold.”

माननीय अध्यक्ष: आप लास्ट पैरा पढ़ दीजिए।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV : To overcome this issue and to prove that women are considered to be the Goddesses of Bharathavani and to realise India's proudest saying: "*Yatra naryastu pujanya, ramante thatra Devata*", the Government needs to pay much more serious attention to the issue.

Thank you for giving me this opportunity.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री होरेन सिंह बे स्वयं चाय बागान में मजदूर के रूप में काम करते थे और आज माननीय सांसद के रूप में यहां हैं।

SHRI HOREN SING BEY (AUTONOMOUS DISTRICT): Thank you very much, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity to deliver my maiden speech.

I rise to bring to the notice of this august House the long-standing political issue of the constituency I represent. The No. 3 Autonomous District ST Parliamentary constituency is a fully scheduled area administered by two Autonomous Councils under the Sixth Schedule to the Constitution of India. They are the Karbi-Anglong Autonomous Council and the North Cachar Hills Autonomous Council. These Councils are not mere district Councils but function like mini States with wide ranging executive and legislative powers which normally the State Governments exercise. The Government of Assam has a minimal role as far as development matters in these areas are concerned

but the Councils themselves do not enjoy the status and financial resources of a normal State. This means that the Councils have assumed the responsibilities of a State but agencies like the NITI Aayog and the Finance Commission have no mandate to make exclusive grants and allocations for these areas. As a result, these Councils are at present facing 70 per cent revenue deficit and at Rs. 3,900, Karbi-Anglong has the lowest per capita Plan investment in the entire North-East. This unique contradiction could not be resolved during the past forty years, causing unmitigated civil strife, conflicts, and violence. Subsequent peace accords like the Tripartite MoU in 1995 and the MoS in 2011 only devolved more executive and legislative powers from the State to the Councils without allowing commensurate revenue sources.

The solution is provided in the Constitution itself and it has been there since 1969 in the form of Article 244 (A) which provides for establishment of an Autonomous State comprising of the two hill areas within the State of Assam. This provision would not only devolve executive and legislative powers of the State to the Councils without disturbing the territorial integrity but would also permit the Centre to apportion the resources of the State between the State and the Councils and also receive their entitlements from the Finance Commission. The BJP leaders have been consistently supporting the implementation of Article 244 (A) as evident from the fact that the former Deputy Prime Minister Shri L.K. Advani, while addressing the public at Kheroni Tinali in 2004, declared that if BJP came to power, they would consider implementation of the constitutional provision. In 2009, in the election campaign

at Dokmoka, Shri Rajnath Singh, then Party President also announced that the BJP would earnestly consider the demand for the implementation of Article 244 (A).

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि शून्य काल में संक्षिप्त में अपनी बात रखने का प्रयास करें।

13.24 hrs

NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने डॉ. काकोली घोष दस्तीदार को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया है।

SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): Thank you so much, Speaker, Sir.

My concern is about the recent vicious attacks on doctors, especially in the Government hospitals. This is happening all over the country. This is being inspired by the recent Kolkata incident which took place on the 1st of June.

On 17th of June, around eight lakh doctors, from across the country, walked out on streets in support of the All India Strike. According to the Indian Medical Association, 40 per cent of medical practitioners go through this harassment. They suffer assault in their life time and 75 per cent doctors also face this kind of a physical abuse.

For saving the life of a patient, a doctor goes through very stressful conditions. They may have to go through even 48 hours of hardship. Truly, they are our super heroes as well as a national asset. So, this sort of incident should not take place.

13.31 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

हमेशा हम लोग अपने देश में भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और उसके साथ ही साथ डॉक्टरों के ऊपर भी समान रूप से उतना ही भरोसा करते हैं। Doctors treat persons irrespective of their caste, creed or religion. They do not see their financial or social status. Their only concern is to take out their patients from the misery that they are suffering.

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ।

This is the way in which they work for the countrymen.

Doctor is a scarce resource in our country. In India there is one Government doctor for 10,189 people whereas, the World Health Organisation recommends one doctor for 1000 people. The country is facing a deficit of six lakh doctors. The Government should strictly regulate private hospitals and upgrade facilities in Government hospitals so as to check such attacks on doctors. We should have a strict law to protect the medical community. Indian lynch mobs have always enjoyed impunity. This is unjust, unfair and inhuman.

The Government should make rules to blacklist those who assault doctors. They should be debarred from State subsidy and other facilities including hospitals, as in China. Apart from this, a Complaint Redressal Committee should be formed in every hospital which needs to work on improving communication among doctors, hospitals, patients and their families.

I really appreciate that the hon. Health Minister has already issued a guideline and an advisory to all the States so that the doctors get out of all these problems and get a normal and good atmosphere to work in the future.

माननीय सभापति : श्री बी. वाई. राघवेन्द्र को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13.33 hrs**MATTERS UNDER RULE 377^{*}**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding battle of Pathorighat in Assam

श्री दिलीप शङ्कीया (मंगलदोई): मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदोई के डारा जिले में 28 जनवरी सन 1894 की यह घटना लोकप्रिय रूप से पथरुघटार रान (पथरुघाट की लड़ाई) के रूप में जाना जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदोई से लगभग 70 किलोमीटर दूर दरांग जिले में 118 साल पहले ब्रिटिश सैन्य पुलिस ने भीषण नरसंहार करते हुए 140 निहत्थे किसानों को मार डाला था। यह आदेश तत्कालीन जे आर बेरिंगटन, सैन्य पुलिस के कार्यवाहक कमांडेंट थे, उनके आदेश पर सैकड़ों किसानों को गोली मार दी गयी थी। इस घटना के हिंसक स्वरूप को देखते हुए इस घटना को असम के जलियांवाला बाग की घटना के रूप में जाना जाता है। "पथरीघाट का नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड जितना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पाथरीघाट की घटना सबसे बड़ी मानी जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के इतिहास में पाथरीघाट का कोई उल्लेख नहीं है।

अतः मेरा माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन है कि जलियांवाला की तर्ज पर पाथरीघाट को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक मेमोरियल के रूप में विकसित किया जाए तथा मारे गये शहीद किसानों के परिवार को भी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया जाए।

(ii) Need to run Nauchandi Express, Sangam Express and shuttle trains running between Meerut and Delhi as per scheduled time-table

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): नौचंदी एक्सप्रेस तथा संगम एक्सप्रेस ट्रेने मेरठ को प्रयागराज से क्रमशः वाया लखनऊ तथा वाया कानपुर से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, मेरठ के नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में प्रयागराज, कानपुर व लखनऊ आने-जाने के लिए इन ट्रेनों का उपयोग किया जाता है, पिछले लगभग तीन वर्ष से भी अधिक समय से ये ट्रेन निरंतर देरी से आ जा रही हैं, इस कारण इन ट्रेनों की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई है। इसी प्रकार मेरठ व दिल्ली के मध्य चलने वाली शटल ट्रेन के निरंतर विलंब से चलने के कारण दिल्ली जाने वाले हजारों कर्मचारी अपने कार्यालयों में समय से नहीं पहुंच पाते, इस विषय पर मैं अनेक बार संबंधित अधिकारियों से बात कर चुका हूं परन्तु उपरोक्त ट्रेनों का नियमित तौर पर अनियमित परिचालन हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

**(iii) Need to set up rural branches of nationalised banks in Sheohar
Parliamentary Constituency, Bihar**

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्रांतर्गत शिवहर के अत्यंत पिछड़ेपन की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं! ज्ञात हो कि शिवहर जिला आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर लोगों को व्यवसाय एवं उद्योग चालू करने में सहायक बैंकिंग सुविधाओं के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। आज केन्द्र प्रायोजित अधिकतर योजनाओं का लाभ लाभार्थी के बीच सरकारी बैंकों द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जा रहा है परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र में सरकारी बैंकों की ग्रामीण शाखायें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। शिवहर जिला में बैंक ऑफ बड़ौदा को आर. बी.आई. से अग्रणी बैंक का दर्जा प्राप्त है जिस कारण आर.बी.आई. के मापदंड के अनुरूप लीड बैंक की विशेष सुविधायें भी मिलती हैं। परन्तु दुःख के साथ सूचित करना चाहती हूं कि जिले का लीड बैंक होने के बावजूद यहां पिछले लगभग एक वर्ष से लीड बैंक मैनेजर का पद खाली है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है और लोगों को सरकार की कई जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकारी बैंकों की ग्रामीण शाखायें वर्तमान आवश्यकता के अनुपात में खोली जायें एवं ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाये।

**(iv) Need to set up a Mega Food Park in Bettiah in Paschim Champaran
Parliamentary Constituency, Bihar**

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बेतिया में मेगा फूड पार्क का निर्माण जनहित में है। यहाँ आम, लीची, अमरूद, केला आदि विभिन्न प्रकार के फलों का भरपूर उत्पादन के साथ-साथ सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है। कृषि उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण से रोजगार के अवसर सृजित तो होंगे ही साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के वादे में सहायक होगी।

(v) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Barwadih in Latehar district of Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मेरा संसदीय क्षेत्र चतरा अत्यंत पिछड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। लातेहार जिला अंतर्गत प्रखण्ड बरवाडीह अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस प्रखण्ड में शिक्षा का घोर अभाव है। आर्थिक पिछड़ेपन, अशिक्षा, नक्सलियों का दंश क्षेत्र को अंधकार की ओर ले जा रहा है।

मण्डल रेल प्रबंधक, धनबाद द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत प्रखण्ड बरवाडीह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भेजा जा चुका है। रेल मंत्रालय द्वारा इसके लिए जमीन भी प्रदान कर दी गयी है। अब मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचाराधीन है। | इस प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होती है तो महुआडॉड, गारू, भंडरिया, गढ़वा एवं छिपादोहर आदि प्रखण्डों के पिछड़े क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

अतः मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

(vi) Regarding implementation of Union Government's development schemes by State Governments

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना गया है। संविधान के अनुसार निर्मित कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा देश या राज्य का प्रमुख संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के आलोक में ही हमारे देश में संघात्मक कार्यप्रणाली को अपनाया गया है। हमारी सरकार का संघीय स्वरूप एक आधुनिक खोज है जो अमेरिकी संविधान के प्रादुर्भाव से अस्तित्व में आया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघवाद क्षेत्रीय स्वायत्ता को बरकरार रखता है। दूसरे यह राष्ट्रीय एकता भी प्रदान करता है। यह व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए अधिक लाभप्रद है क्योंकि वे अपनी स्वतंत्र रूप से रक्षा करने तथा अन्य राज्यों से स्वतंत्र राजनयिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। संघ और छोटे तथा कमजोर राज्यों को एक अवसर देता है। छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। वे विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों को आबंटित नहीं कर सकते और न ही अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बना सकते हैं। बड़े और शक्तिशाली राज्यों के मध्य छोटे राज्यों का अस्तित्व अस्थिर होता है। छोटे राज्य अपनी पहचान की धारणा के साथ अपनी राजनीतिक आर्थिक और सैनिक समस्याओं को सुलझाने का लाभ उठाते हैं। एक संघ में लोग एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के साथ स्थानीय स्वायत्ता के समन्वय के अवसर पाते हैं। एक संघ सरकार विविधता को बरकरार रखते हुए एकता प्राप्त करती है। लोगों को अपनी भाषा, धर्म, और संस्कृति को बचाने का व्यापक अवसर मिलता है।

संघीय सरकार की इतनी अधिक विशेषता होने के पश्चात भी यह अत्यधिक खेदजनक है कि कुछेक राज्य सरकारें संघात्मक सरकार की विकास संबंध जन-कल्याणकारी योजनाओं, सुझाव एवं निर्देशों का अनुपालन न कर असहयोग और व्यवधान उत्पन्न करती हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि देश की सभी राज्य सरकारें संघात्मक सरकार की विकास संबंधी जन-कल्याणकारी योजनाओं, सुझाव एवं निर्देशों का कड़ाई से तुरन्त अनुपालन करें।

(vii) Need to construct a bridge on Son River between Srinagar in Jharkhand and Paduka in Bihar

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): झारखंड एवं बिहार राज्य के बीच बहने वाली सोन नदी पर श्रीनगर (झारखण्ड) एवं पडुका (बिहार) के बीच बनने वाले ब्रिज की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष पुल निर्माण संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। डीपीआर स्वीकृत होने के बाद soil testing का कार्य हुआ था तथा ब्रिज निर्माण के लिए 1900 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत हुई थी और इसे केन्द्रीय सरकार की upcoming projects की सूची में सम्मिलित किया गया था तथा 500 करोड़ रुपए की राशि जनवरी 2019 में रिलीज की गयी थी परन्तु एकाएक उक्त राशि जो सोन नदी पर पडुका और श्रीनगर के बीच बनने वाले पुल के लिए रिलीज की गयी थी, को विक्रमशिला, भागलपुर, बिहार में बनने वाले पुल के लिए डायवर्ट कर दी गयी है।

इसको लेकर मेरे राज्य अंतर्गत कांडी प्रखंड एवं हरिहरपुर प्रखंड के लोगों के बीच घोर असंतोष फैल गया है। इन दोनों प्रखंडों के अंतर्गत पड़ने वाली पंचायतों में रहने वाले लोगों के द्वारा जगह-जगह सभाएँ की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उक्त पुल के निर्माण के लिए यह राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अनुरोध है कि इस ओर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय ताकि उस पुल के निर्माण के लिए इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को लेकर पुल निर्माण के कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराया जाय।

उल्लेखनीय है कि इस पुल के निर्माण होने से झारखण्ड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा तथा झारखण्ड से इन राज्यों में जाने में लगने वाले समय की

अत्यधिक बचत होगी । व्यापार में बढ़ोतरी होगी तथा उस क्षेत्र के निवासियों की चिर-परिचित मांग पूरी होगी ।

**(viii) Regarding damage caused to crops by stray cattle in Rewa
Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh**

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मेरे सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र रीवा (मध्य प्रदेश) में आवारा पशु के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गोशालाओं के खोलने की बात की लेकिन अभी इस क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए कठोर कदम उठाये ताकि किसानों को इस समस्या से निजात मिल सके।

(ix) Need to establish a Training Centre for Para Military Forces at Madhogarh in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र के कई युवा देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। जो एनडीए और सीधी भर्ती के माध्यम से देश के अलग अलग सेनाओं में कार्य कर रहे हैं, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स, इंडो-तिब्बत-बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी), सीमा-सुरक्षा-बल (बीएसएफ) जैसी तमाम कंपनियों के माध्यम से देश और देशवासियों की रक्षा का कार्य कर रहे हैं।

विशेष-रूप से माधौगढ़ तहसील के कई युवा सेवा में भर्ती होने जाते हैं, कुछ गांवों की स्थिति है कि पूरे गांव के हर घर से कम से कम एक व्यक्ति सेना में है। इसके अतिरिक्त माधौगढ़ में बहुत सी सरकारी भूमि अनुपयुक्त पड़ी है। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र के माधौगढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स का एक ट्रेनिंग सेंटर खुल जाए तो यह निश्चित ही युवाओं को देश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि माधौगढ़ तहसील के अंतर्गत एक पैरामिलिट्री फोर्स ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने का कष्ट करें।

(x) Regarding wildfire in Uttarakhand

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं माननीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान उत्तराखण्ड के जंगलों में फैली आग से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहां पर आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है।

पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल आग से सुलग रहे हैं तथा पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के तमाम जंगलों में आग धधक रही है, जिससे लाखों की वन सम्पदा को भारी नुकसान हो रहा है। गढ़वाल व कुमाऊं में कई जगह जंगल में फैली आग गाँव के नजदीक पहुँच रही है जिससे वहाँ के निवासी भयभीत हैं। वन विभाग के आंकड़ों पर ही गौर करें तो इस सीजन में अब तक जंगलों की आग की 491 घटनाएँ हो चुकी हैं जिसमें 676.835 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुका है। जहाँ गढ़वाल क्षेत्र में अब तक आग की 149 और वन्य जीव परिरक्षण क्षेत्र में 25 घटनाएँ सामने आई हैं वहीं कुमाऊं क्षेत्र में जंगल अधिक तेजी से सुलग रहे हैं और वहाँ पर आग की 317 घटनाएँ हो चुकी हैं।

आग लगने के कारण जंगल से सटे शहरी क्षेत्रों में समूचा वातावरण धुएँ से भरा हुआ है तथा सैंकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया वृक्षारोपण भी तबाह हो गया है साथ ही ग्रामीणों के सामने चारा-पत्ती का संकट भी उत्पन्न हो गया है तथा जंगली जानवरों एवं पेयजल स्रोतों को इसके कारण भारी नुकसान पहुंच रहा है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड के जंगलों को धधकती आग से बचाने के लिए अतिशीघ्र विशेष कार्ययोजना तैयार करने का कष्ट करें। साथ ही मेरा सुझाव है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जंगलों में बड़ी संख्या में जल संचय हेतु तालाब खुदवाए जाएं एवं निकटवर्ती जंगलात चौकी या गाँव में बड़े आग बुझाने वाले पाइप व इंजन रखवा दिए जाने चाहिए। तालाबों में वर्षा व प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी इकट्ठा होगा जो आपात समय में आग बुझाने के काम आएगा।

(xi) Regarding Illegal sand mining from Rivers in Aurangabad district of Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिला के सोन और बटाने नदियों और गया जिला के मोरहर नदी से खनन नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से बालू की निकासी मशीन (पोकलेन) से किया जा रहा है। बालू निकासी से अब नदियों के बेड में मिट्टी शेष रह गई है और नमी समाप्त हो जाने के कारण क्षेत्र में भू-जल स्तर काफी नीचे हो गया। परिणामतम: चापाकल और कुंआ का पानी सूख गया है और क्षेत्र के लोगों को चापाकल को उखाड़ कर पुनः भूमि की निचली सतह से पानी निकालने के लिए बोरिंग कराना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

नियम के विरुद्ध बालू का परिवहन, भंडारण और उठाव आदि से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ऐसी स्थिति से क्षेत्र में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि हो रही है। अभी हाल में मेरे क्षेत्र में लू से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। क्षेत्र में पीने का पानी का गंभीर अभाव है। 2-3 किलोमीटर की दूरी से लोग पानी लाने को विवश है। यह अवैध उत्खनन का कार्य ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है।

मेरा आग्रह है कि उपर्युक्त मामले की तत्काल उच्चस्तरीय जांच विशेषज्ञ पदाधिकारियों/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि के द्वारा सुनिश्चित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर पर्यावरण के बचाव के लिए अवैध खनन और भंडारण पर रोक लगाई जाए और क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि का आबंटन किया जाए।

**(xii) Need to expedite Wardha-Nagpur broad gauge Metro
Rail Project in Maharashtra**

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है। कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा से नागपुर तक प्रवासी वर्ग की सुविधा हेतु ब्राडगेज मेट्रो रेल का प्रकल्प प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकल्प के माध्यम से मुख्य रेल लाईन पर नये प्रकार के कोच निर्माण करके वर्धा से नागपुर तक ब्राडगेज मेट्रो चलाने का एक नया प्रयास सरकार के माध्यम से हो रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह प्रकल्प कार्यान्वित होने से नागपुर और वर्धा के बीच आवागमन बढ़ेगा तथा दैनिक रूप से प्रवास करने वाले यात्री, विद्यार्थी, किसान एवं छोटे व्यवसायी लाभान्वित होंगे।

माननीय रेल मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि वर्धा-नागपुर ब्राडगेज मेट्रो प्रकल्प को गति प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से उचित कार्यवाही की जाये।

(xiii) Regarding fast depleting ground water resources in the country

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): जिस प्रकार से पूरे देश में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे बारिश में कमी और प्रकृति में नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। पूरे देश में हरियाली और जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। बारिश के पानी का व्यर्थ बह जाना, अधिक दोहन के कारण भूमिगत जल तेजी से समाप्त हो रहा है। देश में आमजन को पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है।

दिनांक 27 जून, 2019 को देश के एक प्रमुख अखबार ने प्रमुख पन्ने पर "नीति आयोग" की एक रिपोर्ट का भयावह पक्ष प्रमुखता से छापकर देश के सभी नीतीकारों एवं जनता को आगाह किया है कि 2020 तक 21 शहरों का भूजल समाप्त हो जायेगा, जिससे सीधे-सीधे 10 करोड़ लोगों को जीवन का गंभीर संकट हो जायेगा।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए "जलशक्ति मंत्रालय" बनाया है। मैं आग्रह करता हूँ कि इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर गंभीर नीतियां बनानी चाहिए और आमजन को जन-आंदोलन के रूप में अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी निभानी चाहिए।

(xiv) Regarding reported drug menace in Delhi

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI) : Delhi is increasingly becoming a transit point for international drug peddlers and a base for drug market in India. A number of drug rackets have come to notice during raids in Delhi. Officials from Narcotic Department of Delhi Police have also reported that drugs like Ephedrine, Methaqualone (MANDRAX), Smack and Ganja have been most common among them and are very easily available. Considerable portion of drug trade is also carried out by foreign nationals. Police has reported that they smuggle drugs from foreign countries into India and have created a base in Delhi. Most of the addicts are found to be street children, people living in shelters and adolescents from the lower class. I seek immediate action from the Government on this sensitive issue before it starts plaguing the people of Delhi.

(xv)Need to revamp Sant Ravidas Van Vihar Park in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती (उत्तर प्रदेश) के जिला मुख्यालय से लगभग 1 कि०मी० दूरी पर स्थित संत रविदास वन विहार पार्क वर्ष 1988 में स्थापित हुआ था। स्थापना काल से ही यह पार्क बस्ती सहित इसके आस-पास के जनपद के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र रहा है। पूर्व में यहां आकर्षक बाल उद्यान, झीलें, फव्वारा, झूला, नौकायन आदि व्यवस्था थी साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों व कुवानो नदी के घाट पर बसे होने के कारण यहां आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण प्राप्त होता था, किन्तु पिछले कुछ वर्षों से यह पार्क अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पूरा पार्क जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में आ चुका है।

अतः अनुरोध है कि इस पार्क की महत्वता को देखते हुए इसे आधुनिक रूप से विकसित कर इसे इसके पुराने स्वरूप में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(xvi) Need to improve tourism infrastructure in Thiruvananthapuram

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thiruvananthapuram recognized for its historic inter-religious co-existence and pluralistic heritage, is home to key religious centres, including the Sree Padmanabha Swamy Temple, the Beemapalli Dargah Shareef, and the Kurisumala Pilgrim Centre. Due to the large number of visitors, these centres are facing an enormous strain in terms of civic infrastructure, connectivity and modern tourist facilities. While the Sree Padmanabha Swamy Temple is currently under the Swadesh Darshan Scheme, the other two centres have not been supported by any corresponding Centrally sponsored scheme. To improve the convenience of the devotees. I urge the Government to build a circuit between these centres, and to recognize Thiruvananthapuram under PRASAD or HRIDAY Schemes.

(xvii) Need to upgrade infrastructure in Tiruvalla Railway Station in Kerala

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly upgrade and improve its passenger amenities in Tiruvalla Railway station. Even though it is an important railway station, the Tiruvalla Railway Station is facing a severe water shortage and is dependent on water tanker for supply. The Government is requested to sanction funds for providing permanent drinking water facility throughout the year. I have already spent crores for development of the station. Installation of an escalator is in its final stage of completion.

The hindrance for the development of Tiruvalla Railway Station is the narrow road in front of the station. The local people are ready to hand over their land to widen this road, but the Railways are not willing to part with their portion of land for the development of the railway station road. Therefore, I request the Hon'ble Railway Minister to issue necessary orders for widening this road.

(xviii) Regarding development of Edappilly-Moothakunnam stretch of National Highway 17 (new NH 66) in Kerala

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): The development of National Highway between Edappilly— Moothakunram on stretch of NH 17 (new NH 66) is a long pending demand. The land acquisition is a major concern for the development of the proposed 45 meter NHA stretch. People who have already surrendered their land for the then 30 meter width highway have to be evicted again are raising the proposal of an elevated highway to avoid eviction and also the exorbitant land acquisition cost. So I urge upon the Government to study the feasibility for construction of an elevated high way or provide land value to the land owners as per the 2013 R&R package and complete the project as early as possible.

(xix) Need to import Feed Grade Maize for Poultry farmers with Zero duty

SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL): Tamil Nadu Poultry Farmers Association is an apex body of Poultry Farmers from across Tamil Nadu. Poultry industry in Tamil Nadu employs directly and indirectly more than 20 lakh people in rural areas. At National level Poultry Industry contributes close to Rs.70,000 crores to the GNP of our country.

Since Maize is the major ingredient in poultry feed, poultry farmers are facing huge financial loss due to unavailability of maize which will lead to higher cost of egg production and unemployment in India. I request the Union Govt. to approve import of 10 lakh tonnes of Maize with zero duty for poultry farmers. This will help the poultry farmers to manage the current shortage of maize and avoid financial loss of poultry farmers.

Hence, I urge upon the Union Government to permit import of 10 lakh tonnes of Feed Grade Maize for Poultry Farmers with zero duty.

(xx) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Buldhana Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महाराष्ट्र राज्य का बुलढाणा संसदीय क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ जिला है। यह क्षेत्र शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। बुलढाणा जिले में राज्य व केन्द्र स्तर के कार्यालय भी हैं, जिनमें आयकर विभाग, रेलवे, डाक विभाग, दूरसंचार, आई0बी0, दूरदर्शन केन्द्र, आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट, नाबार्ड, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि प्रमुख हैं।

यह भी अवगत कराना है कि बुलढाणा जिले में ही नहीं बल्कि इसके निकटवर्ती जिलों में भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, जिस कारण विशेषतः केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि बुलढाणा में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कर दी जाती है तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ स्थानीय गरीब बच्चों को भी सस्ती और सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और इस क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा संसदीय क्षेत्र, जो अति पिछड़ा हुआ भी है, वहां वरीयता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें, जिससे बच्चों को शैक्षणिक सुविधा प्राप्त हो सके।

(xxi) Need to start new academic courses at graduate and post graduate levels in Nava Nalanda Mahavihara, a deemed university in Nalanda, Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): नव नालंदा महाविहार (मानद विश्वविद्यालय) कला संस्कृति विभाग, भारत सरकार, नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय के पास अवस्थित है, 13 नवम्बर, 2006 को यूजीसी द्वारा इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है। इस विश्वविद्यालय में कुछ विषय जैसे हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, इतिहास, दर्शन-शास्त्र, तिब्बती, चाइनीज एवं जापानी आदि विषय की ही मात्र पढ़ाई होती है। जबकि इसका कैम्पस बहुत बड़ा है। यहां उत्तम शिक्षा की पढ़ाई के लिए काफी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विषयों की वृद्धि की जाए। भाषा मानविकी के साथ-साथ कृषि विषयों की पढ़ाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए व्यवस्था की जाए। आजकल सरकार जीएसटी की भी पढ़ाई का पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। इसकी भी पढ़ाई विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। इससे नव नालंदा महाविहार (मानद विश्वविद्यालय) का महत्व बढ़ेगा और साथ ही एक स्थान एवं कैम्पस में अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके साथ ही यह भी मांग करता हूँ कि नव नालंदा महाविहार के अध्ययन केन्द्र की शाखा नालंदा के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाई जाए जिससे वहां के स्थानीय विद्यार्थी को भी लाभ मिल सके।

(xxii) Need to provide a special package for coastal region of Kerala affected due to sea erosion

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The sea erosion in the coastal areas of Kerala is crucial. Heavy damage is being caused due to the sea erosion at Thanni, Kakkathoppe and nearby coastal region in Eravipuram Constituency. The sea wall protection works in Eravipuram is getting delayed. The sea erosion affected coastal region in Kollam and Chavara. The fisherfolks are losing their life, property and fishing equipment. The coastal roads and communication facilities have been damaged. Financial assistance from the Central Government is highly necessary for management of the disaster.

Hence, I urge upon the Government to declare a special package for Kakkathoppe, Thanni and nearby coastal region in Eravipuram and coastal regions in Kollam and Chavara. The same may be extended to similarly affected coastal regions in the State.

13.34 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF AADHAAR
AND OTHER LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019
AND
AADHAAR AND OTHER LAWS (AMENDMENT) BILL, 2019**

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, आईटम नंबर 12 और 13 चर्चा के लिए एक साथ लिए जाएंगे।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, as Shri Premachandran is absent from the House, I am compelled to move the Statutory Resolution.

I beg to move:

“That this House disapproves of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 9 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019.”

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ”

माननीय सभापति महोदय, यह जो आधार का संशोधन विधेयक हमने प्रस्तुत किया है, इसके कुछ कारण हैं, जो बताने आवश्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तास्वामी केस में प्राइव्हेसी को फंडामेंटल राइट माना था। बाद में आधार एक्ट को उन्होंने वैधानिक पाया। लेकिन आधार एक्ट में उन्होंने कुछ बदलाव का संकेत दिया। जैसे कि अगर कोई बच्चा वयस्क हो जाए तो उसकी सहमति आवश्यक है। दूसरा, आधार के लिए वैकल्पिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए। उसी प्रकार हम लोगों ने अवकाश प्राप्त रिटायर्ड न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, उन्होंने भी कई अनुशंसाएं की कि आधार की अथॉरिटी को और प्रभावी बनाया जाए। क्रिमिनल पैनल्टी को सिविल पैनल्टी बनाया जाए और उनका एक स्वायत्त चरित्र होना चाहिए।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आधार का प्रयोग टैलिग्राफ रूल्स के अंतर्गत, सर्व्युलर के अंतर्गत सिम कार्ड के लिए होता था। दूसरा, इनकम टैक्स में एक बदलाव किया गया, जिसमें आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य बनाया गया है। तीसरा, प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आधार से लिंकेज जरूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि इनकम टैक्स में बदलाव एक लॉ के अंतर्गत हुआ है, इसलिए वह तो वैधानिक है, लेकिन टैलिग्राफ एक्ट में, और आपने एक सर्व्युलर से बदलाव किया और प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक रूल्स के अंतर्गत किया, यह उचित नहीं है, यह कानून में संशोधन होना चाहिए, तो आज वे दोनों संशोधन भी इस संशोधन का पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हमने यह कहा है कि मोबाइल कंपनियां आधार को वॉलेंट्री बेसिस पर अपने कस्टमर्स से उपयोग कर सकती हैं। वॉलेंट्री बेसिस का मतलब है कि कंसेंट जरूरी है। उनके सामने यह प्रावधान भी होना चाहिए कि वैकल्पिक रूप से भी वे एक और पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि दे सकते हैं। यही प्रावधान हमने इसके लिए भी किया है।

सर, एक संशोधन में मैं मूव करूंगा, मैं उसके लिए नोटिस देने वाला हूँ कि सब्सिडीज़ अभी जो सैक्शन – 7 के अंतर्गत केन्द्रीय कंसॉलिडेटीड फण्ड से आती हैं, उनको हम देते हैं। कई राज्यों का यह आग्रह था कि जो स्टेट का कंसॉलिडेटीड फण्ड है, उसमें भी यह प्रावधान कीजिए, ताकि हम जो भी जो सब्सिडीज़ देते हैं, उनका फायदा मिल सके। हम कंसॉलिडेटीड फण्ड ऑफ इण्डिया के साथ-साथ, दो शब्द – कंसॉलिडेटीड फण्ड ऑफ स्टेट्स को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं।

सभापति जी, आज का यह जो पूरा बिल है, बाकी मैं विस्तार से, चर्चा के बाद इसका उत्तर दूंगा। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि आधार ने बहुत ही अल्प समय में, आज मैं यह बात कहना चाहता हूँ, सदन में जब भी चर्चा हुई है, यह मैंने पहले भी कहा है कि आधार आरंभ उस पक्ष ने किया था। उस समय का आधार निराधार था, हमने आधार को कानून बनाया है। यह बदलाव करने की कोशिश है ... (व्यवधान) आपने सही कहा कि वह चर्चा हुई थी। लेकिन जब उसकी कार्यवाही शुरू हुई, अथॉरिटी बनी, तो चूंकि यह विभाग मैं देखता हूँ, सन् 2014 में आईटी मंत्री बना, तो सबसे पहले मैंने सवाल किया कि What is the legal basis of Aadhaar? To our dismay, we found that there was no statutory basis. तो पहली बात यह थी कि कानून पास करो। वह कानून पास हुआ, बाकी आप जानते हैं, उसमें अपने भी भाग लिया था।

महोदय, आज मैं बहुत विनम्रता से सदन को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बाकी तो विस्तार से उत्तर दूंगा और वह बताना बहुत जरूरी है। भारत की आबादी 130 करोड़ है और भारत की 130 करोड़ की आबादी में 123.81 करोड़ आधार हैं। एक प्रकार से पूरे देश में आधार कार्ड इतने विस्तार से आया है। हमने वॉलेंट्री कहा है। लेकिन इस सदन को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के 69.38 करोड़ मोबाइल फोन्स आज आधार से जुड़े हुए हैं।

माननीय सभापति जी, आपको मालूम है कि इस पर चर्चा भी हुई है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर हम जन-धन आधार मोबाइल में लिंक करके गरीब लोगों को उनकी गैस की

सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, आवास, शौचालय और मनरेगा का पेमेंट करते हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले पाँच वर्षों में हम लोगों ने 7.48 लाख करोड़ रुपये डी.बी.टी. में भेजे हैं। हमने 1.41 लाख करोड़ रुपये बचाये हैं, जो बिचौलिए और ठग नाम के लोग खा जाया करते थे। आधार ने अपनी उपयोगिता साबित की है।

अंत में, मैं एक ही बात कहूँगा कि देश तो आधार के साथ चल पड़ा है। देश की जनता ने आधार को बहुत प्यार, स्नेह के साथ स्वीकार किया है। मैंने बताया कि हम सिम कार्ड के लिए वॉलेंटरी भी देते हैं, आधार माँगे नहीं तो पासपोर्ट दो, राशन कार्ड दो, जनता आधार ही दिखाती है। आज आधार की उपयोगिता हुई है और बाकी जब मैं उत्तर दूँगा तो विस्तार से बताऊँगा कि दुनिया आधार की किस तरह से उपयोगिता समझ रही है। आज कल जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो वहाँ कहते हैं कि हमें आधार चाहिए, हमें आधार बताइए। आज डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया की जब हम व्याख्या कर रहे थे, तो हमने कहा कि समावेशी डिजिटल विकास। Digital have and digital have nots के बीच की दूरी को पाटेंगे। लॉ कॉस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएँगे।

माननीय सभापति जी, मुझे माननीय सदन को, आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आधार को पूरे हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है। लॉ कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, सेफ है और सिक्योर है।

आज जो कुछ आवश्यक संशोधन थे, मैंने प्रस्तुत किए। मुझे लगता है कि पूरा सदन उसका समर्थन करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

“कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, first of all, my friend, Shri Premachandran Ji was destined to move it but due to his absence, I have been asked to move the Statutory Resolution. I have already requested the Chair that if it is possible, Shri Premachandran should be given the opportunity to move because he is entitled to it.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we were under the impression that it will be taken up at 2 p.m. We never expected that such an important Bill will be taken up like this or else some announcement should have come in this regard.

HON. CHAIRPERSON: You know the rules. Let Shri Adhir Ranjan speak.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I know the rules.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, if the rules permit, I do not have even an iota of objection to it.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I must clarify that while I was introducing the Bill, there was objection. I clarified that. He did not raise that.

Now the Bill is for substantive discussion and surely I would welcome all the eloquence of Shri Premachandran at the time of debate. Whatever clarifications I have to give, I will give them in my reply. So I think enough opportunity is going to come and I wish to be enlightened by his very eloquent interference.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, it is a Statutory Resolution therefore in any way, he has to move it. It is not a question of his clarification. According to the law and according to the Constitution, the Statutory Resolution has to be moved and he has to speak on it. It is because the Government had brought an Ordinance, that is why, first the Statutory Resolution has to be discussed and then the merits of the Aadhaar Bill can be discussed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Mr. Chairman, Sir, first of all, I vehemently oppose the way the Ordinances are being promulgated in a frequent manner. If you observe the proceedings and List of Business of this House, you yourself will have an idea as to how this Government has been resorting to the route of Ordinance without any substantial rhyme or reason.

Sir, there is no objection to the promulgation of an Ordinance *per se* because our Constitution has the provision for invocation of Ordinance. In the same way, the Constitution has also provided as to when, how and why an Ordinance could be promulgated. We all know that it could be promulgated in the event of an emergency situation or because of an extraordinary situation.

Such circumstances warrant the invocation of an Ordinance. But the way this Government has been promulgating Ordinances, it would certainly be detrimental to the health of democracy, more so, in Parliamentary democracy which we have been pursuing since Independence.

Hon. Law Minister is a dextrous person. I would like to remind him that during his tenure, he brought in legislation which is in the ratio of 4:10, which means four Ordinances per ten legislation. It is also an unprecedented record in the history of modern India that per 10 legislation, this Government is promulgating four Ordinances. That is why we have been taking a strong exception to the route of promulgation of Ordinances followed by this Government.

आधार का करिश्मा सब जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप आधार हमसे उधार लिए हैं। आप कहते हैं कि पहले आधार निराधार था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे आधार उधार लेकर खुद का आधार बना रहे हैं। इसके जरिए, आधार के आधार पर आप बड़ा-बड़ा ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं कि डीबीटी में मैंने यह किया, उसमें वह किया। आप बताइए कि डीबीटी कौन लाया? Who conceived the idea of Direct Benefit Transfer Programme (DBT)? I would like to ask this question to the hon. Law Minister. इसलिए हम कहते हैं कि आप सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन जब सराहना का समय आता है, आप सारी सराहना लेने के लिए दौड़ रहे हैं। For this reason, the way which this Government is following is not befitting to a democratic Government and that may be called as 'political plagiarism'.

आप हर बात में ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगायी थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाने की क्या जरूरत थी? उसने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि इस बिल में निहित कमियाँ थीं। आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे थे। आप हमारी प्राइव्सी का उल्लंघन कर रहे थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा। आप इस सरकार के लॉ मिनिस्टर हैं। आपके साथ मंत्रणा होती है। आप कैसा बिल बनाते हैं कि पार्लियामेंट में जाकर एक फंडामेंटल चीज पर आपको फटकारा लेना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज प्राइव्सी है। हम लोगों के जमाने में, जब हमने आधार बनाया था, उसमें किसी के फंडामेंटल राइट को हमने अपने हाथ में लेने के लिए कुछ नहीं बनाया था। हमने किसी की प्राइव्सी के ऊपर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। इस सरकार के आने के बाद बातों-बातों में हिन्दुस्तान के आम लोगों के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर हस्तक्षेप करने जा रहे हैं और इसीलिए मैं इनके खिलाफ हूँ।

डी.बी.टी. कौन लाया था, 'आधार' किसने बनाया था? निलेकणि को किसने तैनात किया था? यह यू.आई.डी.ए.आई. किसने बनाया था? सारी चीजें तो हमने बनाई हैं। आपने यह हमसे सीखा है, यह बात कहने में आपको क्यों शर्म आती है, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, जो सही है, उसे सही ढंग से सही कहना चाहिए। इसमें आपको दम दिखाने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने 'आधार' बनाया है।

आप तो पहले बड़ी चतुराई के साथ इसे मनी बिल की हैसियत से पास कराने गए थे। इसलिए कोर्ट में भी किसी को दौड़ना पड़ा कि इसको मनी बिल की हैसियत से पास नहीं कराएं, क्योंकि आप इस पर चर्चा करना नहीं चाहते थे और आप बात-बात में ऑर्डिनैस लेकर आए। आज ऐसे कौन-से हालात पैदा हो गए कि आपको ऑर्डिनैस लाना पड़ा। आपके पास एक्ट है, ऑर्डिनैस के तहत आप काम कर रहे हैं। अभी 26 जुलाई तक हमारा सदन चलेगा। कल हमारा बजट है। बजट के पहले दिन 'आधार' ऑर्डिनैस के ऊपर चर्चा को लाने की क्या जरूरत थी? इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप तो कह रहे हैं कि आपने सदन में चर्चा की है। जब आपने चर्चा की है, जब

आप इसमें छोटे-मोटे संशोधन ले कर आ चुके हैं तो फिर आपको इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आपको हर बात में ऑर्डिनैस लाना पड़ता है। एक आउटगोइंग सरकार ऑर्डिनैस लाती है और एक इनकमिंग सरकार उसे बिल में तब्दील करती है। यह क्या है?

आप 'वोट-ऑन-एकाउन्ट' क्यों कराते हैं, क्योंकि वह टेम्पोररी अरेंजमेंट है। अगर आप यह सोच रहे थे कि हम अगले दिन सत्ता में आएं तो फिर आपने 'वोट-ऑन-एकाउन्ट' क्यों कराया था, क्योंकि यह हमारे नियमों के मुताबिक है। चुनाव के पहले ऑर्डिनैस का प्रोमलेशन कभी भी बिफिटिंग नहीं होता है, यह हम लॉ मिनिस्टर से कहना चाहते हैं।

दूसरी बात, सबसे पहले आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ध्यान देना चाहिए। हमें गुमराह करने के लिए आप डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं लाना चाहते हैं। आपकी सरकार कहती है कि आज डेटा कैश के बराबर है। मैं नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि डेटा कैश के बराबर है। फिर आप इसे कैश के बराबर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? आप डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आइए और उसके बाद 'आधार' बिल लेकर आए। Heaven would not have fallen upon us. आप हमें गुमराह करना चाहते हैं, हमें डेटा प्रोटेक्शन की सुविधा नहीं देते हैं, इसका मतलब कि अभी भी आप प्राइव्सेसी को तवज्जो नहीं देते हैं। जिस प्राइव्सेसी को हम फण्डामेंटल राइट्स बताते हैं, उसे आप अभी भी तवज्जो नहीं देना चाहते हैं।

सर, मैं रविशंकर जी का बहुत सम्मान करता हूँ। आपके माध्यम से मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे कि ऑरिजिनल और genuine में कोई फर्क नहीं है? आप इसके loopholes को ब्लॉक कीजिए। जैसे आप के.वाई.सी. डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑरिजिनल हो सकते हैं, लेकिन आप उसे कैसे कह सकते हैं कि यह genuine है? इन loopholes का इस्तेमाल करके टेररिस्ट और एंटी-नेशनल एक्टिविस्ट्स हमारे हिन्दुस्तान को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसकी genuineness और ऑरिजिनैलिटी क्या है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कि मैं

बंगाल से आता हूँ। बंगाल में एक 'आधार' कार्ड बना लेता हूँ। जब हम दिल्ली में आते हैं तो मेरे पास वही के.वाई.सी. डॉक्यूमेंट्स हैं। उनकी मदद से मैं दूसरा 'आधार' कार्ड बना लेता हूँ। क्या इसकी कोई गारंटी है कि इसके ऊपर हम रोक लगा सकें? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि genuineness और ऑरिजिनैलिटी में क्या अन्तर है, इसे आप देखिए और इस पर आप ठोस कदम उठाइए। 'आधार' हम सबकी जरूरत है। हम इसका विरोध करने के लिए यहां खड़े नहीं हैं, because it is the brainchild of UPA government. फिर हम इसका विरोध क्यों करेंगे? हम self-contradictory और self-conflicting काम नहीं करते। इसलिए हम सरकार को थोड़ा सलाह-मशविरा दे सकते हैं कि आप इस विषय पर ध्यान दीजिए।

जैसा मैंने कहा कि आप ओरिजिनैलिटी और जेन्यूइनिटी में फर्क कीजिए। यह अच्छा हुआ कि एक बच्चे के पास उसका ऑप्शन है, वह अपना ऑप्शन दे सकता है कि 18 साल के बाद इसमें नाम लिखाऊंगा या नहीं, यह अच्छा है। ऑफ लाइन वेरीफिकेशन का भी अच्छा नतीजा निकला है, क्योंकि ऑन लाइन में बहुत सारी टेम्परिंग होने की संभावना थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस ऑन लाइन की सुविधा को लेकर बहुत सारी धांधलियां हो रही थीं। इसके खिलाफ सदन के अंदर तथा बाहर बहुत चर्चा हुई थी। उसके बाद ही ऑफ लाइन की बात आई है। मैं सरकार के खिलाफ जरूर एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार हमारे डेटा प्रोटेक्शन के अधिकार के संबंध में बिल नहीं लाती है। सरकार जल्दबाजी में ऑर्डिनेन्स का रास्ता पकड़कर हमारे लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 'हिन्दू' पेपर ने भी यह निकाला था-

“On any reasonable reading, it ought to be plainly apparent that the Bill flagrantly flouts both the Constitution and the Supreme Court’s judgment which gave the Aadhaar programme a conditional imprimatur. It is, therefore, entirely likely that the Government is banking on a sense of political fatigue having set in over the project, and perhaps it believes it has made the

programme so ubiquitous that a few additional legislative tweaks are unlikely to shock and jolt the dissenters. But the present move is so brazen that we will be failing in our collective duties were we to allow the amendments to be carried out without any debate. For, if enacted, the law will once again allow private corporations, including banks and telecom operators, to use Aadhaar as a means to authenticate identity. Astonishingly, this change has been proposed despite the Government's abject failure to enact comprehensive legislation protecting our data and our privacy."

Therefore, I would again urge upon this Government that you should bring a comprehensive legislation including the Data Protection Bill so that the fruits of Aadhaar permeate the targeted population without infringing the institution.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी के वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 के बीच और अभी सेकेंड टर्म में, यह कहा जाए कि अगर कोई गेम चेन्जर है, तो मैं कहूँगा कि जो ट्रिनिटी है, तो वह जीएसटी, आईबीसी और आधार है। इकोनॉमी को मूव करने के लिए, इकोनॉमी के रिफॉर्म के लिए और डिजिटल इंडिया के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है।

13.59 hrs

(Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

जहां तक आधार से सब्सिडी, अन्य बेनिफिट्स तथा सर्विसेज़ देने की बात हो, उसका जो इलैबोरेट प्रोविज़न है, वह आधार एक्ट 2016 के सेक्शन-7 में कह रखा है कि यह जो आधार एक्ट है, वह कोई एक एविडेन्स के रूप में काम में नहीं लिया जाएगा, चाहे वह सिटीजनशीप के लिए हो, चाहे डोमिसाइल के लिए हो।

सर, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि this Aadhaar Act, 2016 and this Bill, if we see the combined spirit and the object of both, are meant for good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services.

यह एक करप्शन फ्री रिज़ीम के लिए बहुत बड़ा मूव है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आज आधार पूरे विश्व में सबसे बड़ा आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है।

14.00 hrs

माननीय मंत्री जी ने बताया कि करीब 123 करोड़ आधार कार्ड जारी हो चुके हैं और आधार नंबर दिए जा चुके हैं। एक्टिविस्ट चाहे कुछ भी बात करें, हो सकता है कि वे भी आधार का उपयोग लेते हों, लेकिन समय-समय पर गवर्नमेंट के काम में, गरीबों को सब्सिडी, बनेफिट और सर्विसेज़ कैसे पहुंचें, इसमें हर्डल क्रिएट करने के लिए समय-समय पर ये एक्टिविटीज की जा रही हैं।

जहां तक बैंक अकाउंट का आधार से सीडिंग का सवाल है, पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है। आधार बैंक अकाउंट से सीडिंग हुए हैं और लगातार यह प्रोसेस चल रहा है। यह कंटीन्युअस प्रोसेस है। अगर हम देखें तो 439 स्कीम्स की, जो विभिन्न बनेफिशियरीज हैं, बैंक अकाउंट से सीडिंग हुई है। लगभग 55 मिनिस्ट्रीज के बनेफिशियरीज जो हैं, समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसको बनेफिट देने के लिए यह काम किया जा रहा है।

मंत्री जी ने बताया कि 7 लाख 30 हजार करोड़ रुपये अब तक आधार से, जब से इनकी बैंक अकाउंट से सीडिंग हुई है, ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इतने बड़े अमाउंट को अगर हम डिसबर्स करते तो हमें बहुत बड़ी मशीनरी लगती और बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना पैसा बचा होगा।

मुझे एक बात हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि मैं जब 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूं, तो सिर्फ 15 रुपये बनेफिशियरी के पास पहुंचते हैं और 85 रुपये बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इस बात को किसी ने नहीं देखा, किसी ने गम्भीरता से नहीं सोचा। आधार आया, लेकिन उसको बैंक अकाउंट से सीडिंग करने का जो भाग है, वह दूसरा पार्ट है। एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, वह इंपोर्टेंट पार्ट है। जैसा अभी कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी साहब ने बताया कि आधार यूपीए की ब्रेनचाइल्ड है। मैं आपको बता दूँ कि आधार वर्ष 2002 में कंसीव हुआ। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का ब्रेनचाइल्ड है। यूपीए के टाइम में इस पर कुछ काम हुआ। आपने जो दूसरी चीजें कही हैं, मैं आगे उनके बारे में

बताउंगा। जहां तक इसका जो आइडिया कंसीव हुआ, वह वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। आधार के द्वारा जो डॉयरेक्ट बनेफिट, बैंक के द्वारा जिसकी सीडिंग हुई, जैसा मंत्री जी ने बताया कि 1 लाख 42 हजार करोड़ रुपये इससे बचे हैं। आप सोच कर देखिए, इतना बड़ा अमाउंट, अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपये, सिर्फ आधार की सीडिंग बैंक अकाउंट से होने से हर साल बचेंगे। इससे कितना बड़ा रेवेन्यू बचेगा और वह पैसा गरीबों के वेलफेयर के लिए जाएगा। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसकी भलाई के लिए जाएगा। गरीबों का पैसा, गरीबों तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है, तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है।

यह बात तो प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कह दी कि जब मैं 100 रुपये भेजता हूँ, तो 15 रुपये पहुंचते हैं, लेकिन 85 रुपये बीच में कौन खा जाते हैं, इसके लिए उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। पहली बार प्रधान मंत्री मोदी जी ने करीब 8 करोड़ ऐसे घोस्ट अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट सब्सिडी या बनेफिट के हकदार नहीं थे, वे गवर्नमेंट बनेफिट लेते थे। ऐसे व्यक्ति जो जन्मे ही नहीं थे, इस तरह का बनेफिट लेते थे। 8 करोड़ लोगों को निकाल कर एक तरफ कर दिया। हम देखते और सुनते हैं कि वे लोग जो मोदी जी के खिलाफ हैं, जिनको यह तकलीफ हो रही है कि 8 करोड़ लोग जो फर्जी खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, अपने गलत नाम लिखा रखे थे, सरकार का पैसा गलत तरीके से उठा रहे थे, उन लोगों को अलग करने का काम किसी ने किया, तो मोदी जी ने किया।

पहले किसान बहुत दुःखी होते थे। चाहे उनकी सब्सिडी का पैसा हो, चाहे उनको जो विभिन्न बनेफिट्स मिल रहे हों, चाहे दिव्यांग हों, चाहे गरीब और कमजोर हों, उन तक पैसा समय पर नहीं पहुंचने की वजह से उनको बहुत तकलीफ होती थी।

किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलने की वजह से सुसाइड का रेट भी बढ़ा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था। पेमेंट डीले की वजह से बड़ी तकलीफ हुई थी। मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को भी इसे एडॉप्ट करना चाहिए। अगर इसे सभी स्कीमों में लागू कर

दिया जाए, सभी जगह इसे एडॉप्ट कर लिया जाए तो मेरा मानना है कि बेनामी प्रोपर्टी ट्रांजेक्शन की ट्रैकिंग बहुत आराम से हो सकती है।

अभी अधीर रंजन जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। आधार 2002 में आया, 2014 के पहले यूपीए ने आधार को बिना कानून बनाए या बिना लेजिस्लेटिव बैकिंग के लिए, सिर्फ एक्जिक्यूटिव पॉवर से एक ऑथेरिटी क्रिएट कर दी और ऑथेरिटी को सारे पॉवर दे दिए। उस पर संदेह होना कि डेटा के लीकेज के बहुत चासेंज हैं। पार्लियामेंट के सामने आप कोई कानून नहीं लाए, इस तरह से यह सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। वर्ष 2014 के पहले ही इनके द्वारा एक्जिक्यूटिव पॉवर की वैलिडिटी को आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आर्टिकल 21 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है “No person shall be deprived of his life and liberty except in accordance with the procedure established by law”. उस समय यूपीए की सरकार इसको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं लेकर आई? आर्टिकल 21 साफ कहता है कि अगर आप इस तरह का कानून लेकर आएं तो पार्लियामेंट के सामने आएगा। इन्होंने आर्टिकल 21 का कन्ट्रावेन्शन किया, वॉयलेशन किया। ये बिना रिकार्ड देखे एनडीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, एनडीए सरकार ने कोर्ट में डिफेंड किया। भारत के संविधान की मंशा के अनुसार 2016 का आधार एक्ट लेकर आए, उसमें करीब-करीब सारी सेफगार्ड प्रोवाइड की गईं। जहां तक लॉ की बात है, कांग्रेस पार्टी बात करती है, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंटरनल इमरजेंसी के वक्त यहां तक कह दिया कि जहां तक आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का कानून है “No person shall be deprived of his life and liberty, except in accordance with the procedure established by law”. इनका मानना था कि इसमें आदमी को किल भी कर सकते हैं, लेकिन लॉ होना चाहिए। इन्होंने यह नहीं देखा कि जो लॉ है, आपने जो लॉ बनाया है, वह रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। उस लॉ की Justifiability is subject to challenge before the Supreme Court लेकिन इनका हमेशा से ट्रेंड रहा है, इनकी जो मंशा रही है, इनका आर्टिकल

21 का इंटरप्रेटेशन रहा है, वह इमरजेंसी के दौरान और सुप्रीम कोर्ट में इनके स्टेटमेंट और समय-समय पर जो इनका स्टैंड रहा है, उससे पता लग जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उस जजमेंट को वेलकम करते हैं क्योंकि हम खुद चाहते हैं, मोदी सरकार खुद चाहती है कि आर्टिकल 21 के अनुरूप कानून बनना चाहिए। हमने माना है कि राइट टू प्राइवैसी वन ऑफ द फंडमेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट 2016 को अपहैल्ड किया है और उसको कंस्टीट्यूशनली वैलिड माना है। यही नहीं, पूरे आधार स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है, उसमें सिर्फ दो प्रोविजन, जो प्राइवेट सैक्टर को देने की बात थी, उसको कहा कि नहीं देंगे, उसके लिए हम नेसेसरी प्रोविजन इस बिल में लेकर आ रहे हैं। जहां तक हमारा लॉ है, अभी आधार 2016 को लेजिस्लेटिव सपोर्ट है, अभी जो लॉ आया है, उसमें सरकार ने नेसेसरी अमेंडमेंट किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्प्रिट स्प्रिट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट किए हैं।

अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें, Basically, it meets the concept of Constitutional trust and good governance. There are observations of the Supreme Court with respect to Aadhaar Scheme in totality except two provisions.

The Supreme Court observed that it meets the concept of Constitutional trust; it meets good governance; it is also for the digital privacy; and the Aadhaar Project is unique and unparalleled document of empowerment. सिर्फ सैक्शन 7 जो सब्सिडी स्कीम का है, उसमें मंडेटरी और वाल्येंटरी का जो मामला था, उसमें कुछ प्रावधान जैसे टेलीकॉम सर्विसिस, मोबाइल, स्कूल में एडमिशन या बैंक एकाउंट खोलना, ये वाल्येंटरली रखा है। यह कन्सेंट पर निर्भर करता है, अगर कोई आधार देना चाहता है तो दे सकता है। हम आजकल आम प्रचलन देख रहे हैं कि सारे लोग बैंकों में आधार देते हैं, वाल्येंटरली देते हैं। सारे लोग स्कूल में एडमिशन के समय आधार देते हैं और सारे लोग मोबाइल सेवा के लिए भी

आधार देते हैं। किसी भी बेनिफिट या सब्सिडी के लिए जाओ तो आधार बेसिक आइडेंटी का प्रूफ हो गया है।

जहां तक सैक्शन 57 की बात है, उसके बारे में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट कांट्रैक्टर को नहीं दे सकते अतः यह प्रोवीजन अनकांस्टीट्यूट किया है। इसके लिए इस बिल में माननीय मंत्री जी नैसेसरी अमेंडमेंट लेकर आए हैं।

The Supreme Court also observed that privacy cannot be the absolute fundamental rights. इसके लिए रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज हो सकते हैं, and law is to be made by Parliament. At the same time, those restrictions should be reasonable, just and fair. इसके लिए ज्यूडिशियल रिव्यू अवेलेबल है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसी भी रेस्ट्रिक्शन्स हो सकती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरस्ट के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट का मानना है - To strike a fine balance, concern of the State and individual interest is to be taken into consideration. अब आधार में क्यूआर कोड और वर्चुअल आईडी से सिक्योरिटी और भी एन्हांस हो गई है।

जहां तक सिक्योरिटी की बात है, आधार एक्ट 2016 में कोर बायोमेट्रिक इन्फार्मेशन, फिंगर प्रिंट और आइरिस के लिए सफिशिएंट सेफगार्ड हैं। अब 2019 का जो बिल आया है उसमें भी सफिशिएंट सेफगार्ड प्रोवाइडिड हैं। अगर हम 2016 एक्ट में, सिक्योरिटी को देखें तो सैक्शन 28 'Security and Confidentiality Information' का है। Section 29 deals with restriction on sharing information. आधार इन्फार्मेशन को सिर्फ काम में लिया जा सकता है। Generation of Aadhaar Number and it can also be used for generation of authentication of Aadhaar. सिक्योरिटी का सफिशिएंट सेफगार्ड 2016 के एक्ट के प्रावधान में भी है और 2019 के बिल में भी है।

जहां तक अथॉरिटी क्रिएट करने का प्रावधान है, सैक्शन 11 और सैक्शन 23 में एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट की गई है जो प्राइवैसी को प्रोटेक्ट करती है और उसके बाद उसकी अटोनोमी भी

एन्शोर की है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की आउटरीच हो। उसमें अटोनामी है, and there can be also a power of regulator for taking enforcement action. सरकार ने अथॉरिटी देखकर उसको एम्पावर किया है जिससे रेगुलेटर का काम भी कर सकते हैं।

सभापति जी, आपके सामने 2019 का जो बिल आया है, उसमें सिविल पैनेल्टीज का प्रावधान है। अगर इन्फार्मेशन का कोई डिस्कलोजर करे तो एक करोड़ रुपये तक की पैनेल्टी लगाई जा सकती है। जहां तक अपराध के पनिशमेंट की बात है, तो यह पहले तीन साल थी, अब बढ़ाकर दस साल तक की पनिशमेंट है। अगर कोई अनआथोराइज्ड डाटा पर एक्सेस करता हो या उस डाटा को टैम्परिंग करता हो तो दोनों बिल 2016 और 2019 को देखें तो उसमें डिटरेंट इफेक्ट है। हमारे कहने का मतलब है कि सेंट्रल आइडेंटी डाटा रिपोजिटरी को टच करने का सवाल ही नहीं उठता है।

अब जहां तक सिक्योरिटी का कन्सर्न है तो जो सेन्ट्रल आइडेंटीज डेटा रिपॉजिट्री हैं, उसके जो बाउन्ड्रीज हैं, फेन्सेज हैं, मैं यह कह सकता हूं कि डेटा रिपॉजिट्री के एराउंड कई फेन्सेज हैं और टेक्नोलॉजिकल फायरवाल्स भी हैं, जिससे किसी भी सूरत में वहां इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसके लिए सिस्टम फूलप्रूफ बना हुआ है। इसलिए यह चिन्ता की जरूरत नहीं है, जैसे अभी श्री अधीर रंजन जी ने कहा कि डेटा सिक्योरिटी के लिए लॉ आना चाहिए। सारे सेफ गार्ड 2016 और 2019 के बिल में लिए जा सकते हैं। मैं यह भी कहूंगा, कई लोग doubt करते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकल रूप से साउंड हैं। Only two minutes, Sir. We have also introduced artificial intelligence in the system. मान लीजिए अगर कई लोग यह कहें कि हमारी जो फिंगर प्रिंट है, इसे कोई आर्टिफिशियल यूज कर ले, आइरिस आर्टिफिशियल यूज कर ले, लेकिन अब बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऐसा सिस्टम आ गया है, जिससे डेड आदमी का भी फिंगर प्रिंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि It depends upon the blood circulation. सिस्टम पूरा डिटेक्ट कर सकता है कि यह फिंगर डेड पर्सन की है या जीवित व्यक्ति की है। इसलिए इसमें सफिशिएंट सेफ गार्ड हैं। इसमें किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।।

would also like to tell you that there is a Report of Justice B.N. Srikrishna – For a Free and Fair Digital Economy: Protecting Privacy, Empowering Indians. इसमें 12 डिजिट का आधार हैं, इसके साथ वी.आई.डी है, इसमें अल्टरनेट वर्चुअल आइडेंटिटी भी दी गयी है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आपके आधार नम्बर दिखेंगे। जहां तक consent की बात है, 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं, उनमें से 7 करोड़ बच्चों के आधार कार्ड बने हुए हैं, इसके लिए उनके पैरेंट्स और गार्जियन की कन्सेंट ली जाती है लेकिन 18 साल का होने पर, उनके पास ऑप्शन एवलेबल है कि whether he can continue with Aadhaar or cannot continue with Aadhaar, it is open for him.

2019 के बिल में यह भी प्रावधान किया है कि शेयरिंग एंड डिस्क्लोजर के जो रिस्ट्रिक्शन हैं, उसके इन्फार्मेशन के लिए पनिश्मेंट प्रोवाइडेड हैं और वालन्टेरली सर्विसेज के लिए अगर कोई कहता है कि मेरे पास आधार नहीं है तो उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। ये सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर लिए गए हैं। This Bill of 2019 is in consonance with the direction and observation of the Supreme Court Judgment and also in consonance with the constitutional mandate.

With these observations, I support this Bill.

***DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):** Hon. Chairman Sir, *Vanakkam*. I thank you for allowing me to speak on this important Bill. This Bill is aimed to change the fate of 133 Crore people of India. Not only that, this Bill will also change the way the public governance is in the country. When I rise to speak on this Bill, as it is my maiden speech, I thank the voters of my Villupuram Parliamentary constituency for this opportunity. I thank the inspiring leader Thiru Thol Thirumaa Valavan and the Leader of Dravida Munnetra Kazhagam Thiru M.K. Stalin for allowing me to contest elections. My stand on this Bill that this Aadhaar Bill should be opposed and it should be sent to the review of the Parliamentary Standing Committee. Why should I oppose this Bill? Hon. Prime Minister in his reply to this august House has mentioned about the contribution of Dr. B.R. Ambedkar, particularly the contribution of Dr. Ambedkar to the water management schemes. I wish to quote the views of Dr. Ambedkar with regard to this Bill. "Political democracy rests on four premises. They are: i). The individual is an end in himself. ii). The individual has certain inalienable rights which must be guaranteed to him by the Constitution. iii) The individual shall not be required to relinquish any of his constitutional rights as a condition precedent to the receipt of a privilege and iv) The State shall not delegate powers to private persons to govern others."

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

These are the words uttered by our revolutionist Dr. Ambedkar when he was introducing the Bill of Rights. These words are apt to mention here for the Aadhaar Amendment Bill also. This Bill permits the private companies to use basic personal data pertaining to the people as per their wish. Even after the Hon Supreme Court has clearly mentioned its view point on this Bill, on the contrary, this Bill allows private companies to use the data of the people of this country. Justice Sikri of the Hon Supreme Court in his majority opinion on Aadhaar Bill has stated and I wish to quote:

“ Apart from authorising the State, ‘ even anybody corporate or person’ is authorised to avail authentication services which can be on the basis of purported agreement between an individual and such body corporate or person. Even if we presume that legislature did not intend so, the impact of the aforesaid features would be to enable commercial exploitation of an individual biometric and demographic information by private entities. Thus, this part of the provision which enables body corporate and individuals also to seek authentication, that too on the basis of a contract between the individual and such body corporate or person, would impinge upon the right to privacy of each individuals. This Part of the section, thus is declared unconstitutional.”

Even when the particular section of Aadhaar Bill introduced earlier by the Government had been declared unconstitutional by the Hon. Supreme Court, this Government without any concern for that, is permitting the private companies to make use of Aadhaar details of the people. I wish to cite an example, After the verdict of the Hon. Supreme Court was pronounced, the Union Government had written letters to the telecom companies including Jio

asking to explain their views in this regard. For that these companies have said that they would not be deleting the Aadhaar data saved by them and moreover these companies said that they will file an appeal with the Hon. Supreme Court in this regard. This Government which has sought the opinion of the private telecom companies did not intend to seek the opinion of the people by way of consultation process. During the course of Aadhaar related case hearing, the Government informed the Hon. Court that Aadhaar data would be only used for implementing social welfare schemes. But in the *Economic Survey* presented to the Parliament, today, Government has clearly mentioned that it has intentions to sell the Aadhaar data and earn revenue. I wish to state a Para on page 94 of *Economic Survey Vol. I*, under the heading Private Sector firms as beneficiaries.

“Undoubtedly the data revolution envisioned here is going to cost funds. Although the social benefits would far exceed the cost to the Government, at least a part of the generated data should be monetized to ease the pressure on Government finances.”

They have cited that by way of selling the data to the private companies, they can earn money. By way of selling the data pertaining to students the Government says that it can earn money. The future aim of the present Government is to go for revenue generation through the sale of preserved data of the people. This is complete violation of the verdict of the Hon. Supreme Court. This is against the basic structure of our Constitution. Even after the Hon. Supreme Court's judgement, privacy has become a part of our

fundamental rights. This is the basic structure of our constitution as highlighted by Hon. Supreme Court.

The Government cannot tamper with the basic structure of the Constitution of India. This is the verdict of Hon. Supreme Court. When privacy has become part of our basic structure, an attempt to change it will be unconstitutional. Hon. Minister has stated Aadhaar as a valid law. This law is valid which is a basic requirement. There is no change. It does not mean that we should pass any law merely because it is valid. It does not mean that with the powers available, we can take away the rights of the people of this country. This will be undemocratic. These are not merely my words. They flow from the dissenting opinion of Justice D Y Chandrachud who called Aadhaar Act as “a fraud on the Constitution”. Parliament should take note of the strong observations of Justice Chandrachud. Hon Minister should take note of this. The Hon Minister has said that as many as 68 Crore people have taken their SIM cards by submitting Aadhaar details. It means the Aadhaar data of 68 Crore people has gone to the private companies. Privacy of the people has become a question mark. Even poorest of the poor are unable to avail medical facilities due to this. Two days ago, an elderly woman went for treatment to AIIMS. She approached the OPD for registration. But she was denied registration due to non-availability of an Aadhaar card. There is no provision in the present amendment Bill to punish those who insist upon Aadhaar for various reasons, against the verdict of Hon. Supreme Court. This bill has been introduced after the Hon. Supreme Court struck down the Section 33 Sub-

section 2 of the Aadhaar Act. This Bill paves way to sell the preserved personal data relating to Aadhaar of the people of this country to private companies and earn money. This is against the fundamental rights and basic structure of our Constitution. I urge upon the Hon. Minister and the Government through you Sir that this Bill in its present form should be sent for the consideration of the Parliamentary Standing Committee. Thank you
Vanakkam.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson Sir, I rise today to oppose the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2016. This Bill violates the Supreme Court Judgement. There is a complete lack of transparency, there is a lack of public consultation and scrutiny by any Parliamentary Committee.

You tabled this Bill earlier this year, in spite of opposition from us. You could not pass it in the Rajya Sabha and then you issued an Ordinance, in spite of there being no extraordinary circumstances, whatsoever. What this Bill does is, it strikes at the very heart of the primacy of an individual and the privacy of an individual's data. This is what the Supreme Court in their 4:1 judgement also tried to talk about. There are three very problematic clauses in this amended Bill. First is clause 7 of the amendment to Section 4 of the parent Act. It says that you are mandating authentication of an Aadhaar number holder for the provision of any service, if required by law made by Parliament. So, what are you doing? You are going and amending the parent law which is, the Indian Telegraph Act and the Prevention of Money Laundering Act.

Let me go through this Bill. Since we are discussing the Bill, I am going to go through this Bill, Section by Section, and point out where we are. In this Bill, I have counted in more than 11 places these words 'as specified by regulation'. But on page 15 of the amendment Bill, there is a Memorandum regarding delegated legislation where you say regulation is an administrative matter of procedure and it is not practicable to provide for it in the Bill itself. But this is integral to the Bill. How are the primacy of individual and privacy of data

a matter of procedure? How in 11 places can you say that this is specified by regulation?

Now, when we go to Section 2, you are talking about an alternative virtual identity. The entire idea about Aadhaar was to set up a unique 12-digit number. If we have gone through and traversed such a long distance to come up with a new 12-digit number, where is the question of coming up with another alternative virtual identity? Is this not another way to just bypass the Supreme Court judgement which struck down clause 57? In Section 2 (aa), there is also another very scary clause. You are inserting a new clause into (aa) where you say "Aadhaar ecosystem includes enrolling agencies, Registrars, requesting entities, offline verification-seeking entities and any other entity as may be specified by regulations." The same thing is there when we go to the Memorandum regarding delegated legislation where you say this is something that is not practicable to put in the Bill. We are in Parliament. We are debating the Bill. How can I debate the Bill and be expected to give my assent for something I am not clear about, not transparent about?

When we go to Section 2 (pa), you say about offline verification. "Offline verification is the process of verifying the identity of the Aadhaar number holder without authentication, through such offline modes as may be specified by regulations."

Again, I have no transparency about what this offline number is. You do not tell me what the method of verifying it is. You say it is specified by regulations. It is not integral to the Bill. Again, this is completely shrouded in

mystery. Now, what does this mean? Does this mean you are handing over my Aadhaar number to some private agency the means to authenticate my number offline? So, you are seeking Parliamentary assent for something which I am not clear about.

Now, what if the ecosystem fails? You have set out this Aadhaar ecosystem. What if it fails? You say there are alternatives, and viable means will be specified by law. Today, I am giving up my biometric data, my most personal private data to a private agency. If the ecosystem fails, you are saying that there are viable means to recourse but I do not know what they are. They have not been specified in the Bill.

We come now to Section 5, 4(a). This is very important. You say, "compliant with such standards of privacy and security as may be specified by regulations;" Again, there is no standard of privacy and security today. There is no data protection Act. This is a classic case of 'cart before the horse'. You are saying that this is going to be specified; this is going to be privacy in security. In the absence of a data protection Act, which is what the Srikrishna Commission Report said we should do, which Justice Sikri and the other 4:1 judgment also laid out, how can you ask me to give up my information to a private agency? How is this possible? This is integral to the Bill. You cannot have the cart before the horse. Give us recourse, put your viable framework in place and we will give our assent. There is no problem.

When we go to Section 5, 4 (a) (ii), there, you are seeking authentication for such purpose as the Central Government in consultation with the Authority,

and in the interest of the State, may prescribe. This is a very scary clause. So, it is giving you *carte blanche* to do anything. When the Central Government thinks of anything that is in the interest of the State, they can speak to the Aadhaar Authority and decide. This is *carte blanche*. When Aadhaar was set out, it was meant to provide for services to the poor. It was never meant to get data.

The idea of Aadhaar was not to be acquisitive. The idea of Aadhaar was a means to give services to the poor, to distribute subsidy and other things from the Consolidated Fund of India. That is also extremely important. What has Aadhaar become now? Aadhaar has become a way to get information for private entities – my bank, who is contracted to me; my telecom provider, who has no business getting my biometric information. All these private agencies today are using this as a means to get the data. Its original idea which was for the poor to get subsidy, has completely turned on its head.

Justice Srikrishna in his Report recommended that the Aadhaar authority should be autonomous with no Government interference. This clause 5 (4a)(iii) completely flies in the face of that recommendation because it says that the Central Government in consultation with the authority, in the interest of State, can do anything.

In respect of Section 7, the Supreme Court said that Aadhaar must be used to providing services from the Consolidated Fund of India. Section 57 which was about sharing of data with private entities, was struck down. They said 'for any other purpose' we will strike it down. So, Section 57 as a whole

was struck down. This particular Bill, it seems to me, is not even hiding the fact. It is absolutely open in its objective which is to bypass this particular Section 57, which was struck down, and it allows private entities, telecom providers and banks to get access to our biometric information. Bank accounts have nothing to do with the Consolidated Fund of India. Telecom providers have nothing to do with the Consolidated Fund of India.

Then, you are amending the PMLA. What is PMLA? It is Prevention of Money Laundering Act. It means that when you have a problem, if you have been flagged as somebody who is involved in money laundering, you may have an account in the Cayman Islands, then PMLA can be used. In this case, every law-abiding citizen is assumed to be involved in money laundering. This is a reverse onus. This flies in the face of any proportionality that you are assumed to be involved in money laundering. Here all of us who are law-abiding citizens must give our biometric data. Let us be flagged. If I have a Swiss bank account and if I am flagged and you want my data by all means, you have a right to do it. But you cannot expect the law-abiding citizens to give up their data. You are changing very substratum of the judgement; you are changing the very substratum of the concept of privacy in our Constitution.

Section 7 (8A), speaks about offline verification of an Aadhaar number. It says, 'Every offline verification of an Aadhaar number holder shall be performed in accordance with the provisions of this section.' Sir, we are dealing with the country where majority of the people are not informed. When the people get a Jio sim card, they give up their Aadhaar number because it is

giving them free data. They have no idea what they are even giving up. In this case, which private entity is going to give it in writing and which person receiving it is going to understand what they are getting. The Government is there to look into the interests of the poor. The Government is not there to help private agencies to get information from them.

There is one more important thing. In respect of Section 12, the Supreme Court in its judgement said, 'There has to be a higher-ranking officer along with, preferably, a Judicial Officer.' They used the term 'preferably'. But you have deleted it in the Bill. When my personal biometric information is being disclosed in the interest of national security, obviously, extra measures should be taken up. When the Supreme Court says that a Judicial Officer should be there, why have you deleted that clause?

Then, clause 16 is again very scary. You are introducing an entirely new concept which is that of offline verification seeking entity. You are creating an alternative identity. Why should I give an alternative identity in the hands of private individuals? This is interfering with my relationship of contract with my bank. You are forcing me to give my biometrics by law to a bank or to a telecom agency.

Sections 37 and 38 of the principal Act deal with penalties which are available to the authority for unauthorised access to the Central Identity Data Repository. Recourses are available to the authority. I am the person and it is my data, why Sections 37 and 38 are not applicable to me? Why do I have no recourse if my data has been hacked from the Central Identities Data

Repository? How come the authority has recourse and I, as an individual, whose biometric it is, who has the first right over it, do not have access to it? What is this?

You have now amended Section 24 of the Indian Telegraph Act. You are saying that you can use the Passport and any other document which will get notified by the Central Government. As of today, there is no notification issued. Only five per cent people of India have Passports.

So, you have not notified the other documents. Only five per cent people have passports. So, they have to give either Aadhaar or passport number. What does it mean? You are forcing people to give Aadhaar.

By clause 25 of the Bill, you are introducing a new Section 11A into PMLA which allows banking companies to conduct Aadhaar-based authentication and offline verification. By amending the parent Act, you are completely changing the substratum of the judgement; you are trying to bypass the judgement as well as the right to privacy, which we are entitled to as per our Constitution. So, we urge you that in the absence of that, please open this to public consultation and have the closest scrutiny by referring this Bill to the Standing Committee.

Sir, this is what we would request you. Thank you.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity considering the fact that it is such an important Bill. I will be named as part of the history for participating in this discussion. I also have to thank my colleague, Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu, MP from Narasaraopet for putting together this message, for whom I am stepping in because he could not make it due to personal reasons.

Let me begin by expressing pleasure that this Bill has lived up to the Supreme Court's directive which read down Section 57 of the Aadhaar Act, 2016.

I commend the Union Government for clearly aiming to omit the controversial sections on use of Aadhaar by corporate and private entities. No State in the world should directly or indirectly compromise the privacy of individuals' sensitive information – neither into the hands of private players nor into its own and never to a foreigner.

I must welcome the enabling aspects of this Bill. It attempts to create much needed regulatory framework, enforcement capabilities and penalising powers for the Unique Identification Authority of India. Layers of encryption are being added to conceal the Aadhaar Number and its datasets, which is an appreciable thing. The idea of informed consent and protection of children by their guardians until adulthood are measures of a good public policy.

Giving citizens the option to choose their preferred mode of identity verification and opening up the ambit of complaints to them are necessary to democratise the system. The Bill stands firm on constitutional grounds as it

states that no citizen will be denied services for want of Aadhaar verification. One cannot deny that this Bill decentralises funding by creating the UIDAI Fund that will bring self-sustenance to the project in its own right.

All these are positive things. I am sure that it is music to the ears of the Treasury Benches. They must be elated to know that someone from the middle order in this august House is painting a rosy picture of this proposed legislation. They are free to think so, but I urge them to lend their ears equally to know of the lurking dangers of our times. These days the big brother tendency of the system itself prevails to haunt our citizens in subtler ways than one can imagine.

Let me start by reminding you again that I come from the State of Andhra Pradesh which witnessed the country's biggest Aadhaar data leak or, you might say, data theft. In July, 2016, the then State Government led by TDP conducted the much hyped PrajaSadhikara or the Smart Pulse Survey. It collected the socio-economic and demographic data of 1.26 crore households in the State citing that it was for a more effective delivery of welfare schemes. In the name of welfare, the TDP Government tricked the people into filling information gaps left behind by Aadhaar. ...(*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, this is a baseless allegation. ...(*Interruptions*)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Why do you not reply when you will get a chance to speak? You can reply when you get your chance to speak. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record except Shri Sridhar's speech.

...(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: If there is anything unParliamentary, it will definitely be taken care of.

... (Interruptions)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI : Sir, in the name of welfare, the TDP Government tricked the people into filling information gaps left behind by Aadhaar. In the Government's own words, it possessed 60 per cent of the information it needed and was going after the rest. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please try to avoid making allegations against the State Government. Please speak on the Bill.

... (Interruptions)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Not knowing the dire consequences of this survey, people started furnishing details of caste, family, community education, income, livelihood, whether they were beneficiaries of welfare schemes and what amount they received for the same.

The then Government took all these details and uploaded them online through a e-KYC-based verification system linked to Aadhaar. What then followed were a series of data leaks or what you might say, 'data theft' that

* Not recorded.

exposed these details to the entire world. In 2018, the AP Housing Corporation's website had disclosed personal information and bank details of about 1,34,000 people to several private agencies.

Again in June 2018, the AP State Government portal www.ap.gov.in itself hosted Aadhaar linked details of 4.5 crore residents living in the State. These details were directly taken from the Smart Pulse Survey Data mentioned earlier.

Again in September 2018, the AP Government put up an open data base once again of more than 23,000 farmers and other tribals. Subsidies provided to them from the AP Medicinal and Aromatic Plants Board and all their personal data were open for all to access.

The list of leaks was endlessly growing until one day, when it all started making sense to the people. In early 2019, people witnessed the truth behind the politics when huge number of applications were uploaded on to the Election Commission website for removal of votes to the tune of lakhs in each Parliamentary constituency. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please confine to the Bill. Your time is already over.

... (*Interruptions*)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI : Sir, can I continue to speak? It is my turn.
...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please be seated.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your time is already over. Please conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: I am just repeating what had happened.

Everybody knows it. It is open to the whole world. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot make any specific allegation. You can very well speak on the Bill.

... (*Interruptions*)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: They conspired systematically using the Government servants, paid workers and party cadre to conduct a public survey - all to ensure that they can categorise voters, profile them and 'manage' the election process in the State. The private company data-grids poured life into the illegal project by creating a SevaMitra mobile application which was accessible to each and every ground cadre of the party up to the booth levels and beyond.

The Telangana State Forensic Science Laboratory revealed that a mammoth 7.8 crore records of Aadhaar data linked with Smart Pulse Data were stored by a private company. These records that belong to citizens of Telangana and Andhra Pradesh were linked with voter ID numbers, colour photographs, names of family members, caste groupings, whether they were

beneficiaries of welfare schemes and the amount they received for the same. A statement was issued by an Aadhaar Deputy Director that the database structure, size and file formats recovered from the private company's storage devices were similar to those maintained by the Central Identities Data Repository. ...*(Interruptions)* This is against a private company. I do not why you are so bothered.

Now, while the private company was booked by the Hyderabad police, till date not a single Government servant, paid worker or party cadre has been arrested. The TDP Party was even prepared on the legal front. In fact, back in 2017, the State Government passed the Andhra Pradesh Core Digital Data Authority Act. Section 37 of that Act states that no legal proceeding shall lie against any officer or employee for anything which is done in good faith. What this means is that leaks and breaches are not something any official in the Government can be held responsible for.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Almost done Sir.

Our present State Government led by our hon. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is striving to scrap such draconian sections of the State law. Under his leadership we are preparing the ground to door deliver the welfare schemes. We are establishing Gram Secretariat in each village. Any eligible person can approach Village Secretariat and his request will be processed in

48 hours. I request the Union Government to look into it as a mode for other States as well.

With regard to this Bill, I would like to state that no doubt it bars private entities from using Aadhaar-based information. But there is no clarity on norms and penalties when officials within the Government itself leak the information to private entities or open web sources.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: In this case, we all saw that if an incumbent Government has the strong will to indirectly pursue illegal means to no end, they can go ahead and execute it. Except that, they stand exposed clearly.
...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have to call the other Member.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI : Almost done Sir.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have to call the other speakers.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Yes, Sir. I am just concluding.

HON. CHAIRPERSON: If you want to conclude, please conclude in one or two sentences.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI: Finally, I would like to suggest to the Union Government to incentivise independent security researchers to report data

weaknesses for monetary rewards and domain recognition. A lot of countries, to strengthen their cyber defence, is successfully implementing this.

Sir, I would like to conclude by offering full support to this Bill and amendments made in it. Our suggestion is, rather than reacting to the situations, that we all should make amendments to Aadhaar in time so that no citizen will lose basic rights like availing their vote or access to the welfare schemes that are conceived for them. Thank you.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Hon. Chairman, Sir. Let me wish this Hon. House, as my other colleagues from Biju Janata Dal have done, a 'Happy Rath Yatra'. From the people of my constituency, Puri, I convey their best sentiments to this House. I am sure the people of Odisha will also be happy to receive reciprocal wishes from this House. Jay Jagannath! It is a very important event. As a Member of Parliament for Puri, I should have been there. But I am here today as instructed by my Party to flag certain issues before this House. Therefore, it is important enough for me to be here.

Hon. Chairman, Sir, let me say that, unfortunately Aadhaar like GST is really a lesson that should be obtained in the country in terms of bipartisanship. We have seen Shri Adhir Ranjan Chowdhury taking the credit for Aadhaar saying that they initiated it. Now, they are opposing it. Unfortunately, the Treasury Benches today, are waxing eloquently in terms of Aadhaar. They were opposing it, when they were in the Opposition like the GST. Unfortunately, this is not good for this country. Therefore, I implore both the major political parties that in future at least when they know in their heart of hearts that there is something which is in the interest of the country, they should come up with constructive suggestions as we do in Odisha, rather than, as a matter of principle, just keep objecting.

Let me say that most of the issues today are settled by the Hon. Supreme Court's judgement – majority 4:1 Judgement as well as the earlier judgement of Justice Puttuswamy which is the Right to Privacy Judgement.

What the Government is really doing is tinkering a bit with the law. It will continue to tinker with the law. It is a new law. As this law distils and crystallises, we will see that many more amendments will come about. But the fact is that the basic fulcrum of the law is that the vires has been upheld and the constitutionality is upheld. Therefore, now, there is no question of going back on Aadhaar. Aadhaar is a good law; Aadhaar is a good practice. That is the first thing that we have to acknowledge.

In fact, the Odisha Government, right after the recent Constitutional Bench judgement, have given effect to it in large measure and we have been benefitted by it. Lakhs and Lakhs of people, who ought not to have been benefitted from the Government's scheme particularly from the new KALIA Scheme that we have initiated recently for farmers' welfare, have been weeded out. Thanks to Aadhaar. It is proved that it is beneficial in Odisha. Therefore, as a matter of principle, I believe that Aadhaar is a good law as the Supreme Court has said and it is good in practice and execution as well.

The misgivings that have been projected in this House and principally by a very ardent opponent of this Government who, I think, in principle, is TMC led by Ms. Mahua Mitra Ji who actually said that we are, in principle, probably happy to support this legislation, provided the other limb that the Supreme Court has mentioned, the Data Protection Bill, should be brought in simultaneously. That seems to be the basic sentiment of a certain section of this House. That sentiment, may I say, Hon. Chairman, Sir, is not unfounded. I

think the Hon. Law Minister who is a very senior advocate himself, will see that the Supreme Court judgement is not just full of pious homilies. Practically, the Supreme Court judgement is in the nature of directions expressly given to the Government or, in any event, consented to the learned Attorney General.

Sir, I want to stress on a few passages of the Supreme Court judgement which are important as we are suffering from some practical problems because of the absence of the Data Protection Bill. I think it should have been really brought in along with this so that the House could have, on bipartisan basis, cleared both.

The Supreme Court has clearly said in Justice Sikri's Majority Judgements and I am quoting:

"We have also impressed upon the respondents, as the discussion hereinafter would reveal, to bring out a robust data protection regime in the form of an enactment on the basis of Justice B.N. Srikrishna (Retd.) Committee Report with necessary modifications thereto as may be deemed appropriate."

This carries on all the way through : "Notwithstanding the statutory provision discussed above, we are of the view that there is a need for a proper legislative mechanism for data protection." So, it is a virtual mandamus given to the Government.

It goes on to state that : "The Draft Bill and the Report cull out rights and obligations of the data fiduciary and data controller respectively". It further states that : "There may be indeed scope for further finetuning of this law

through a consultative process. However, we are not far away from a comprehensive data protection regime, which entrenches informational and data privacy within our laws and legal system. We hope that there would be a robust statutory regime in place in the near future". This is as good as a mandamus given to the Government.

Justice Bhushan's Judgement again concurs that : "The Report having been submitted, we hope that law pertaining to Personal Data Protection shall be in place very soon taking care of several apprehensions expressed by petitioners". Here also, I think that the hon. Members like Shrimati Mahua Moitra and other speakers have indeed expressed the same kind of apprehensions.

Now, let me straightaway draw the kind attention of the hon. Minister -- since he is also in-charge of two very important Departments of IT as well as Telecom -- that information and data now is the new 'oil' of the 21st Century. This is going to be how the society is going to be driven going forward. Therefore, whoever controls information and data is going to be in this incredibly powerful position to be able to control our lives. We have seen in a country like the United States, which is a powerful country, where there is so much debate now on whether the US elections were actually influenced by Analytica, a British company, at the behest of another foreign power. There is a massive amount of debate on that issue in the United States. The reason I am saying this, and I do not intend to target 'A' company or 'B' company, but,

for sure, we have a neighbour who is hell-bent on aggrandizing data and information from India and this is not going to be for the benefit of India and Indians. It is going to be for their benefit and their future because they actually believe in planning centuries ahead.

It is very ironical that Mr. Shashi Tharoor and the *Swadeshi Jagran Manch* who are completely opposite sides of the coin, yet they are on the same page as far as, for instance, this Chinese company called *ByteDance*, which promotes Tiktok and Helo in this country. Both of them are on the same page. The *Swadeshi Jagran Manch* has written a savage letter, a stinging indictment, to the hon. Prime Minister showing how this particular company is engaged in such iniquitous, nefarious, egregious activities in this country that ...*(Interruptions)*

Sir, I had 10 minutes at my disposal, and it is not even 8 minutes. Mr. Chairman, please. I am watching the clock like a hawk. ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : Sorry. The time allocated for you is just four minutes.

SHRI PINAKI MISRA: Kindly give me a couple of minutes more.

HON. CHAIRPERSON: I am just cautioning you. Definitely, this is a very important Bill where academic and intellectual exercise is required.

SHRI PINAKI MISRA : Mr. Chairperson, I would be the last one to waste the time of the House. It is in the interest that Members know what will happen.

HON. CHAIRPERSON: I am only cautioning you that the time allocated to you is over.

SHRI PINAKI MISRA : Kindly give me another couple of minutes.

HON. CHAIRPERSON: Yes, please.

SHRI PINAKI MISRA : The reason I am saying this is that three hundred million users in India alone are today using Tiktok. Two out of three Tiktok users are coming from India. So, can you imagine the amount of information and data that is being aggrandized by them? Their reply to Mr. Tharoor was that : “We have no existing relationship with the Chinese Government.”. What does that mean? It means that you had a past relationship, and going forward, there is no guarantee that you will not have a relationship in the future.

It is well-known, as the *Swadeshi Jagran Manch* letter says that any kind of under-bidding or under-cutting that takes place in these telecom sector tenders in India is done by these Chinese companies because they have the full backing, might and the power of the Chinese Government. Otherwise, there is no way that they would be doing it. They are sharing all their data with the Chinese companies as well as with the Chinese Government.

Eventually, it is very important that going forward, the Treasury Benches also recognise the fact that while today they may be beneficiaries of agencies like Tiktok and Helo because perhaps it is said that it was helpful in their winning the elections, tomorrow, the very same agencies and instrumentalities would turn against you. Therefore, you would be *'hoist on your own petard'*.

Eventually, we are all going to be victims because we, as Indians, are going to be victims.

Therefore, I would urge the hon. Minister that the time has really come when companies, which are \$75 billion to \$100 billion companies, are operating in India with Indian money should be governed by some laws.

15.00 hrs

By the way, they are paying people to be their users; to be giving them information; to be information providers. They are paying handsome amounts. It is also causing social tensions.

The other day, in Odisha, in a children's paediatrics hospital, there were nurses on Tik Tok, who were dancing to Hindi music, in full nurses' uniform. It is shocking to see what is happening because people are being paid for it. The hon. Minister is well meaning when he brings in this legislation in line with the judgement of the Supreme Court but I request him to kindly see that the other section or the other limb of it which the Supreme Court has virtually directed the Government to do. I request the Government to bring in your data protection Bill because we need protection from these kinds of egregious agencies which are otherwise going to create mayhem in this country.

With these words, I finish my deliberative process, and I would urge the Government to kindly consider this going forward. We are supporting the Government on this very important Bill.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Thank you hon. Chairperson, Sir, for giving me the chance to speak today. I stand here with the aim of opposing the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019.

Sir, without a robust data of protection Bill, the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill is an irresponsible legislation. While we can't have in this country an *ad hoc* legislation that simply determines when privacy will be accorded legal protection in the form of various laws, such as the Information Technology Act, the Indian Telegraph Act, the Indian Contract Act and the Aadhaar Act, what we don't have is a comprehensive and an exhaustive definition of what constitutes as private data of the citizen. How it ought to be protected for the sake of privacy, and not for the sake of breaches or attempted breach? So, the need of the hour, hon. Chairperson, is this.

As the Supreme Court had recommended in its Five Judge Bench in 2018 as part of its landmark judgement which Shri Misra was just mentioning in *K.S. Puttaswamy Versus Union of India* is a robust - and I quote - data protection law that treats citizen's fundamental right to privacy as established by Article 21 and Article 19a, as not just the basis of the law but also the purpose of it. So, only when we have such a robust framework, can we begin to safeguard citizens' private data, and the rights and ownership over their private data. Until such legislation is in effect, even a voluntary or consensual use of Aadhaar data by private players is a gross infringement of privacy. At the very least, it is irresponsible. I have a few examples.

मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों के साथ उसको शेयर करना चाहूंगा। अभी आधार डेटा तमाम प्राइवेट कम्पनियों के पास है। ये सारी कम्पनियां, चाहे वह फोन हो या बैंक अकाउंट हो, ये सब आपका आधार कार्ड नंबर लेकर आपकी सारी उपभोक्ता हिस्ट्री लेने का काम करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने परिवार के साथ साल में दो बार छुट्टियों पर जाते हैं तो उसकी जानकारी उनको होती है। वे यह भी जानते हैं कि आप किस प्रकार की दवाइयां खरीदते हैं। आप क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं।

मान्यवर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि ऐसी जानकारी अगर किसी इंश्योरेंस कम्पनी के पास पहुंचे और वह इंश्योरेंस कम्पनी यह जानती है कि आपके बच्चे को दमा की बीमारी है क्योंकि आप हर महीने चार हजार रुपये में दमा की दवाई खरीदते हैं। जब आप अपने परिवार के साथ साल में दो बार छुट्टी मनाने जाते हैं तो इंश्योरेंस कम्पनियां आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बेचने के लिए आएंगी तो उसमें जो प्रीमियम चार्ज करना होगा, चूंकि वे जानती हैं कि आपके बच्चे को दमा है और जब उसको कवर करना होगा तो प्रीमियम को वह बढ़ा कर लगाएगी। इससे माता-पिता होने के नाते आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप उसे भारी प्रीमियम पर खरीदें। इस तरह से यह डेटा मिसयूज होता है। यहां हमारे सांसदगण बैठे हैं और ये जानते हैं कि तमाम ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों के पास आज की तारीख में सभी का आधार डेटा और आधार कार्ड पड़ा हुआ है। आप यह सोचिए कि कोई ग्राम प्रधान किन्हीं असामाजिक तत्वों के हाथों में पड़कर किसी को दे देता है।

आदरणीय मंत्री जी, तो यहां पर नहीं हैं।... (व्यवधान) आदरणीय मंत्री जी आ जाएं। वह हमको भी सुन लें। हम नए सदस्य हैं। मंत्री जी आ जाए।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You may continue your speech. The other hon. Ministers are present here... (*Interruptions*). Your time is very limited.

SHRI RITESH PANDEY: Sir, this is not fair.

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair.

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, अगर आप देखेंगे, तो सभी ग्राम प्रधानों के पास यह डेटा पड़ा हुआ है। अगर वे किसी अराजक तत्वों के हाथों में इस डेटा को दे देते हैं और वे किसी गरीब, मासूम व्यक्ति के पास चंद रुपयों के लिए चंद फार्मों के ऊपर साइन करा लेते हैं, तो उससे उनको मोबाइल फोन मिल जाएगा। किसी बैंक में अकाउंट खोल लेंगे। अगर वह व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होगा, तो वह किसी किसान, किसी मजदूर के नाम पर एक फोन हासिल करके, एक बैंक अकाउंट खोलकर इन गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। यहां तक कि आज गांवों में तमाम फ्रॉड के केसेज सुनने में आते हैं। किसी के नाम का आधार कार्ड दिखाकर मोबाइल फोन लेकर, किसी के नाम पर खाता खोलकर उन मोबाइल फोन्स से तमाम बैंक फ्रॉड करके उन खातों में पैसा चला जाता है और उसकी धनउगाही होने का काम होता है। ये चंद उदाहरण हैं।

Secondly, I would like to address the issue of reintroduction of access to Aadhaar data on the premise of national security. This is very, very important. The Government has attempted to reintroduce access to such data, which was determined unlawful by the hon. Supreme Court in 2018, by simply replacing the word 'Joint Secretary' with 'Secretary' in Section 33 (2) of the Aadhaar Act. This action by the Government goes against the recommendation of the Justice B. N. Srikrishna Committee which in its Report titled 'A Free and Fair Digital Economy Protecting Privacy, Empowering Indians' has recommended that replacing sole executive action in the context of surveillance with judicial or independent oversight observing that sole executive review in the lawful breach of citizens' private data is not at par with other comparative democratic frameworks in Germany, United Kingdom and South Africa.

This attempt of legalising breach of citizens' data in the name of national security is a dangerously powerful mandate in which it allows the Government to infringe the Fundamental Right to Privacy as guaranteed by the Constitution in article 21 and article 19 (a), which is, I quote, "is an intrinsic part of life and personal liberty".

In the end, I would like to say that this Government during the last five years and especially during the last five months has proved itself extremely irresponsible when it is not determining who it considers 'anti-national', who it considers 'against the interest of the nation' and who it considers 'a threat to national security', be it journalists, academic students or ordinary citizens who exercise their Right to Expression and Freedom of Speech.

Hon. Chairman, I would like to conclude with what the hon. Prime Minister said in the House on the 25th of June. उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से नहीं पैदा हुआ है, लोकतंत्र हमारी आत्मा है।

मान्यवर, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि बाबासाहेब के लिखे हुए संविधान में उन पन्नों में जो हमको अधिकार दिए हुए हैं, पहले उन अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। बाकी जो अंतरात्मा में है, वह जगजाहिर है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, इस देश के हित में अपना मत देने का काम करें। मेरा उनसे अनुरोध है कि यहां पर राष्ट्रवाद को छोड़कर राष्ट्रहित में इस बिल में और सुधार करने की जरूरत है...(व्यवधान) उसको जरूर लागू करें। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है। आधार अधिनियम, 2016 सहित भारतीय तार अधिनियम, 1885 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा भारत में रहने वाले सभी लोगों को 12 अंकों की एक यूनिक आईडी उपलब्ध कराकर एक विशिष्ट पहचान देने का प्रयास किया गया था।

सभापति महोदय, जब यह प्रारंभ हुआ तो उसके साथ-साथ जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने माननीय अटल बिहारी जी द्वारा जो सन् 2002 में प्रयास किया गया था, उसके क्रम में बिना विधेयक लाए सदन में, उन्होंने आधार को एक मान्यता दी थी। उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश थे पुट्टास्वामी जी। उन्होंने एक रिट याचिका - 494 और उसके साथ 38 याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। लगभग छह साल की कानूनी लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ संशोधनों के साथ इसे भारत सरकार के पास भेजा, जिसके कारण भी इस विधेयक को आज लाने का काम किया गया है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। व्यक्ति की विशिष्ट पहचान न होने के कारण सरकार की बहुत सारी योजनाएं, चाहे सब्सिडी हो, चाहे ईंधन की सब्सिडी हो, खाद्यान्न की सब्सिडी हो, पेंशन हो, उन सबका दुरुपयोग हो रहा था। इसका एक उदाहरण इतिहास में भी मिलता है। सन् 1985 की एक घटना है, जिसके विषय में यह कहा गया था कि उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के समय में कालाहांडी, ओडिशा में फानूस नाम की एक महिला थी, जिसने अपनी 12 वर्ष की ननद को केवल 40 रुपये में इसलिए बेच दिया था, क्योंकि उसके परिवार के पास खाने का साधन नहीं था। उस समय के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि गरीबों के उत्थान के

लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए जो पैसा हम भेजते हैं, उसका केवल 15 प्रतिशत तक ही लोगों तक पहुंच रहा है। 85 प्रतिशत पैसा ऐसे दलालों के बीच में, ठेकेदार और ऐसे लोगों के बीच जाता है। इन लोगों ने एक तरह से ग्रुप बना रखा है, ये बिचौलिए हैं। वे इतने प्रभावी हो गए हैं कि उनके पास तक जाते-जाते वह पैसा समाप्त हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय लोग इस आईडी के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि एक साहित्यकार ने एक छोटा सा नाटक लिखा था, जिसमें एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वह उसके अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार गया होता है। उसकी पेंशन देने के लिए लोग आते हैं और बाइचांस पड़ोसी कह देते हैं कि उनके यहां तो मृत्यु हो गई है। जो सरकारी आदमी होता है, वह यह नोट कर लेता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद उसको अपनी पहचान साबित करने के लिए, मैं संक्षेप में ही कहूंगा कि पहले वह अपना जनेऊ दिखाता है, तो कहता है कि पंडित हो, यह तो मैंने मान लिया, लेकिन तुम फलां हो, यह कैसे मान लिया जाए। फिर वह टीका दिखाता है, कपड़े पहने दिखाता है, लेकिन उसकी सारी बातों के साथ, वे यह तो कहते हैं कि आप फलां धर्म के हो सकते हैं, आप फलां क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन आप वही व्यक्ति हैं, इसकी पहचान कैसे हो। इसलिए यह आवश्यक था कि कोई एक ऐसी पहचान हम लोगों को मिले। जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी ने उस समय आडवाणी जी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह बनाया, जिसमें माननीय फर्नांडीस जी, जसवंत सिंह जी और यशवंत सिन्हा जी शामिल थे। उनको कहा गया था कि एक मल्टीपरपज़ राष्ट्रीय पहचान पत्र की जरूरत है, इसलिए इस पर काम किया जाए। उन्होंने एक नया अनुच्छेद भी जोड़ने की बात कही थी। चूंकि वह गृह मंत्रालय के अधीन था तो गृह मंत्रालय के जो हमारे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार थे, उनको वह जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पर काम करें। लेकिन वह काम जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने जल्दी-जल्दी में बिना किसी विधेयक को लाए हुए, आधार को

एक संस्थान का रूप दे कर इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सन् 2012 में आधार के खिलाफ एक रिट याचिका आई। छह साल की लंबी लड़ाई के बाद उस पर एक निर्णय आया और आज उस निर्णय को हम लोगों ने, जैसे हम सन् 2016 में विधेयक लाए, उसको भी उसमें शामिल किया। इसमें 38 याचिकाएं और शामिल हुईं। उन सारी चीजों को मिला कर जो निर्णय आया है, उसमें सुधार करते हुए, जो प्रावधान करना है, उसके लिए हम यह विधेयक लाए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं उसका समर्थन करते हुए इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ कि जब सन् 2014 में आए तो उस समय हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि हम देश के लोगों को, जो अभी तक वंचित हैं, जिनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें एक पहचान दें। पहले हम सीधे-सीधे खाद्यान्न के लिए सब्सिडी देते थे।

वह सब्सिडी, जो लोग पात्र होते थे, वहाँ तक न पहुंच कर बीच में ही बिचौलियों के हाथ में समाप्त हो रही थी। ऐसे समय में लोगों की जरूरतें पूरी न हो पाना, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार आई, तो हमारी सरकार के सामने एक प्रश्न चिह्न था कि कैसे हम सही पात्रों का चयन करें और उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए उनकी सुविधाओं को बढ़ाए। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहले दिन ही यह कहा था कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, इसलिए गरीबों के हित में जो आवश्यक है- घर, मकान, शौचालय, गैस वगैरह उनको दिया जाए और सही पात्र को दिया जाए। उस समय तक यह हो रहा था कि जहाँ बिचौलिये, खाद्यान्न का हम लोग देख रहे थे कि आधे से ज़्यादा खाद्यान्न रास्ते में ही बिक जाता था। कैरोसिन का उपयोग डीज़ल में मिक्सिंग के लिए हो रहा था। एल.पी.जी. की सब्सिडी करोड़पति लोग खा रहे थे। ऐसे समय में इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने आधार को एक सम्बल बनाते हुए ऐसे लोगों की पहचान को जोड़ा। आज मैं यह कह सकता हूँ कि इन पाँच सालों में जो हमारे सामने चुनौती थी कि हम तेज़ी से काम करें, उसके परिणाम आज दिखाई दे रहे

हैं। हम लोगों ने इन पाँच वर्षों के अंदर एक करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ऐसे गरीब लोगों को, जिनके पास घर नहीं थे, उनको घर देने का काम किया है। 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को हम लोगों ने एल.पी.जी. के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए हैं। 'आयुष्मान भारत' योजना के माध्यम से हम 50 करोड़ लोगों के लिए योजना लेकर आए हैं। इसका 32 लाख लोगों को लाभ मिला है। जन-धन के एकाउंट खोले। सब्सिडी आज सही जगह पर पहुँच रही है। पात्र लोगों को मिल रही है और लोगों को सुविधाएँ देने का हमारा जो संकल्प था, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का संकल्प था, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। उसके परिणामस्वरूप मैं यह कह सकता हूँ कि आज आधार के विषय में चाहे जितने प्रश्न चिह्न उठाए जाए, लेकिन आधार एक ऐसा यूनिक नम्बर है, जिसने लोगों की सुविधाओं के लिए और पात्र व्यक्ति के चुनाव के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। पात्र लोगों तक सही सुविधाएँ पहुँची हैं, इसका लाभ हमको आधार के कारण ही मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन हम सब का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह है कि हम गरीब और जो पात्र व्यक्ति हैं, उन तक सुविधाएँ पहुँचाएँ। उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए आधार एक बहुत ज़रूरी नम्बर है। उसके समर्थन में हम सभी लोगों को एक होकर इस विधेयक को पास करना चाहिए। मैं यह कह सकता हूँ कि आधार न सिर्फ भारत के डिजिटल भविष्य को दिशा निर्देशित कर रहा है, बल्कि 132 करोड़ लोगों के देश में दुनिया के डिजिटल नेतृत्व के मार्ग पर तेज़ी से अग्रसर होने में भी आधार हमारी मदद कर रहा है। आधार के द्वारा हम न्यू इंडिया की मजबूत बुनियाद और अभिनव सम्भावनाओं के द्वार खोलने में सफल हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता, चाहे वह पक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, आधार किसी व्यक्ति को स्पष्ट पहचान प्रदान करने में सशक्त, सुरक्षित और मजबूत मंच है। यह पहचान न्यूनतम सूचना,

अनुकूलतम भिन्नता और संज्ञेय डाटाबेस के तीनों बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, वंश और विभिन्न सूचनाओं आदि के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किए जाने की आशंकाओं से पूरी तरह से मुक्त है। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि सारी शंकाओं का निराकरण हमारा यह विधेयक कर रहा है। आधार के कारण ही आज ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। यह देश आगे बढ़ रहा है और जो नए भारत का, हमारे प्रधान मंत्री जी का, हमारी सरकार का और इस देश का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में आधार का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं सभी से यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा कि हम लोगों को कम से कम आधार, जिसके द्वारा हम गरीबों को उनकी सुविधाएँ देने का काम करने जा रहे हैं, सभी लोग सर्वसम्मति से इस विधेयक को यहाँ पारित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, thank you very much. I stand here on the day the Economic Survey has just been published. It is a very interesting observation that the Economic Survey gives you the vision of the Government. Sir, if you see the Volume 1, with your permission, I would like to quote and read. It says, "...data 'of the people, by the people for the people'." A point was made earlier that data is the new oil.

It really makes an interesting chapter. With your permission, I would like to read just a few lines. Under the headline 'Private sector firms as beneficiaries', it reads, "The private sector may be granted access to select databases for commercial use. Consistent with the notion of data as a public good, there is no reason to preclude commercial use of this data for profit. Undoubtedly, the data revolution envisioned here is going to cost funds. Although the social benefits would far exceed the cost to the government, at least a part of the generated data should be monetised to ease the pressure on government finances." Is there a problem with the Government's money? Is that why you are selling data? If you are selling data, then this whole debate is meaningless; and after all the points which the earlier Members have stated, there is nothing more to say.

There is another part to it, "Alternatively, data sets may be sold to analytics agencies that process the data, generate insights, and sell the insights further to the corporate sector..." It is a shame. This is people's data. ...*(Interruptions)* "...which may in turn use these insights to predict demand,

discover untapped markets or innovate new products.” I don’t know what the new products are; God help us. “Either way there is a tremendous scope for private sector to benefit from the data, and they should be allowed to do so, at a charge.” Again, you are selling. “Fortunately, stringent technology mechanism exists to safeguard data privacy and confidentiality even while allowing the private sector to benefit from this data.”

There is nothing really left for me to speak. It is a shame. This is what has come today. I want a straight answer from this Government. What is this? It is completely in contradiction with what the hon. Law Minister of India has said here. I want a clear clarification because you are cheating the common man. I want this on record. The common man is cheated according to what they are doing. What privacy laws are we talking about? It was really interesting because the hon. Minister in his opening remark said how Aadhaar is something that they created. It is very interesting. GST, it is their Bill; Aadhaar, it is their Bill; Direct Benefit Transfer, it is their Bill; Food Security is their Bill; NREGA is their Bill; PAHAL, which they have renamed as Ujjwala, is their Bill. I would just like to put this straight on record for this entire House that all these Bills were introduced and implemented under the leadership of Dr. Manmohan Singh during the UPA. ...(*Interruptions*) I would like to put something else on the record....(*Interruptions*) As far as demonetisation is concerned, we are not taking credit for that. ...(*Interruptions*) I am also supporting it with a document. This is a document of the Standing Committee of Finance (2011-12) on the National Identification Authority of India. If I

remember, all of you were sitting on this side and we were on that side. As everybody knows, the Chairperson of the Committee of Finance is always from the Opposition. At that time, Shri Yashwant Sinha was the Chairperson of the Committee and the entire Committee had objected to this. This is all on record and I am willing to place it. They had said in their observations that this will make illegal immigrants entitled to an Aadhaar Card. What Shri Ajay Kumar was just now saying in his speech and what the BJP's line was in 2011, shows the constant double face of the NDA. When UPA brings something, they will object to it. But when they are in power, they are only growing on the programmes which the UPA started. It is really sad and shameful that they have benefitted from whatever the UPA had done.

There are two queries that I would like to raise. The London School of Economics and the McKenzie's have shown great loopholes of privacy in this. I just want to ask a question to the hon. Minister. The General Data Protection Regulation came into existence and India also has it, but it is only in public domain. Why all these objections if the NDA was so worried about illegal immigrants getting Aadhaar Card? Why have they not brought the data protection Act?

I would like to ask a pointed question. Be it UK, be it USA, or be it Australia, all these countries do not have this identification. My question to you is this. If this is aimed at only people who are receiving subsidies from the Government, why is it mandatory?

The hon. Minister said people were so happy that they gave it for nursery admissions. Shri P.P. Choudhury said people were willing to give it to the banks. Nobody had a choice. Thank God, when the Supreme Court struck it down, they backed off. The inflated balloon which the Government had made was actually deflated, thanks to the Supreme Court. Otherwise, nobody was doing it out of choice.

Today, even if your child goes on a trip, the school is asking for an aadhar card. His aadhar card is connected to yours. He is talking about all that data with great pride. You can apply for a passport. You have a fast system now. Why is aadhar card compulsory now? What is voter's identity card then? We all have voter's identity cards. I cannot really understand why aadhar card has to be used. They take great pride in saying 65 crore people took mobiles – I do not buy that claim – because there was no option. It is almost becoming like a police state.

I would just bring up two quick points before you. The only point I want to make is this. The Government is insisting that they have saved money. This is one figure I would like the hon. Minister to clarify. He says that they have saved over a lakh crore rupees. I really want to know considering all the benefits and subsidies where he has got this figure from. In many districts, I see – you would also see when you go to a village – a lot of people say, 'We do not fall in BPL category. Please put us in BPL category because it is 2011 census that is still going on.' So, it does not mean that just because of aadhar

intervention they are saving lakhs of people. People are still hungry. Look at what happened in Bihar. A hundred and fifty children have not died because of litchi; they have died because of malnutrition. If aadhar is so effective and you are serving so many lakhs of people, how are there so many malnutrition deaths in this country? I think, this is all a hoax.

I am not against technology. This entire House in one voice is supporting transparency and honesty. It is not that only they are full of honesty. Let us not get into this high morality that this Government is obsessed with. I would just like to request this Government not to misuse our information. It is only going to become a police state if we do not get our act together.

There are a lot of cases still going on in the Supreme Court. I would just like to finish my speech by quoting Nietzsche, who is a great German philosopher, 'All things are subject to interpretation, whichever interpretation prevails at a given time is a function of power, not necessarily the truth.' So, I want to tell the BJP that just because they are in power, it does not mean all that they say is the truth.

Thank you.

15.28 hrs

(Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, to talk about the Bill is not a question of who support this Bill and who are opposing it.

We all know that the world is becoming more and more digital; countries are becoming totally digital; and all the societies are becoming digital. So, digitalising is very important and this technology has helped make things simple and easier for citizens. As he said, transparency and getting benefits to the citizens are all good. The Supreme Court and that too a full Bench has debated the issue over a long time. Members have mentioned about the importance of privacy and the aspect of leakage. This was established here by those Members who spoke earlier. Why is it that the Government is not bothered about that? Is it because of any interest? Or, is it that they just do not care about that?

We are not against the Bill. There are reforms which were initiated by the UPA earlier. I was in charge of information technology for almost ten years in my State. Kerala is a State where things went on systematically.

We had campaigned for digital literacy. Later on, we initiated the process for its connectivity. We made the people of our State almost IT-literate. Aadhaar is also very popular there. People use it voluntarily for many purposes. We are not against that. Nobody can afford to be against that because the world is moving towards it. The world is becoming digital.

Society is becoming digital. Today, everything is dependent on that and that is why a lot of invention has taken place in this country. Everything is IT-enabled. Voting is IT-enabled, though it has its own problems.

But the question connected with the use of technology is that of privacy and transparency. The full Bench of the Hon. Supreme Court had a quite long debate on this and it made certain recommendations. It recommended that we should not make it mandatory. But the Government has not cared about it. The Government has not taken into consideration the entire debate and the verdict of the Supreme Court while bringing this Ordinance as well as the Bill and that is why we are criticising it.

Nobody is against the technology. Nobody is against any reform. Reform, based especially on the new technology, is the need of the hour and we should go ahead with it. But the Government should have brought the Data Protection Bill along with this Bill. Why is the Government hesitating to bring that Bill? The Government should have honoured the privacy of the people. It should have taken into consideration the dangers that the leakage of data can create. It has been established by Members here that leakage of data can have many-fold consequences. It can affect the country's security. It can affect the citizens' security. It can lead to a number of issues which can create problems for the nation itself. But the Government is very careless and it has not taken into consideration the verdict of the Court at all. Otherwise, the Government would have brought the Data Protection Bill along with this Bill.

As was mentioned by some Members, the Government is in the habit of tying the cart before the horse. At the time of demonetisation also, the Government had just declared that tomorrow onwards everybody will be transacting digitally. How can, in a country like India, one can declare that from tomorrow all the transactions will be done digitally? That is how the Government handles things. That has proved to be the biggest blow to India's economy. We are even now struggling to survive from that. That is the reality.

Such reforms, which do not take into consideration that India is a country where people are not even literate, are of not much use. How can people, who are not literate, make use of this particular technology in doing certain things? The Government has to take care of all these things before bringing in such legislations. The Bill should have enough privacy protection and transparency. This was the basic recommendation of the hon. Supreme Court. The Government has not looked into that at all.

That is why, we are pointing out this. There is no question of not opposing. I have said that we are all for this particular reform, that is, Aadhaar. This is popular among people also. But along with that, the Data Protection Bill should also come up. I want to point out that.

In that spirit, I oppose this Bill.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, उनको याद करते हुए और हमारे यहां दिल्ली में भी बड़ी अच्छी रथ यात्रा ओडिशा की तरह होती है। जय जगन्नाथ हो रहा है, उसे याद करते हुए मैं लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे अपने आप में बहुत ही विद्वान एडवोकेट भी हैं। वे हमेशा दूसरों की बातें सुनकर सुधार करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं।

महोदय, मैं वर्ष 2009 से सुन रहा हूँ कि एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद यूआईडीएआई के द्वारा उसे संचालित किया जाएगा। भारत के नागरिकों को यह प्राप्त होगा। यह सब मैं सुनता रहता था। मैंने तब सोचा भी नहीं था कि मैं यहां पर आऊंगा। मुझे यह सुनते-सुनते वर्षों हो गए। जब मैं इस ऑगस्ट हाउस में आया, तब वह बिल यहां आया और पास हुआ। उसका जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, लेकिन मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। हम लोग उस गांव के रहने वाले हैं, जहां हम अपनी मां को जब बोलते थे कि नाश्ता बनाओ, तो मेरी मां बोलती थी कि आग मांग कर लाओ। हम आग की भिक्षा मांगने जाते थे। हम इसलिए जाते थे कि हमारे घर में गैस कनेक्शन नहीं होता था और इसके लिए सोच भी नहीं सकते थे। मां बोलती थी कि बाबू जा, आग मांग कर ले आ। हम लोग गोइंठा पर आग मांग कर लाते थे, तो मेरी मां बहुत देर तक फूंक-फूंक कर चूल्हा जलाती थी, तब जाकर खाना मिलता था। हम लोग बिना नाश्ता किए जाते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में जो इसका फायदा हुआ, उसका हमें सबसे ज्यादा आभास तब मिला, जब एक कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक डेटा प्रस्तुत किया। 'मैं भी हूँ चौकीदार' कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड आने से पहले, इसके लागू होने से पहले हमारे देश में 8 करोड़ ऐसे लोग थे, जो धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन उनके लिए यहां से सब्सिडी भी जा रही थी, सारी सुविधाएं भी जा रही थीं। हमें सवाल पूछने का मन करता है कि ये कहां जा रही थीं, किसके

पास जा रही थीं, कौन से तरीके से जा रही थीं? इसमें कम से कम 45 से 50 हजार करोड़ रुपये तक का देश का खजाना लुट रहा था, वह बचाया गया।

अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता अधीर जी ने बोला, अभी वे सदन में नहीं हैं, कि आप नकल करते हैं और आपको जल्दबाजी क्या है? हमारे मंत्री से कह रहे थे कि जल्दबाजी क्या है? हमें यह समझ में नहीं आया कि जो अच्छी चीजें थीं, जनता के हित में थीं, उनको शुरू करने के बाद, समय रहते उसे लक्ष्य तक पूरा क्यों नहीं किया जाता था। हमें यह सवाल उठाने का मन करता है कि आप संसद के समय का सदुपयोग करने वाले हमारे विद्वान मंत्री के लिए मेजें थपथपाने की जगह यह सवाल करते हैं कि जल्दी क्यों है? हमारे पास समय कहां है? देश के गरीबों को, देश के उन सभी लोगों को जिनको इस तरह की सुविधाएं प्राप्त करनी हैं, उन एक-एक लोगों की सेवा करें, इसके लिए हमारे पास समय कहां है? एक-एक घंटे का सदुपयोग होना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूं।

‘मैं भी हूं चौकीदार’ कार्यक्रम में प्रधान मंत्री ने एक और डेटा दिया था कि विभिन्न योजनाओं में जो डॉयरेक्ट बेनीफिट दिए जाते थे, आधार कार्ड आने के बाद लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की इसमें बचत हुई। 90 हजार करोड़ रुपये ये और 45-50 हजार करोड़ वो, तब जाकर हमें समझ में आता है कि हमारी मां को, हमारे घर में गैस कनेक्शन मिलने के लिए कितना बड़ा काम हुआ।

हमने एक दृश्य देखा था, हमारे सभी साथियों ने देखा होगा। बसपा के साथी बोल रहे थे, पता नहीं उनको आधार का नाम लेते ही दमा होने लगता है और बंगाल के साथियों को बदहजमी जैसे होने लगती है।

सभापति महोदय, आजकल कट मनी की चर्चा है। जब तक आधार नहीं था तब तक मनी ही कट हो जा रही थी, पैसा आधा पहुंचने की बात तो दूर, वह कहां जाता था, किसके पास जाता था, पता नहीं होता था। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद। मैंने वह दृश्य देखा है, जब

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी पहली बार प्रधान मंत्री बनने जा रहे थे तो उनकी माता जी ने उनके हाथ में सौ रुपये रखे थे। पूरा देश पूछ रहा था कि मोदी जी ने इतने वायदे किए हैं, क्या ये सौ रुपये से ही पूरे हो जाएंगे? हमारे जैसे पहली बार बने सांसद को भी लगता था कि सौ रुपये एक माँ ने दिए हैं। हम भी चिंतित हो रहे थे कि नरेन्द्र मोदी जी सारे अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? लेकिन आज हम खड़े होकर बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया और जो अपेक्षाएं कभी देश ने सोची नहीं थी, उनको भी प्रधान मंत्री जी ने इस आधार की बदौलत पूरा करके संतोष दिया है। मोदी सरकार और हमारे मंत्री जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत मानते हैं।

मैं अपने कई साथियों की बातें सुन रहा था। 27 जुलाई, 2018 को बी एन श्रीकृष्णा समिति ने जो रिपोर्ट दी, मंत्री जी उसी को मजबूत कर रहे हैं। 24 अगस्त 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ ने जो कुछ कहा, मंत्री जी उसी को मजबूत कर रहे हैं। अभी मंत्री जी जाते हैं और कुछ न कुछ करने लग जाते हैं। यहां तक कि अभी जो बातें उठ रही हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे नेतृत्व के रहते हम आधार को जितना मजबूत करेंगे उतना ही फायदा होगा।

मेरा सभी से प्रार्थना है, इसे याद रखा जाए कि आधार कार्ड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शत्रु है। जिनको भ्रष्टाचार प्रिय है, वह कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मारने के लिए आधार अधिनियम में जो संशोधन आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं पूरी सभा से चाहूंगा कि सभी मिल कर इसका समर्थन करें। अभी और भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी, उसे भी करना चाहिए, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसी धारणा को रखते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप भी समर्थन करें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, आपने मुझे आधार और अन्य विधियों में (संशोधन) विधेयक, 2019 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बिल सर्वोच्च न्यायालय के आधार कानून 2016 पर 26 सितम्बर, 2018 को दिए गए फैसले के आलोक में लाया गया है। आधार पर अदालत ने बहुमत से आधार के जरिए सभी नागरिकों को सूचनाएं हासिल करने पर रोक लगा दी।

HON. CHAIRPERSON: Just a minute. Hon. Member, Mahua Moitra Ji, we are not supposed to talk to the officials in the Gallery.

श्री कौशलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, इसके साथ ही आधार कानून 2016 की धारा 57, धारा 32 (दो) और धारा 47 आदि को रद्द कर दिया गया था।

यह बिल परिणामस्वरूप आधार कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल के बारे में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आधार का तो सब लोगों ने समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी के लोग पहले से ही समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज कुछ साथियों का जवाब उलटा आ रहा था। अभी हमारे साथी बता रहे थे, अगर सबसे ज्यादा आधार से लोगों को लाभ मिला तो गरीबों को मिला, जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, उनको मिला। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और सरकार से आशा करता हूँ कि वह आधार बिल संशोधन करके लाई है, जैसे पेंशन, राशन कार्ड से जुड़ी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अनेक काम होंगे। यह बिल इसके साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी था। मैं समझता हूँ कि देश में 88 करोड़ बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हो गए हैं। इसी प्रकार 70 करोड़ के आसपास मोबाइल फोन्स भी आधार कार्ड से लिंक हो गए हैं। गैस सब्सिडी भी आधार कार्ड से लिंक कर दी गई है। यह कोई साधारण बात नहीं है।

मैं समझता हूँ कि समाज का उपेक्षित वर्ग भी कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बन गया है। इसी प्रकार से सेवाएं बेरोकटोक मिलने लगी हैं। सरकार का मानना है कि आधार से देश की

डिजिटल यात्रा और रफ्तार पकड़ेगी। यह बिल 132 करोड़ देशवासियों को डिजिटल पर भरोसा, क्षमता और विश्वास बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आलोचकों का कहना है कि आधार से आम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वायत्तता, चयन करने की स्वतंत्रता पर खतरा है। इसके लिए ऐतिहासिक उपाय लोग ढूँढ रहे हैं। यह देखा गया था कि कुछ लोग आधार डाटा का व्यावसायिक इस्तेमाल करने लगे थे, इससे लोगों में संशय बढ़ने लगा था।

आधार अब लोगों के लिए फायदे की पहचान बन चुकी है। 122 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार सभी प्रकार से संतुष्ट है कि आधार के डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आधार पूर्णरूपेण संरक्षण और स्वायत्ता को सुनिश्चित करने वाला कानून है। अतः मैं अपनी पार्टी जदयू की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Hon. Chairperson, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Aadhar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019.

Sir, this amendment Bill violates the Supreme Court's decision on the Aadhaar project and puts the data and privacy of Indian residents in jeopardy. Lack of transparency, public consultation and scrutiny by any Parliamentary Committee are all glaring omissions. On behalf of my Party, I strongly oppose this Bill.

This Bill is in contravention of the judgement of the Supreme Court. The question is whether it is voluntary or mandatory. According to the Government it is voluntary in nature, but all the Government organisations including Reserve Bank of India say that it is mandatory. So, it is against the order of the Supreme Court.

I would like to refer to the problematic clauses of the Bill. First, amendment to Section 4 of Clause 7 of the Aadhar Bill; amendment to Section 4 of Clause 24 of the Indian Telegraph Act; insertion of a new Section 11A in Clause 25 in respect of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. All these amendments are meant to benefit the private managements.

So, I am opposing this Bill. The Bill may allow private entities to continue to hold Aadhaar data in disregard for the Supreme Court judgement. The Government's latest move encourages continued collection of citizens' data

through the use of Aadhaar-based authentication which again is contra to the Supreme Court judgement and it reflects the intention of the Government.

Fourthly, privacy and security concerns related to Aadhaar remain unaddressed. A special law like the personal data protection law must be there. It is not there now. Public consultation is not done by the Government properly. So, I oppose the Bill.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Chairman Sir, on behalf of my Party, Apna Dal, I rise to speak in support of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill which has been brought to replace the Ordinance promulgated on 2nd March, 2019.

As we all know, this Bill also intends to amend the Aadhaar Act, 2016, the Indian Telegraph Act, 1885 and the Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

We all understand the background of bringing this Amendment Bill today. It was in 2017 that the Supreme Court held that the right to privacy is a fundamental right under article 21 of the Constitution. It then went on to further examine the various claims which were made with respect to the validity of the Aadhaar Act only to further rule that Aadhaar does not intervene with the right to privacy of any individual. But at the same time, it also banned mobile service providers and banking service providers to use Aadhaar authentication as a means of verifying the identity of their clients without a law permitting to do so.

It was in the context of these developments that the new Aadhaar (Amendment) Bill is being brought by the Government. It makes certain very important provisions which says that now an individual may voluntarily use his Aadhaar number to establish his identity either by Aadhaar authentication or by means of an offline verification.

Also, in the case of a child's enrolment, the agency has to necessarily seek the permission of the parents or the guardian and once the child attains the age of 18 years, he may even cancel his Aadhaar number.

The third and the most important provision is, the mobile service providers or the banking companies can verify the identity of their clients by using three important documents. It could be Aadhaar authentication or passport or it could be any other document which is notified by the Government of India.

This is where my first question arises. I request the hon. Minister to pay attention to this point. Consider a situation where the other documents which we are talking about in the provisions are not being notified by the Government. Then the only two options that we are left with is either Aadhaar authentication or passport. Now, if an individual does not have a passport also, then the only option that he or she is left with is Aadhaar authentication. That means we are back to square one. We are coming to a situation where we are making Aadhaar authentication mandatory.

I would like the hon. Minister to please explain as to what we are supposed to do in such a situation, if it arises, which most likely will arise in some or the other cases.

The second question that comes to my mind is, the Supreme Court has said that Aadhaar authentication data should not be retained for a period of more than six months but Aadhaar regulations do not specify any certain

duration. Would the hon. Minister shed some light on what exactly is going to be the duration for retention of Aadhaar authentication data?

The third question which comes to my mind is regarding biometric information. As per the Bill, biometric information includes our finger prints, our photographs and our iris scans. And the Bill says that another category or type of biometric information can only be decided by the UIDAI.

What I wish to say is that the other categories of biometric information must be prescribed by the Parliament and not by the UIDAI. The Parliament is supreme. So, I want to understand from the hon. Minister as to what is the reason for giving preference to UIDAI over Parliament in prescribing the newer forms of the biometric information.

Hon. Chairperson, the next question that comes to my mind is regarding what the other hon. Members from the BJD, the TMC and the Congress Party also said. There was a Committee set up under the Chairmanship of Justice B.N. Srikrishna which suggested a draft Data Protection Bill. I really want to understand if the Government has any intention of introducing that Data Protection Bill or not. If at all it has the intention, when is it going to bring that Data Protection Bill?

So, these are certain queries which came to my mind. I would request the hon. Minister for pinpointed clarifications while he replies to the House. That is all I wanted to say. I support the Bill. Thank you very much.

श्री संजय काका पाटील (सांगली): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आधार संशोधन विधेयक, 2019 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान आधार संशोधन विधेयक मूल अधिनियम को सुदृढ़ करने तथा बैंकिंग और मोबाइल कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार को एक ऐच्छिक पहचान-पत्र के रूप में उपयोग सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के पारित होने से आधार के वैधानिक व कानूनी अस्तित्व को एक नई मजबूती और ताकत मिलेगी।

माननीय सभापति जी, यह आधार विधेयक सिर्फ नाम का ही आधार नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार मिटाने का, समाज के निचले तबके के सशक्तीकरण का, हमारी सरकार की साफ नीयत का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को पूरा करने की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मूल अधिनियम का उद्देश्य एक सक्षम, पारदर्शी और सुनियोजित तंत्र से राज्य सहायता आधारित विभिन्न सरकारी लाभों और सेवाओं को उन वर्गों तक पहुंचाना है, जिनके कल्याण और लाभ के लिए उन्हें आरंभ किया गया है। भारत की संचित निधि पर पड़ने वाले व्यर्थ के बोझ को हटाया जा सके तथा ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का गैरकानूनी ढंग से लाभ उठाकर सरकारी राजस्व पर बड़ा बोझ डालते हैं। इस आधार के माध्यम से हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त पहचान के संकट के समाधान को भी दिशा मिलेगी क्योंकि आधार के माध्यम से भारतीय नागरिकों को एक डिजिटल पहचान मिलेगी, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तो होगा ही, साथ-साथ अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों की पहचान भी हो पाएगी। इससे भविष्य में विदेशी घुसपैठ पर रोक लगेगी जिसके कारण अनेक राज्यों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

सभापति महोदय, वास्तव में भारत में आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आई.डी. प्लेटफॉर्म है, जिसमें 123 करोड़ से भी अधिक लोग शामिल हैं। विश्व में कहीं भी डिजिटल शक्तिकरण से बड़ी योजना न बनी है और न बनी होगी। आधार अधिनियम में ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रावधान किए गए, जिनसे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कैशलैस और पेपरलैस होने की दिशा में अग्रसर होकर इस व्यवस्था को और सुचारु और सुगम बनाया जा सकेगा। इससे आधार प्रमाणीकरण और के.वाई.सी. जैसी सेवाएं सुलभ हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार और सरकारी तंत्र के कार्य में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इसके साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा तथा समय के साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में एक नई उपयोगिता उभरकर सामने आएगी। आधार को एक सांविधिक और कानूनी मान्यता मिलने के पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी.डी.एस. के माध्यम से चल रही विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत गैस, खाद, उर्वरक और चावल आदि की आपूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी।

16.00 hrs

बीजों पर मिलने वाली सब्सिडी का सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। इसके साथ-साथ आधार के वैधानिक रूप लेने के पश्चात् सरकार द्वारा एलपीजी, केरोसीन, फूड और फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ भी लगभग एक लाख करोड़ रुपये कम होगा। इसके साथ-साथ विभिन्न योजनाओं में भी कैश ट्रांसफर से अगले कुछ वर्षों में भारी लाभ होने की संभावना है। सरकार ने आज ही खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की है। एमएसपी के अंतर्गत सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज की अदायगी सरकार द्वारा किसानों को सीधे उनके खाते में कैश ट्रांसफर करके की जा सकती है, जिससे व्यवस्था से दलालों को हटाया जा सकेगा।

16.01 hrs

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

इससे हमारी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को और मजबूती मिलेगी तथा सामाजिक न्याय से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पारदर्शी ढंग से उन कमजोर और पिछड़े

वर्गों तक पहुंचेगा, जिनके कल्याण के लिए ये योजनाएं आरम्भ की गई हैं। इस संबंध में आपको स्मरण होगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ऐसी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा ही वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच पाता था। मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आधार के माध्यम से हमारी सरकार ने विगत आर्थिक वर्ष में लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, जिसमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

हमारी सरकार ने आधार के माध्यम से लगभग तीन करोड़ अस्सी लाख नकली एलपीजी कनेक्शनदारों का पता लगाकर 42,000 करोड़ रुपये की बचत की है। इस सन्दर्भ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से संबंधित जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 56 मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही 1,119 योजनाओं में से 452 योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर आधारित हैं। 2019-20 के दौरान मार्च, 2019 तक 45,105 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए गए। इस संबंधित वर्ष के दौरान लेन-देन के आंकड़ों की संख्या 34 करोड़ रही है। यह सब देखकर, मैं इस विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं, मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Madam Chairperson, I rise to speak on the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019.

Before I come to the substantive aspects of the Amendment Bill, I have a submission which you may like to flag for the consideration of the hon. Speaker that when the Government moves an Amendment Bill, perhaps it would be appropriate to move the original Bill along with it because it becomes very difficult to get the context of the amendments if the original Bill is not appended to the Amendment Bill. Perhaps the Chair and, of course, the Treasury Benches would consider it. I think it would really set a healthy

precedent in terms of understanding what really the Amendment Bill sets out to do.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam Chairperson, I would like to inform the hon. Member that while replying to the debate, I will myself be placing the original Section 7, where just two words are being added. I will explain that.

HON. CHAIRPERSON : No, he is saying something else. He is saying the whole original Bill should be appended.

SHRI MANISH TEWARI: Madam Chairperson, it was not in the context of a particular section. This was a generic observation with regard to all Amendment Bills that when you move an Amendment Bill, if you can annexe the original Bill, at least the context becomes clear. That is the short point I was trying to make.

This particular Amendment Bill actually provides a very good opportunity to revisit the founding principles of the entire Aadhaar Programme. On the 28th of January, 2009, the then Government – it was the UPA Government – came out with a Notification creating the Unique Identification Authority of India. That Notification listed 13 objectives which the UIDAI was supposed to achieve.

It is unfortunate that the Government decided to pick one of them, which is defined usage and applicability of UIDAI for delivery of various services when it came to enacting legislation, and that too in the form of a Money Bill in

order to provide a legal architecture for a framework which had been in place between 2009 and 2016. Now, what exactly was the rationale of the entire Aadhaar programme? The rationale of the entire Aadhaar programme was that there were millions of people who were bereft of any identity and therefore they had a difficulty in being able to access basic services जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड और ऐसे कई प्रमाण पत्र जो सुनिश्चित कर सकें कि उनकी आइडेंटी क्या है। आधार का जो कार्यक्रम है, उसे कार्यान्वित करने का यह उद्देश्य था। जब 2016 में सरकार विधेयक लेकर आई, जैसे मैंने पहले कहा कि जो एक उद्देश्य था, उसे मूल आधार मानकर, this Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 was enacted. When this Act was enacted, it created a consternation across the country. It seemed as if the entire intent of the Government was to reduce the human-being to a single number. I would like to draw the attention of this House, without casting aspersions on anyone that when last time in history this was attempted, it had very devastating consequences. That is why, a number of concerned citizens decided to move to the Supreme Court in order to challenge the very vires of this Aadhaar Act 2016 and that resulted in two very seminal judgements – a 90 judgement which upheld the Right to Privacy to be a Fundamental Right and the second judgement which actually substantively deliberated on various aspects of the Aadhaar Act. This Amendment Bill, which the Treasury Benches have brought, which the Government has brought, actually seeks to give effect to those two judgements of the Supreme Court of India.

The germane question is, does this Amendment Bill actually give effect to these two judgements which the Supreme Court had delivered. I would like to draw the attention of the House to one very salient aspect of that judgement which has been overlooked in the Amendment Act and that is the right to be forgotten. With your permission, I would like to just read a few lines from the concurring judgement of Justice Sanjay Kishan Kaul. Para 636 says:

“The European Union Regulation of 2016 has recognized what has been termed as the Right to be forgotten. This does not mean that all aspects of earlier existence are to be obliterated, as some may have a social ramification. If we were to recognise such a similar right, it would only mean that an individual, who is no longer desirous of his personal data to be processed or stored, should be able to remove it from the system where the personal data information is no longer necessary, relevant, or is incorrect and serves no legitimate interest.”

The judgement further goes on to elaborate the conditions under which this particular right may not be exercised. However, this Bill, which has been brought by the Government gives the child the right that when he attains majority, he can possibly have his Aadhaar Card or his Aadhaar identity to be cancelled. Now, the germane question which arises is that when that right is available to a child, why is that right not available to an adult.

In this world, the number of people who are there in the digital space and equal number of people also want to exercise the Right to be Forgotten, they want to exercise the inalienable Right to Privacy, which has been upheld

as a Fundamental Right by the majority judgment or a unanimous judgment of the Supreme Court.

I would like to submit to the hon. Minister for his consideration that the Right to be Forgotten must also form a part of the Aadhaar Act. Therefore, if somebody's Right to be Forgotten does not transgress and impinge upon certain very essential national security prerequisites, he should have the right to be able to delete his Aadhaar Number and be not a part of the Aadhaar ecosystem. I would like the Minister to kindly consider this suggestion because there is a difference between deactivation and cancellation. The Aadhaar Act provides for deactivation under certain circumstances -- most essentially that if you do not use your Aadhaar Number for three years. But there is an inherent distinction between deactivation and the right to voluntarily be able to cancel your Aadhaar Number.

There are just a few more things that I would like to flag for the Government's consideration. Now, Section 33 (1) of the Aadhaar Act provides for oversight by the Government in case of release of Aadhaar data. I would like to ask myself that 'why does this oversight have to be executive oversight?' The Supreme Court in its judgment has called for judicial oversight. May I very humbly submit for the consideration of the Government and this House that 'why can this not be substituted by Parliamentary oversight?' There has been a long pending demand that even the functioning of the intelligence agencies should be subject to Parliamentary

oversight. I remember that when I was a Member of not the previous, the Lok Sabha before that, I had moved a Private Members Bill in that regard.

Therefore, this may just be your good place to begin that when the personal data of citizens has to be disclosed, that oversight should not be exercised by the Executive; that oversight should be exercised by the Legislature because I do not think that in our Constitutional scheme, even with the Doctrine of Separation of Powers, if the Legislature was to exercise that oversight, it would fall foul of the Constitutional scheme.

Madam Chairperson, the third thing, which I would like to flag for the consideration of this House and the Government is the Chapter on Civil Penalties, Clause 33(b) (1) of the Bill. The Bill mandates that the decision of the Adjudicating Officer, who is a Joint Secretary rank officer of the Government of India, should actually be subject to an appeal before the TDSAT. I ask myself a question that 'why do you not make the decision of the Adjudicating Officer subject to the writs jurisdiction of the court?' The reason I say this is that because if you look at the structure of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, in 2004 we had entrusted it with the function of adjudicating disputes in addition to Telecom, which arise in the broadcasting sector. Then, we decided to also make it the Cyber Appellate Tribunal and the Appellate Tribunal of the Airports Economic Regulatory Authority. The TDSAT is already overloaded. It is not able to discharge these multifarious functions.

So, under these circumstances, rather than entrust another responsibility upon the TDSAT, may I submit to the hon. Minister that perhaps it would be appropriate, since the decision of an Adjudicating Officer is an Executive decision, and in any case, is subject to the writ jurisdiction of the courts, it may be worthwhile to pro-form that in the Bill, rather than have an appeal to the TDSAT?

Let me come to my two most fundamental objections to this particular Amendment Bill, which have already been flagged by my colleagues earlier; and they pertain to Clause 24 and 25 that seek to amend the Telegraph Act and the Prevention of Money Laundering Act.

Now, a bare reading of the Supreme Court Judgement, which upheld the *vires* of the Aadhaar Act, makes it very evident that it partially struck down Section 57 of that Act which deals with private cooperate entities being able to access Aadhaar data.

Now, there is a certain amount of chicanery which is involved, if I may use the word, in the formulation of this particular provision. It adds the word 'voluntary'.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I do not think, it is Parliamentary.

SHRI MANISH TEWARI : Well, in the sense, if it is not Parliamentary, it can be expunged or you can move an objection to that Mr. Minister.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The word 'chicanery' is not unparliamentary.

SHRI MANISH TEWARI : Anyway, the Minister or the Government can move an objection to that.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sougata Roy ji, a little humour should be allowed in the course of this long debate. That is what I told the hon. Member.

SHRI MANISH TEWARI : The point is well taken Mr. Minister. In so far as Section 57 is concerned, the intent of the Supreme Court Judgement was to have an explicit bar with regard to private entities being able to access Aadhaar data. Now, by amending the Telegraph Act, 1885 and the Prevention of Money Laundering Act, 2002 as also allowing telecom companies and banking companies to be able to access Aadhaar data by simply inserting the word 'voluntary', it essentially means nothing. If you are in a situation whereby that is the only method in which you will be able to access a particular service, it goes against the Constitutional scheme where the citizen is at the core of the Indian Constitution. Therefore, the Minister may consider amending or revisiting this particular provision.

My final point is this. If data is the new oil and the Government is in possession of the personal data of 122 crore citizens, what stops the Government from becoming a data refinery? The reason why I make this point consciously is that if you read the Economic Survey in *juxtaposition* with certain provisions of this particular Bill, it makes it amply evident that the intent

of the Government, as expressed in the Economic Survey, is to allow corporate entities to be able to monetise that particular data.

I think, under those circumstances, Madam Chairperson, these are extremely serious concerns which would impinge upon the Right to Privacy and I would urge the Government to consider all these objections very very seriously.

Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shrikant Eknath Shinde. You have five minutes and please stick to the time because there are several other speakers to speak. We have to also keep time for Division, etc.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे 'आधार' पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

आज 'आधार' के माध्यम से अलग-अलग स्कीम्स में सब्सिडी की राशि सामान्य मानवी तक पहुँचाने का काम हो रहा है। जब एक सामान्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सब्सिडी देने की बात आई, तो सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि सामान्य व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से कोसों दूर था। बैंकिंग व्यवस्था को सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बनाने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। इसके तहत 'जन-धन' योजना का निर्माण हुआ और लगभग 30 करोड़ खाते खोले गए। इन बैंक खातों को आगे 'आधार' से जोड़ने का कार्य भी सम्पन्न हुआ। आगे चलकर 'जन-धन' और 'आधार', सरकार और सामान्य मानवी के बीच बने संबंधों की मिसाल बन गयी।

वर्ष 2016 के अधिनियम में संशोधन लाने का मकसद व्यापक है। The aim is the targeted delivery of financial and ther subsidies, benefits and services. इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अनुकूल फैसला सुना दिया। 'आधार' के संबंध में राइट टू प्राइवेसी मूलभूत अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस बिल में संशोधन करते हुए आधार का प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जो विषय था, उसे कई प्रमाण तक हल किया है और डेटा प्राइवेसी का दुरुपयोग करने पर रोक लगाई है। इस संशोधन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी कि वह अपना आधार नंबर किसी कंपनी को दे या नहीं दे। There will be no compulsion on anyone.

इसमें एक संशोधन यह होगा जिसके तहत आधार नंबर के साथ एक नंबर पर्याप्त होगा, जिसके तहत असली आधार नंबर को छिपाया जा सकता है। सिर्फ गोपनीयता का मूलभूत अधिकार ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा का सम्मान करना भी इसका उद्देश्य है। 18 की उम्र पूरी होने के बाद व्यस्क बच्चा अपना आधार नंबर रद्द कर सकता है। इसकी कोई सख्ती तो नहीं होगी, पर मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जब भी उसके पास आधार नंबर कैंसिल करने का निवेदन आए, तो उस व्यक्ति का पूरा डेटा डिलीट किया जाए। चाहे उस व्यक्ति का आइरिस स्कैन हो या बायोमैट्रिक्स हो, सभी प्रकार का अभिलेख अगर सरकार के पास होगा, तो शायद भविष्य में इसका दुरुपयोग होने का चांस बढ़ जाएगा। आज 112 करोड़ लोगों के पास आधार है, मतलब आधार कार्ड पूरे देश का आधार बन चुका है।

Aadhaar has become an important tool for transformation, good governance and empowerment of people. It has brought transparency in delivery system and stopped leakages. Now, because of Aadhaar, benefits directly reach the beneficiary. इसमें अब किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं रही। बिचौलियों की दुकान बंद करने का काम इस सरकार ने किया है चाहे डीबीटी हो, एलपीजी सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो, मनरेगा हो या पेंशन हो। मैं आज यहां एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। Pre-Aadhaar, the demand for jobs in drought-stricken areas was lower by eight per cent than in unaffected areas. Post-Aadhaar, the number of people demanding work was higher by 17 per cent in drought-prone areas. मनरेगा का जो उद्देश्य था, वह आधार के आने के बाद फुलफिल हो गया। Total savings because of Aadhaar linkage in just two-and-a-half years, in just a few schemes were

Rs.49,000 crore. गवर्नमेंट ने अब तक 7.4 लाख करोड़ रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किये हैं और 1.4 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा।

An interesting event happened in Bangalore in July of 2017; three mentally challenged kids were reunited with their long-lost parents. Narendra, Omprakash, and Neelakanta were three differently abled kids in an orphanage in Hosur. Their lives witnessed a miracle when the UIDAI team in its drive of enrolling them for Aadhaar found they were already registered, for good. It took very less time for the officials to then trace the kids to Indore, Jharkhand, and Tirupati respectively. One can feel how thankful and blessed the parents should have felt. Aadhaar is definitely starting to prove its mettle.

Compliance through Aadhaar is now voluntary. But most Indians are not aware of how their personal information can be used or misused. Neither are they aware of their legal rights. Reportedly, there also have been some errors in the registration process. Some people had received Aadhaar with wrong photographs or fingerprints. The detailed personal information is not being treated with the required sensitivity for privacy concerns. Major financial transactions are linked with information collected in Aadhaar. Data leaks are a gold mine for criminals who now use sophisticated hackers.

Aadhaar's principal goals were to end fraud and to reach welfare schemes to the poorest. So, I urge upon the Government to look into this data leakage and I would also like to suggest that data stored by mobile companies or by any other agencies should be permanently deleted so that its misuse can

be prevented. The Government therefore needs to find a solution that would not compromise individual privacy concerns while making the process of identity authentication easy and cost-effective. With this, I and my Party, Shiv Sena, support this Bill. Thank you.

* **SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM):** Madam Chairperson. *Vanakkam.* I thank you for allowing me to speak on Aadhaar and related laws Amendment Bill. I wish to express my views on this Bill where we discuss the use and need of Aadhaar card. Aadhaar is an identity of the common man. This is the slogan of the Union Government. At the time of its introduction, Government called it as private data pertaining to an individual. Every citizen of this country has various identity cards. At the time of birth we get birth certificate. While getting education, we acquire school certificates. Once we attain 18 years of age, we get Voter I card. After marriage we get ration card as an identity. We have commercial license when engaged in a profession. We have PAN card when we pay tax; and driving license for driving vehicles. Government employees do possess an identity card issued by their Office. Even though we have different identities, whether or not we want this Aadhaar is a question bothering our minds very often. I wish to remind that Hon. Supreme Court has not made Aadhaar mandatory. Moreover what is the need for giving importance to Aadhaar card by this Government. Aadhaar is a private document of an individual. Generally, in order to get a mobile connection, the Aadhaar card details are sought by the private companies like Jio, Airtel, Vodafone and others. I want to ask how the privacy of the individual concerned is protected.

Nowadays bank accounts and other documents are linked with Aadhaar. Anti-socioal elements engage in fraudulent acts to siphon off money from the people be it an ordinary poor person or a rich one. Through hacking and

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

cracking these anti-social elements take away the hard earned money without the knowledge of the innocent people. They fall prey to these anti-social elements. These incidents are taking place throughout the country. Police personnel through cyber crime department are trying to nab these culprits. But already Aadhaar has the biometric information. Now the Amendment 2AA talks about eco system. Aadhaar eco system included enrolling agencies, register requesting agencies, offline verification seeking entities or any entity or group of entities as may be specified by the regulation. While seriously looking into collection of biometric information for Aadhaar, it is important to say that we came to know through newspapers, one of the pillars of democracy, and on social media that Aadhaar Cards were thrown away near banks of the rivers, on the road side, and near garbage centres. This is due to the private companies which are authorised to print Aadhaar cards. They have done the maximum damage to this system. With the advent of technology, morphing and mimicry are used to cheat people. The future of poor people is at stake. Aadhaar is not mandatory for receiving subsidies from the Government. In that case what is the need for an amendment to the Aadhaar Act of 2016?. Madam, I entirely oppose this Bill. Thank you. *Vanakkam*.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Madam, thank you for the opportunity to place my views on the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill 2019 on behalf of my AIADMK Party.

I wholeheartedly support this Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019.

The present Bill is brought forward by the Government with an aim to ensure the safeguard for personal information of Aadhaar card holders and their individual identity.

The issue of Aadhaar card was conceptualized a decade before but it has been implemented effectively only after the year 2014 by our hon. Prime Minister. There was a perception at the initial stage of this scheme that the technology envisioned for this scheme is unrealistic, and when this is being encountered with operational problems, that would be amplified in a large scale. Further, in view of the fact that our country has different kinds of people with different culture and tradition, maintenance of Aadhaar card system was considered as a challengeable one.

But now this has been achieved by the Government under the great leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, and this amendment is the perfect example of his ability for overcoming challenges.

Aadhaar is now backed by a robust and healthy law. This Act is playing a significant role in linking the physical with the digital to facilitate seamless delivery of services in a transparent manner. The JAM trinity, that is, 31 crore

Jan Dhan bank accounts, 123 crore Aadhaar and 121 crore mobile phones, the delivery of welfare measures and benefits directly to the bank accounts of the poor under the DBT, have led to a saving of Rs.1.41 lakh crore during the past five years because the digital identity removes middlemen and fictitious claimants.

This Bill will amend three laws, namely the Aadhaar Act, 2016, the Indian Telegraphs Act, 1885 and the Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

Out of 130 crore people in the country as many as 123 crore people have reposed faith in Aadhaar. Our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji strengthened it with the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019. It empowered people, significantly reduced corruption and improved public service delivery to benefit poor citizens.

Subsequent to this amendment, no individual shall be compelled to provide proof of possession of Aadhaar number or undergo authentication for the purpose of establishing his identity unless it is so provided by a law made by Parliament.

The move is aimed at making Aadhaar 'people friendly'. The new amendment uses the word 'voluntary' repeatedly in order to highlight the voluntariness of Aadhaar verification.

It will also pave the way for the use of alternative virtual identity number to conceal the actual Aadhaar number of an individual. The Bill seeks to give a

child an option to exit from the biometric ID programme on attaining 18 years of age. Earlier, a young adult did not have the provision of opting out.

The proposed amendment makes a provision in Section 8 of the Aadhaar Act which provides an alternative means of identification if a person fails to authenticate himself through Aadhaar due to illness, injury or infirmity owing to old age or any other technical reason.

It proposes deletion of Section 57 of the Aadhaar Act relating to use of biometric identifier by private entities.

This amendment gives power to the UIDAI to issue directions to any entity in the Aadhaar ecosystem.

The changes proposed include a civil penalty of up to Rs.1 crore on entities that violate the provisions of the Aadhaar Act, with an additional fine of up to Rs.10 lakh per day in case of continuous non-compliance.

With a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy, which is the focal point of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji's, this 'New India' push is centred on Digital Aadhaar with three key areas, namely (1) utility to every citizen, (2) governance and services on demand and (3) digital empowerment of citizens.

Whichever Government had proposed Aadhaar, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, who, having ultimate noble intentions of ending corruption in the welfare of the citizens, deserves all the praise for cordially implementing Aadhaar to eradicate all malpractices of multiple and false documents, throughout the country. In view of these good features, I support this amendment. Thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Madam, Chairperson. I stand here to oppose the Bill. This is a classic example of *halala*. The Supreme Court has said that the private entities cannot get the Government data. The marriage was dissolved between the Government and the private entities. So, this is the classic case of *halala*.

HON. CHAIRPERSON : I hope you are against it.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, there is no *halala* in Islam. But in the governance, this is *halala*. ...(*Interruptions*)

This Government is dancing to the tune of private industry and commercial profit rather than protecting the privacy of individuals. This purported Bill, which the hon. Minister has moved, is a marriage between the State and the corporate powers which consolidated and centralized all the powers in their hands.

Thirdly, this Bill also shows us the ill effects of electoral bonds. If an electoral bond is given to any party, including mine, the world does not know who has given it. There is a saying in the public – ‘you give us electoral bond, after you come in power, we will make you James Bond’. This is the classic case of that.

Madam, why do I say that? Let us see clause 24, which amends Section 4 of the Act. This completely violates the fundamental rights, the right to livelihood, the right to equality and everything. Unfortunately, this Government

does not believe in *jio aur jeene do*. This Government only believes in 'Jio, Jio, Jio, Jio and Jio'. That is why they have brought in this Bill.

Madam, they have asked for humour, I request them not to take me seriously. ...(*Interruptions*) ऐसा लग रहा है कि आप मेरा एनकाउंटर कर देंगे ...(*व्यवधान*)

श्री रवि शंकर प्रसाद: ओवैसी साहब, मैं आपके ह्यूमर को भी सीरियसली लेता हूँ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आपका चेहरा ऐसा बता रहा है कि आप मुझे ...(*Interruptions*)... * ऐसा मत कीजिए सर...(*व्यवधान*)

Madam, what does the Supreme Court says in respect of Section 33(1).
...(*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, इन्होंने जो बातें कहीं हैं, ये बिलकुल गलत हैं। इनको कार्यवाही से निकलवा दीजिए। ...(*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : बिलकुल निकाल दीजिए।...(*व्यवधान*) सॉरी सर, आपको गुस्सा आ गया है, पानी पीजिए ...(*व्यवधान*)

HON. CHAIRPERSON: The words used by the hon. Member may please be removed. That should not go in record.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, you are an eminent lawyer, you can understand my language, the Minister cannot....(*Interruptions*)

In respect of Section 33 (1), the Supreme Court said that Aadhaar holder should be heard and not just the UIDAI. You do not do that.

In respect of Section 33 (2), again the Supreme Court asked to have a sitting High Court judge. But you do not follow it. You are violating it.

Then, what did the Supreme Court say about private entities not getting the information? They called that dissemination and spread of private information to private entities is a vice. You are making it a virtue. I congratulate you. You do not see a vice in it but see a virtue in it. That is why you bring in this Bill.

Madam, when the Government says that it is 'voluntary', I want to say that it is not 'voluntary'. If you read the Bill carefully, it says, 'the relevant entity shall identify clients'. As a law student we are taught what the word 'shall' mean. You cannot pull over our eyes. You want to help private entities. I do not know why this Government has so much love for private entities. Why are you afraid of them? A man living in a huge building in Mumbai cannot take on the Government of India in New Delhi. Why are you succumbing to him?

Madam, I will conclude after talking about clause 8. Bringing it in the Bill means you are decreasing the powers of Parliament. Why are you doing it, when you believe in the separation of powers? The Parliament is sovereign. Clause 8, which mentions about Section 23 under clause 9, will make UIDAI impartial arbitrator. You will have no control over it. The UIDAI can appoint anyone, who will have conflict of interests. How can you stop them? The Revenue Secretary is the Head of GSTN. The same can happen over here. Why are you reducing the powers of Parliament? Why are you bringing down

the dignity of this august House? Today you are a Minister, tomorrow you may not be there. Today I a Member, tomorrow definitely I will not be here. But why are you demeaning this House by bringing in this Bill?

Then, comes the issue of offline verification.

Madam, a terrorist attack happened in Pathankot despite our Prime Minister going to Sharif's house. Did those terrorists have Aadhaar Card? This online and offline verification will lead to fraud. I do not know why you are bringing this.

Madam, I conclude because of paucity of time. The Minister says that they have brought it because of the Supreme Court's judgement. Sir, let me bring it to your notice as you are an eminent lawyer. Your clause 5 violates the judgement mentioned on page 387. Your clause 5(7) violates paragraph 319 of the judgement. Your clause 6(a) violates paragraph 390 of the judgement. Your clause 2(aa) violates paragraphs 402 and 333 of the judgement. Your clause 11 violates paragraph 408 of the judgement. Your clause 12 violates paragraphs 408 and 333 of the judgement. Your clause 18 violates paragraph 409 of the judgement. Your clause 23 violates the judgement of the Supreme Court as mentioned in page 410. So, this is unconstitutional.

Be rest assured that if you pass this Bill on the basis of brute majority, this will be challenged in the Supreme Court of law. You are doing a crime over here for which the coming generation will have to suffer.

Thank you.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on this very important Bill, the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019. I have been listening to all other senior Members who have spoken before me and most of the points I wanted to raise have already been put on the table. So, I would like to be very concise since the time is also very concise and put forward the points that I want to make on behalf of my party.

Firstly, I do not think that there is any discussion on what the Aadhaar is intended to do. The way it started, it was for the betterment, for the efficiency and transparency in the way the Government wanted to disburse its funds to the poor and rendering of Government services or money reaching the poor. That is something which is still agreed upon by all Members on each and every side.

What is for discussion right now is the other side of this Aadhaar Bill which infringes on the personal privacy and the data security. These are the two issues that have been mentioned in the Supreme Court judgement also in the *K.S. Puttaswamy versus Union of India*. The judgement said that the Aadhaar Number and the Aadhaar-based authentication by private entities is unconstitutional and mandated linking of mobile connections with Aadhaar is disproportionate and unreasonable State compulsion and also linking of Aadhaar with bank accounts is also unconstitutional. This is what the Supreme Court says in its judgement.

Now, I would like to ask the Government what part of this is missing from the Bill. The Government is bringing this Bill just to show to this House and to the country that the Supreme Court has said something regarding Aadhaar and I will need to do something, but how much of the Supreme Court judgement is being translated into this Bill is not shown clearly. That is what I want to point out right now. What is the privacy issue? The other Members have also mentioned that the Data Protection Act is the need of the hour. It has to be brought forward first. That needs to be tabled and discussed thoroughly. Until each and every citizen of this country is sure about whatever data is going out from his privacy, it is being protected, I cannot make sure to pass this Aadhaar Bill. That is not clearly shown by this Government.

The other thing is that allowing the private companies to still hold Aadhaar data is not right. They have put in the word 'voluntarily', but that is not the case. What is there on the paper is very much different from what will happen on ground. So, the hon. Minister needs to answer clearly how deleting data from these private entities will be made possible.

First of all, I will quote some words from the prominent telecom companies. After the Supreme Court judgement, one of them says that 'Aadhaar based verification addresses the security concern of the country and is inconvenient to the customer'. That is against what the Supreme Court is saying. The other one, much important bigger player, which Owaisi *saheb* has also mentioned, says that '90 per cent of subscription for our company was

through Aadhaar. So, Aadhaar authentication should continue and Central Government should make a law so that this Aadhaar-enabling continues.' I would only like to ask this to the Central Government. Is it listening to the common citizens of this country or is it listening to the private entities of the country? What happened is that to save our constitutional right to privacy, people had to go to the Supreme Court to protect it.

And the private entities, to save their own companies, have approached the Government and they have got this Bill. Doing this is a serious shame on this country. That is why I appeal to the Government again to re-deliberate this whole thing. This was the speech that I prepared. But after coming here and listening to what Shrimati Supriya Sule ji had quoted from the Economic Survey, I feel the whole debate goes to another level. Now that the data is being monetised, you can sell the data. This is the intention of the Government. Now, if this is the intention of the Government, we, from our Party, demand that this Bill needs to be further deliberated. It needs to be sent to the Committee. Proper discussions need to take place at all levels. All stakeholders need to be brought in. We need to give the confidence to the citizens of India, not to any private company in this country. That is what the Central Government should make sure.

If you give me thirty seconds more, I will make one thing clear. Members from YSR Congress Party, while giving their speeches, made baseless allegations on the Telugu Desam Party. I would request you to

expunge them. This is a data which was there in public domain.

...(Interruptions) I would not have raised this had they not raised it.

...(Interruptions) It is my right. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Naidu, we will go through the records and then a decision will be taken.

... (Interruptions)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : I request you to delete it from the records. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It will be done only after going through the records.

... (Interruptions)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: I would not have mentioned it had they not mentioned it. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will go through the records. I do not want this slanging match to go on.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: They are making baseless allegations.

श्री रमेश बिधूडी (दक्षिण दिल्ली): मैडम, आपने मुझे Adhar and others laws amendment bill पर बोलने का मौका दिया है। Aadhar means targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. बहुत बातें बोल रहे हैं। कोई विदेश पढ़ कर आया है, कोई पढ़े-लिखे बाप का पेटा है, लेकिन लोगों को गुमराह करने का, कितने तरीके से ये लोग लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये सामने बैठने वाले लोग आधार को यूनीक के नाम से लाए थे। जब लाए थे, तब कोई लॉ नहीं था। अपनी चहेती कंपनियों को ठेके देकर, ठाठ के साथ में जब मर्जी बनाते रहेंगे, पैसे ले कर बनाते रहेंगे, बंगलादेशियों के बनाते रहेंगे, रोहिंग्या के बनाते रहेंगे, इनकी वोट बढ़ाते रहेंगे। ये लोग इस मानसिकता को ले कर आए थे। जब हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी इस आधार को लाए तो बड़ा शोर मचाया कि इसको तो हम ले कर आ रहे थे। लेकिन इसको सन् 2016 में कानून बनाने के बाद जब ले कर आए थे, तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी। 27 जुलाई, 2018 को बी.एन. कृष्णा कमेटी बनी थी। It is for free and fair digital economy protecting privacy and for empowering Indians. The Committee has recommended certain amendments to Aadhar Act in its Report. उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जो अमेंडमेंट आया है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की केवल एक बात को ले कर आया है। The Supreme Court decided on an important issue. Privacy is a fundamental right under article 21. आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसकी प्राइवैसी सीक्रेट रहे और वह पब्लिसाइज़ न हो। जब यह आधार कार्ड बना था, बनने के बाद, आज सवा सौ करोड़ लोगों के, एक सौ बीस करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं। दस हजार करोड़ रुपये इसके, कंपनी के अनुसार बनाने में लगे थे। एक ही साल के अंदर, चार साल के टैन्थोर में 1.4 लाख करोड़ रुपये सरकार का बचा है, जो गरीबों को सब्सिडी जाती थी। वह सब्सिडी अब गरीब के पास जाती है। जो राजीव जी कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं। ... (व्यवधान) बाकी 85 पैसे खा जाते हैं। कई जेल के चक्कर लगा आए हैं, कई हाऊस में बैठे रहते हैं। वे इसी कारण से चक्कर लगा-लगा कर आए हैं।

इसी प्रकार की मैटेलिटी के कारण से ही। इस बिल के कारण से validity of Aadhar Act was upheld. जहां तक वैलिडिटी की बात करते हैं, 18 साल का बच्चा होगा, इससे पहले इस बिल में प्रावधान था कि उसके माता-पिता उसका आधार कार्ड बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वह 18 वर्ष का हो जाएगा, उसको राइट मिलेगा, वह अपना कैंसल भी करा सकता है, अपनी मर्जी से भी करा सकता है, वह कह सकता है कि मैं इस आधार को नहीं रख सकता हूँ। इस आधार के अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ओर बदलाव की बात कही थी, उसी बदलाव को सरकार ले कर आ रही है। इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं – The Unique Authority is toothless. अगर वह यूनीक अथॉरिटी है और उसके डेटाज को कोई लीक कर दे या ब्लैकमेल कर के जिसे पहले एक सांसद बोल रहे थे। वे भी कहीं फॉरेन रिटर्न थे। सुबह बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। वे भी कह रहे थे कि सरपंच के पास कार्ड जाएगा, उसका डाटा लीक हो जाएगा। उनको यह मालूम नहीं है कि आज कल अगर टेलीफोन सिम भी इश्यु होती है तो वह भी थंब इंप्रेशन के बाद इश्यु की जाती है। अब आधार कार्ड वैसे ही किसी भी बात को ले कर इश्यु नहीं हो जाएगा। अब तो मोबाइल की सिम भी नहीं मिलती है। वह पहले चलते थे, जो आतंकवादियों को बातें कर के शरण देते थे और यहां पर वोट बढ़ाने का काम करते थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ जाकर खड़े हो जाएँ और ये लोग राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं, यह बात मेरी समझ से बाहर है।

मैडम, आधार के अंदर उसको दो नम्बर इश्यू किए जाएँ। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वह मुझसे ज्यादा बैटर जानते हैं। एक नम्बर वह होगा, जो कंसर्न्ड जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर हम वह कार्ड देंगे, तो केवल उसी के डेटा उसको दिए जाएँ। बाकी सीक्रेट एक नम्बर होगा, जो उस आधार कार्ड वाले के पास होगा और कम्पनी के पास होगा। बाकी और जो उसकी इनफॉर्मेशन है, वह उसके पास इस बिल के माध्यम से नहीं जा पाएँगी। जहाँ तक आधार के उपयोग करने की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने अपनी पहली बात में बताया, उसी के अनुसार इस बिल के अंदर जैसा मैंने पहले कहा था कि वर्ष 2009 में यह यूनीक कार्ड के नाम से बनाना शुरू हुआ था, करप्शन रोकने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी वर्ष 2016 में बाउंड करने के बाद कि जो आधार कार्ड

बनेंगे, वह एक समय-सीमा के दायरे में बनकर लोगों को मिलेंगे। एक सौ 30 करोड़ की आबादी में 122 करोड़ लोगों के आधार कार्ड इस सरकार के माध्यम से बन कर तैयार हुए हैं। दो बड़े-बड़े मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी इसी प्रकार की बात कर रहे थे कि *this is like a Halala Act*, अब क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि अब तीन तलाक आने वाला है तो ...* का मज़ा जाने वाला है। जो ... * का मज़ा होता था, वह जाने वाला है। इसलिए उनको हर जगह तीन तलाक पर वही नज़र आएगा। केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना है। मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया के दायरे में हमें आगे बढ़ना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के अंदर जो भी अमेंडमेंट करने की बात कही थी, केवल आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, उसकी सीक्रेसी उसके पास होनी चाहिए। उसकी विशेष रूप से व्यवस्था इस बिल में की गई है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I thank you, Madam, for giving me this opportunity. Though my name was listed as the Mover of the Motion, unfortunately, I couldn't be present. So, kindly I may be given some bonus time.

Madam, Chairperson, I rise to oppose both the Ordinance as well as the Bill because it basically violates the fundamental rights of the citizens of the country. Regarding the Ordinance, I need not reiterate that there were no compelling or extraordinary circumstances prevailing for the promulgation of this Ordinance on 2nd March, 2019. Let the Hon. Minister explain to the House what is the exigency/emergency/urgency in promulgating an Ordinance which is violating the fundamental right – right to life and right to livelihood of the citizens of the country.

Regarding the Bill, it is well established by Mr. Owaisi, Supriya Sule Ji and almost all the learned Hon. Members. I fully support the arguments advanced by my learned friends in this House.

Madam, Chairperson, you may be well aware about Article 21 of the Constitution. No person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law. What is the procedure established by law? The Hon. Law Minister is well aware of all these facts. In A.K. Gopalan vs. The State of Madras case, the Hon. Supreme Court has elaborately discussed regarding the procedure established by law.

Finally, they have come to the conclusion that procedure established by law in the Constitution of India in Article 21 is equivalent to that of the due process of law in the American Constitution. So, the due process of law means that the right of a person can be curtailed or restricted only on certain grounds. Those grounds should be fair, just, equitable and it should comply the principles of natural justice. This is the accepted/adopted dictum of judgement. It is adopted and accepted throughout the country.

If that be the case, kindly examine the Supreme Court judgement dated 26th September, 2018. Due to paucity of time, I am not going to read the judgement. On two grounds, the validity of the Aadhaar Act has been adopted or approved. The Constitutional validity of Aadhaar Act, 2016 was accepted by the Hon. Supreme Court on two grounds. One is, obtaining the consent of the guardian or father of the children who are being enrolled in the Aadhaar list and the second is, which is very important, providing for informed consent for authentication and Madam, I would like to reiterate – limiting the authentication only to purposes permitted by law. The use of Aadhaar data can only be limited to the purposes permitted by law.

Madam, Chairperson, I would like to seek a clarification from the Hon. Minister.

What does 'all purposes permitted by law' mean? It means 'permitted by law' dictum in the Supreme Court judgement as well as the procedure established by law is equivalent to that of the due process of law, which is

almost similar. Therefore, the law, which is being brought before the House should comply with the principles of natural justice. It should be fair, reasonable, just and equitable.

The main question to be considered by this august House is whether the law or the Bill that is being introduced or being taken for consideration is complying with the principles that have been elucidated in the A. K. Gopalan Vs. State of Madras. According to me, it is not. Hence, it is unconstitutional and is in violation of Article 21 of the Constitution -- the right to life and personal liberty is curtailed without any reasonable restriction because right of privacy is a fundamental right that comes within the purview of Article 21 of the Constitution. Therefore, I would like to say that this is absolutely unconstitutional. It is not going to hold good in the court of law. It will be struck down in the court of law. So, I would like to urge upon the hon. Minister to please send this Bill to the Standing Committee or Select Committee whichever the Government may like.

I will mention six points and conclude my submission. It is not only regarding Article 21, but with regard to the contents of the Bill also I oppose on the following grounds. Firstly, the Ordinance violates the Supreme Court judgement in the sense that it is restricting the use of Aadhaar only for such schemes that have the colour of subsidy, benefit and services, which are paid out of the Consolidated Fund of India. The judgement explicitly prohibits the use of Aadhaar by private parties by declaring Section 57 of the Aadhaar Act

unconstitutional. The court has already struck down Section 57, and the Government further comes with a legislation so as to give right to the private or corporate companies, especially, the telecom service providers like Jio or some other companies who will be getting the liberty to have the data of the persons of this country, which will be misused. Therefore, this is against the spirit and soul of the judgement.

By amendment of Section 4 of the Aadhaar Act and incorporating a Clause 7 you are making authentication mandatory. Similarly, amendment to Section 4 of the Indian Telegraph Act -- by virtue of incorporating Clause 24 and inserting a new Section 11A in the Prevention of Money Laundering Act -- are also against the spirit of the Supreme Court judgement. Both amendments allow Aadhaar-based authentication and off-line verification.

Secondly, the Ordinance allows private entities to hold Aadhaar data in disregard to the Supreme Court judgement. As per the Supreme Court judgement, all private entities are required to delete Aadhaar authentication logs, which they are having. Such specific direction is also there in the judgement that all the private companies have to delete the Aadhaar data, but unfortunately, you are giving further permission to the private entities so as to have the Aadhaar logs.

Thirdly, privacy and security concerns related to Aadhaar remains unaddressed. Madam, I will conclude within 2-3 minutes.

Fourthly, the Ordinance re-opens the door for commercial exploitation by private companies. Though the Aadhaar number is always declared as a voluntary ID, but in practice, it has become a pre-condition for any service and thereby it has become mandatory. Clause 5 of the Bill speaks about the various forms of voluntary Aadhaar authentication including off-line verification. Nothing in this Bill prevents the private entities from doing authentication. Use of Aadhaar by private entities is not permitted as per the Supreme Court judgement. Allowing private parties to have access to database is violation of citizens' right of privacy and is unconstitutional.

Fifthly, the Ordinance introduces off-line verification, but fails to specify how it will be done. An hon. Member from the TMC has also spoken regarding the Bill. If you examine the Bill, it is mentioned 'as may be prescribed' or 'as may be by the regulation' or 'as may be notified', but the delegated legislation is absolutely with the Government. We do not know what is going to happen.

Sixthly, the Bill gives greater power to Unique Identification Authority of India (UIDAI) with lesser accountability. Can the UIDAI be impartial in discharging their duties? As Mr. Owaisi has rightly said that the present Chief Executive Officer of UIDAI is the Revenue Secretary as well as the Chairman of the GST Network.

My last point is that the Bill disregards the Supreme Court striking down the disclosure of information exception. What has the Supreme Court said

about it? The Supreme Court has said that it should be a higher official than the Joint Secretary for the judicial review.

17.00 hrs

But hon. Minister, judicial review is missing here. The Supreme Court has directed them to have judicial review but here it is missing. Madam, kindly allow me to complete, otherwise, it would be incomplete.

Madam, the Sri Krishna Committee recommendation is very specific. The Government has to come up with a data protection law. Instead of coming up with a data protection law, it has come up with this Bill. It is unfair and unconstitutional. Hence, I oppose this Bill. Thank you very much, Madam.

श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर): सभापति महोदया, आपने मुझे आधार (संशोधन) बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे से पूर्व माननीय सांसदों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगाई कि नया कानून बनाया जाए। इससे आम आदमी की प्राइवैसी, सीक्रेसी बनी रहनी चाहिए। मैं मोदी जी की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वे 'न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया' लेकर आए। वर्ष 2014 से 2019 तक जितने भी कानून बने और पिछले कई दिनों से जो बिल्स पारित हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये बिल्स आम आदमी, गरीब आदमी से जुड़े हुए बिल हैं। इस आधार बिल से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। आम आदमी, गरीब आदमी तक जो पैसा पहुंचता है, वह सीधा उनके खातों के अन्दर पहुंचेगा। 'प्रधान मंत्री – किसान सम्मान निधि' का जो पैसा है, उससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। वह भी गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा।

हमारे विपक्ष के कई साथियों ने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा दर्शाई। अपना वोट बैंक बढ़ने की खातिर कई लोगों को इससे तकलीफ भी होगी, पर यह सही है कि आधार से एक पहचान होगी। आपराधिक आंकड़े जुटाने में भी बहुत बड़ा फायदा इस आधार कार्ड से मिलेगा। इसकी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई, इससे आम जनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रत्येक गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया था। मैं इस बिल के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा। पहले इस पर वर्ष 2018 में रोक लगी। वर्ष 2009 में यूपीए सरकार ने यूनिक कार्ड के नाम से जब इसकी शुरुआत की थी, तब अपनी चहेती कम्पनियों को ठेके दे दिए थे। उसमें भी भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला था। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने आधार की अनिवार्यता का कानून बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो कानून बना, इसमें दो नम्बर्स आधार कार्ड में देंगे, जिससे किसी व्यक्ति की प्राइवैसी, सीक्रेसी न जाए और उसका काम भी चलता रहे।

17.02 hrs(Shri A. Raja *in the Chair*)

सभापति महोदय, विश्व बैंक ने भारत की इस योजना की तारीफ की है। इसने लाखों गरीब लोगों को एक आधिकारिक पहचान देकर सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाई है। यह देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी बनाई योजना पर आज पूरा विश्व चलने को तैयार है। आधार श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और इसके डेटा की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम की व्यवस्था की गयी। इससे किसी भी तरह की सीक्रेसी के आउट होने का जरा-सा भी चांस नहीं है।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने कई सरकारी और गैर सरकारी कामों में आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया। अब बैंक खाता खोलने, रसोई गैस सब्सिडी, पेन्शन, पासपोर्ट सहित कई सेवाओं के लिए आधार होना जरूरी है। ऐसे में यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ। आधार से फायदा हुआ है। 7.3 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे गरीबों के खातों में गयी। भारत सरकार के 1.4 लाख करोड़ रुपये बचे।

महोदय, इसमें प्राइवैसी है। यह संविधान के अनुरूप है। कई माननीय सदस्यों ने संविधान की बात की है तो संविधान के आर्टिकल-21 के अनुसार यह कानून बनाया गया है कि संविधान के आर्टिकल-21 का पालन हो।

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा नहीं लगे कि उसकी प्राइवैसी आउट हो रही है, इसलिए इस कानून को लाया गया। इसके अंदर एक और चीज की गई कि अगर किसी की संपत्ति का डेटा अगर कोई कंपनी लीक करेगी तो इसके लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कानून को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बड़े-बड़े विशेषज्ञों से राय ली है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो हमारे अनुभवी सांसद हैं, इसमें हमारे

पी.पी.चौधरी साहब भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी भी राय ली गई। इसमें जन हित की जो आवश्यकता थी, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और माननीय मोदी जी ने न्यू इंडिया तथा डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा है, अब इस देश के अंदर यह तय हो गया है कि दिल्ली 15-20 सालों तक सुरक्षित हो गई है। यहां तो अब आप सोचिए ही मत, आप स्टेट में अपना काम देखिए। जैसा ओवैसी साहब बोल रहे थे कि स्टेट में जरूर कोई न कोई मामला आपका बैठ सकता है। यहां का मामला ऐसा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छोड़कर भाग गए। हालत इतनी खराब हो गई है कि इनके कप्तान ही कप्तानी छोड़कर चले गए। जब वह कप्तानी ही छोड़कर चले गए तो फुटबॉल का मैच एक-तरफा हो गया, इसलिए अब हम अकेले ही फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. There are other hon. Members to speak.

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। मैं यही कह रहा हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके व्यापक सोच के आधार पर कि पूरे देश में भ्रष्टाचार को कैसे रोके, प्राइवैसी भी लीक न हो, निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले पांच सालों में देश देखेगा। जो कांग्रेस आज 50 पर आई है, अगली बार वह उस कोने में 12-13 पर सिमट जाएगी। ... (व्यवधान) इस आधार बिल से बहुत बड़ा फायदा इस देश की जनता को होगा। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

... (Interruptions)...

* Not recorded.

* **DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM)** : Hon. Chairman Sir, *Vanakkam*. I strongly oppose the Aadhaar Bill which is against the interests of the people. This Bill is basically unconstitutional. This is against the Aadhaar related judgement of the Hon. Supreme Court. Therefore this Bill is against the interests of the people of this country. This Bill should be either withdrawn or should be referred to a Parliamentary Standing Committee for complete scrutiny. Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi led Government has invited criticism for not serving the people of this country rather engaged in serving the interests of the corporate companies. It is a matter of concern that the Bill tries to prove the criticism against the Government to be true. Hon. Members have already spoken about the provisions of the Bill which are against the verdict of Hon. Supreme Court. I do not want to list them again. I want to particularly state that Children shall not be asked to register for Aadhaar mandatorily. Even if they register and when they attain the age of 18 years, if they wish, they can go out of the Aadhaar eco system. This Bill is also amended to support this. The Section 3A provides for this Option. It is clearly evident that there is no correlation between what the Government says and intends to do. Children can enrol themselves with Aadhaar voluntarily and if they attain 18 years of age, if they wish, they can cancel that Aadhaar card. This is how they say. But if you look at the ground reality, Unique Identification Authority of India (UIDAI)

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

contacts each and every school authority compulsorily and insisting the students to enrol for Aadhaar. On this particular aspect, the Government contradicts with what it says and what it intends to do. The Government says something and tries to do something else. As the Government is making efforts against the verdict of the Hon. Supreme Court, this will be construed as contempt of court. The Government, which has pledged to uphold the Constitution, should respect the judgements of the Hon. Supreme Court. I wish to remind that the Government is showing disrespect to the judgement of the Hon. Supreme Court. As you say that it is not mandatory and children, if they wish, can cancel their Aadhaar card after attaining the age of 18 years. At the same time, this Government has not mentioned any alternative. If you say that students may not enrol for Aadhaar, in that case, if need be, what other identity card they are supposed to show or what identity they should use? This has not been specified in any part of this Bill. Basically there is no connect between what the Government says and what it intends to do. This Government is contradicting with itself and which in a way is helping the corporate companies. I wish to state that the Government is engaged in giving away the individual rights, individual data and individual privacy of the people to private companies. This Amendment Bill will in not in any way help to protect the individual rights, individual data and individual privacy of the people. Therefore I strongly oppose the Bill. This Bill should be referred to the Parliamentary Standing Committee for complete review. Thank you for this opportunity.

Vanakkam.

*** SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE):** I would speak in Marathi, First of all, I would like to thank our Hon. Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji that he has brought a very good amendment Bill in this House. I was listening to the discussion going on in this House. Few are saying it would breach privacy and some other said it would help corporate and businessmen. I have due respect for the Hon. Court. This Government is committed to do justice to everybody. I am witnessing a new world due to bio-metric and digitalization. This is a revolution never happened before. When I was a minister of PDS department in Maharashtra cabinet, we would provide foodgrains to the poor people. Now farmers are getting loans easily. Poor women are provided with LPG gas connections easily. The poor and needy are getting funds transfer to their accounts easily. It is helping to check corruption as funds get transferred directly to the beneficiaries accounts. Of course, we will stick to the law. But I am more concerned about the poor people who have to sleep famished, the tribal students who have got no school uniforms and those who have no access for medical treatment and medicines. Earlier, crores of public money were siphoned off but now this Aadhaar has curbed this kind of corruption. If there are drawbacks in the Aadhaar, we would definitely try to correct them.

But, I wish to support this bill wholeheartedly because crores of poor and needy people have been benefitted due to Aadhaar. Many people commented baselessly on Aadhaar but I always feel that we should support the common man of this country whose life has been changed just because of Aadhaar.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

This is the government of Shri Narendra Modi and we are standing firmly with the poor. Those who are talking against Aadhaar never opposed emergency imposed in 1977. But today, in the name of corporates and businessmen, they are opposing it.

We represent the poor, the tribals and the needy students and women of this country. We are going to create a new history through this Aadhaar. We will surely take care of the short comings, if any. But it has to stay. Hon. Ravi Shankar Prasad ji, you have taken a historic decision. I welcome this Bill and support it too. Lastly, I have a request for you.

रवि शंकर जी, बायोमेट्रिक और आधार के ऊपर महाराष्ट्र में जब मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा था, उस समय आपने बच्चों के बारे में बोला, लेकिन जो कामगार लोग हैं, जो खेती का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, बायोमेट्रिक में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। उसे सुलझाने के लिए रिसर्च के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छा काम हो सकता है, इस पर आप ध्यान दें। आधार के माध्यम से देश के गरीब लोगों को मदद करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार करेगी, उसे समर्थन करने के लिए यह बिल है। मैं इस बिल का सपोर्ट करके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय महाराष्ट्र।

17.15 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, जी आप एक मिनट रुक जाइए ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, under Rule 355, I would like to seek a clarification from the Minister. The fact is that he has already assured the House during Question Hour that he is going to bring a Data Protection Bill. Since, this Aadhaar Bill would have to be amended later to be in conformity with the Data Protection Bill, will the Minister explain why he has brought this Bill before that one? That is going to be the underpinning based on the Supreme Court judgement of the entire principle and then this law can follow to be in conformity with the Data Protection Bill.

Thank you, hon. Speaker, Sir.

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, काफी समय से बहस चल रही है और कई माननीय विद्वान सदस्यों ने प्रमाणिकता से गंभीर चर्चा में भाग लिया। मैं संसद में कई वर्षों से हूँ लेकिन लोक सभा का सदस्य पहली बार बना हूँ। कई बड़े-बड़े बिलों को सदन में लाने का मुझे सौभाग्य मिला है। निशिकांत जी आप भी इस पर बोले हैं।

अध्यक्ष जी, आज मैं एक बात अवश्य कहूँगा, जब यह सदन अच्छी बहस करने के मूड में आता है तो सदन में बहस की ऊँचाई बहुत ऊँची हो जाती है। मैं पूरे सदन का अभिनन्दन करूँगा कि आज बहुत ही अच्छी बहस हुई है। हमसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, क्यों बिल लाए, किसके दबाव में लाए, कौन सा कॉरपोरेट हाउस है? मैं सदन में बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि नरेन्द्र मोदी जी सिर्फ भारत के हित के दबाव में आते हैं और किसी दबाव में नहीं आते हैं। हमें मालूम है कुछ लोग दबाव में काम करते रहे हैं। सम्माननीय दोस्त चौधरी जी ने मुझसे कई सवाल कर दिए, आप हड़बड़ी में क्यों थे, ऑर्डिनेंस क्यों लेकर चले आए? अब मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपकी सरकार कितने आर्डिनेंस लायी।

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप ब्यौरा निकालिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया।... (व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप उस बात को छोड़ दीजिए।

महोदय, आज मैं कुछ फंडामेंटल चीजें बताना चाहता हूँ, मुझे लगा कि काफी कुछ क्लेरिफाई होना है। मैं सभी प्रश्नों का विषयवार उत्तर दूँगा, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि आधार क्या है? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने आरंभ में कहा कि हम लोगों ने कितना सेव किया, 154 स्कीम्स में लगभग 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये सेव किए। 275 स्कीम्स में 7.48 करोड़ रुपये डीबीटी में भेजे और 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये सेव किए। उस

समय का और डाटा है, वह डाटा और भी रोचक है। वह डाटा है - हम लोगों ने राशन कार्ड, एलपीजी में 4.23 करोड़ एलपीजी कनेक्शन्स को रिमूव किया, जो फर्जी थे, यह आधार के कारण किया। 2.98 करोड़ राशन कार्ड रिमूव किए, जो फर्जी थे, आधार से पकड़े गए। आप मुझे एक बात बताएं, 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये बचे, वह तो टैक्स पेयर्स का पैसा था, गरीबों का पैसा था। क्या इससे खुशी नहीं होती है? माननीय गिरिराज जी ने मुझे याद कराया, अच्छा किया, मनरेगा पेमेंट में हम सभी जानते हैं कि गांव में सही मजदूरों को पैसा नहीं मिलता था और फर्जी रजिस्टर बनता था। आज उनके एकाउंट में पैसा जा रहा है, उनको खुशी होती है। उनको मालूम है जब देश ईमानदार होता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि वे परेशान हों। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करेगी। आज आधार ईमानदारी का बहुत बड़ा माध्यम बना है।

महोदय, मैं आधार के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूं। आधार क्या है? यह मेरा आधार कार्ड है, मैं चाहूंगा कि आज हाउस इसे मेरी नजरों से समझने की कोशिश करे। इसमें क्या है - मेरी फोटो है, मेरा नाम है, मैं एक मेल हूं, पीछे पटना का स्थायी पता है और मेरे पिताजी का नाम है। इसमें क्या नहीं है - मेरी जाति, मेरा सम्प्रदाय, मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड, मेरा हेल्थ रिकॉर्ड, लेकिन सिस्टम में हमारा बायोमेट्रिक है। हमारा बायोमेट्रिक क्या है? मेरी आंखों के निशान आइरिस और मेरी उंगुलियों के निशान हैं। आइरिस को कोर बायोमेट्रिक्स कहते हैं। कोई इंसान अपना नाम बदल सकता है लेकिन अपनी आंखों की पुतलियां और अपनी उंगुलियों के निशान नहीं बदल सकता है, यह है कोर बायोमेट्रिक्स।

यहां प्राइवेट की बात बहुत की गई। अधीर बाबू, अच्छा करते अगर आप कानून ले आते। अटल जी ने इसकी शुरुआत की थी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री, आप इधर देखकर बात कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: हमने तो स्वयं कांग्रेस का अभिनंदन किया। अच्छा करते अगर कांग्रेस के लोग कहते कि हमने शुरू किया, डॉ. मनमोहन सिंह जी का नाम ले लिया होता कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, लेकिन मनमोहन सिंह जी का नाम शायद कभी नहीं लिया जाता है। यह एक अलग विषय है, इसे छोड़ते हैं।

महोदय, मैं आधार ओरीजनल एक्ट का सैक्शन 29 पढ़ रहा हूँ – No core biometric information collected or created under this Act shall be shared with anyone for any reason, whatsoever. मतलब हमारी पुतलियां और उंगुलियों के निशान सिस्टम में जाते हैं तो इन्क्रिप्ट हो जाते हैं। आज मुझे इस हाउस को बताते हुए आधार का अभिनंदन करना है कि लगभग ढाई करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज होते हैं और 123 करोड़ आधार हैं। सब इंडिया की बनी मशीनरी है और बिल्कुल सेफ और सिक्क्योर है। यह कभी नहीं निकल सकती, कोई बिलियन भी कोशिश करेगा तो भी नहीं निकल सकती। यह सिर्फ दो कारण से निकल सकती है, अगर राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में करना जरूरी हो तो निकल सकती है। उसके लिए पहले ज्वाइंट सैक्रेट्री को सर्टिफाई करना था और अब सैक्रेट्री को सर्टिफाई करना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और हम अमेंडमेंट लेकर आए हैं। दूसरी बात है - अगर कोर्ट का कोई आदेश होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट जज था, अब उसे हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। मैं देश का आईटी मंत्री हूँ, संचार मंत्री हूँ, कानून मंत्री हूँ, अगर मैं भी किसी को निर्देश दूँ कि किसी का कोर बायोमेट्रिक्स रिलीज करो तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और मुझे तीन साल की सजा हो सकती है। हमने यह कानून बनाया है।

महोदय, लोग बार-बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत कर रहे हैं, ये पैराग्राफ की खिलाफत कर रहे हैं। माननीय स्पीकर साहब, यह बात मैंने पहले भी कही थी और आज फिर से कहना चाहता हूँ कि सदन को अदालत न बनाया जाए।

देश की जनता ने हमें कानून बनाने का सार्वभौम अधिकार दिया है और हमें कानून बनाने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस सदन को संविधान और कानून के छात्र के रूप में बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि इस सदन को यह भी शक्ति है कि हम जजमेंट को अन्डू कर सकते हैं, उनके आधार को बदल सकते हैं, हमको इतना पावर है, यदि सुप्रीम ने यह कहा है तो आप क्यों कर रहे हैं? न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। I would urge the hon. Members of this august House not to minimise their power for Heaven's sake. The people of the country have given them sovereign power to frame laws. That is their right. They have to understand that.

पता नहीं ओवैसी साहब कहां चले गए। मुझे बहुत संदेश दे रहे थे, कुछ तल्खी भी लगी थी। मैं आज उनसे उनकी अनुपस्थिति में बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि अपनी तल्खी को तीन तलाक के लिए वेट कीजिए, उस पर बातचीत करेंगे, उसको आने दीजिए। मैं आधार के केस में प्राइवैसी पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूँ, जिसमें लिखा है-

“The court is also of the opinion that the triple tests laid down in order to judge the reasonableness of the invasion to privacy has been met. The aadhaar scheme is backed by statute, that is, the Aadhar Act. It also serves a legitimate state aim which can be discerned from the introduction of the Act.”

उन्होंने कहा कि प्राइवैसी के कानून का यह कोई उल्लंघन नहीं करता है। सर, जो 9 बेंच था, मैं 9 बेंच के जजमेंट की 5-6 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। I hope Shri Premachandran is listening to me. It says:

“An invasion of life or personal liberty must meet the threefold requirement of law: legality, which postulates the existence of a law; need, defined in terms of a legitimate state aim; and proportionality, which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them. the legitimate

aim of the state would include for instance protecting national security, preventing an investigating crime, encouraging innovation and the spread of knowledge, and preventing the dissipation of social welfare benefits.”

The Supreme Court itself had permitted these legitimate state aims for which even privacy could be invaded if it could be justified. Therefore, I would request the very distinguished Members who are quite enlightened to understand this aspect of it.

हमने इस कानून में क्या किया है? मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ । पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि चाइल्ड को यह कहने का अधिकार है कि हम इससे अपने को बाहर रखना चाहते हैं । दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो टेलीग्राफ एक्ट और मनी लाउंड्रिंग एक्ट में काम किया है, उसको एक सर्कुलर और एक रूल से किया था । इसको आप एक्ट से कीजिए । एक बात मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूँ, मैं उस प्रावधान को पढ़ूंगा, इस पर बहुत चर्चा हुई है । I would like hon. Members to kindly listen to what I am saying. First, aadhaar is voluntary in the case of telephone; aadhaar is voluntary in the case of the Prevention of Money Laundering Act. I will just read that. Secondly, there is a clear injunction that they cannot store any aadhaar data or biometrics. अगर वे करेंगे तो उनके ऊपर एक करोड़ रुपये का फाइन लगेगा । दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अगर कोई एन्टिटी है और वह आधार के लिए आग्रह करती है तो उसको परमिट किया जाएगा, लेकिन इसके लिए तीन शर्तें होंगी । First, it must be backed by a law of Parliament. Secondly, it must be for a legitimate State objective, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा । Thirdly, the UIDAI must be satisfied that privacy and security concerns have been addressed. जब तक ये तीनों नहीं होंगे, तब तक वे वालन्टेरी बेसिस पर ही देंगे । तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आधार नहीं है तो हम किसी को भी सर्विस डिनाई नहीं करेंगे।

This was being debated repeatedly. The present amendment clearly postulates – section 5 (4) of the Telegraph Act and also the amendment to the Prevention of Money Laundering Act – that they shall not deny anyone the benefit of this whole scheme in the absence of aadhaar.

सर, अब मैं बहुत क्विकली एक बार पढ़ देता हूँ, जिससे जो भी आपत्तियां चल रही थीं, वे बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी। सर मैं क्लॉज 5 में पढ़ रहा हूँ।

“Explanation—For the purposes of this section, voluntary use of the Aadhaar number by way of authentication means the use of such Aadhaar number only with the informed consent of the Aadhaar number holder”

सर, उसके बाद आगे क्लॉज 6 में साफ लिखा हुआ है:

“Shall not deny any service to him for refusing to or being unable to undergo authentication. ”

सर, अब मैं टैलीग्राफ का पैरा भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा भी बहुत हुई है।

“If, for identification of a person, authentication under clause (a) of sub-section (3) is used, neither his core biometric information nor the Aadhaar number of the person shall be stored.”

अब मैं क्लॉज 5 पढ़ता हूँ:

“The use of the modes of identification under sub-section 3 shall be a voluntary choice of the person who is sought to be identified and no person shall be denied any service for not having an Aadhaar number.”

तो यह टैलीग्राफ में भी है और इसमें भी है तो यह बिल्कुल वॉलेन्ट्री है, कनसेंट से है और आप मुझे डिनाई नहीं करेंगे।

अब मैं इस सदन के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ। प्राइव्सेसी की बात की जा रही है। बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं, अगर इस देश के करोड़ों लोगों को आधार से खुशी है तो हाउस की क्या समस्या है? मैं बहुत गंभीरता से इस प्रश्न को उठा रहा हूँ। 68 करोड़ लोग सिमकार्ड खरीदने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। माननीय सदस्य पटेल जी ने एक सवाल उठाया था कि आप बाकी का क्या करेंगे, तो जैसे ही बिल पास होगा, रेग्यूलेशन से हम पासपोर्ट के अलावा बाकी भी मोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे राशन कार्ड इत्यादि। लेकिन बिल पास होगा तो करेंगे। मैं फिर सवाल पूछता हूँ कि लोग प्राइव्सेसी की चिंता कर रहे हैं। अगर देश के गरीब लोग, जिनको गैस मिल रही है, जिनको मनरेगा का पेमेंट मिल रहा है, जिनको पेंशन मिल रही है, उनको अगर कोई परेशानी नहीं है, वे अगर आधार से प्रसन्न हैं कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो इस सदन के कुछ लोगों को क्यों परेशानी है? मुझे यह समझ में नहीं आता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊँ कि कॉमन सर्विस सेन्टर स्कीम भी आप ही ने शुरू की थी। यह आई.टी. विभाग में 80 हजार था, मैं इसे लगभग साढ़े तीन लाख तक ले गया हूँ। आज देश के द्वाइ लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेन्टर्स हैं। यह डिजिटल खिड़की है। वे पेन कार्ड, पासपोर्ट बनाते हैं, टिकट करते हैं और आज कल वे पेंशन भी देते हैं। गांव में आधार के साथ और क्या फायदा हुआ है? पहले मनरेगा की हमारी बहनें और बेटियां अपना पेमेंट लेने के लिए शहर जाया करती थीं, तो एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। अब वे सात दिन काम करती हैं, क्योंकि गांव में ही उनका पेमेंट आधार के साथ हो जाता है। हमारी जो सरकार हाल ही में जीती है, उसके लिए मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था, 2014 में उनका वक्तव्य था कि गरीबों के लिए सरकार है और 2019 की सरकार गरीबों ने बनाई है, क्योंकि इन्होंने जमीन पर बदलाव देखा है। मैं समझता हूँ कि इस बदलाव से कुछ लोगों को परेशानी होती है। वे खुद को सुधारने की कोशिश करें।

हम तो यह चाह रहे थे कि आधार को वे ऑन करते, अब कहा गया कि केस पहले हुआ । हमारे उस पक्ष के मित्र मुझे क्षमा करेंगे

The case was filed before we came to power in 2014. Why was the case filed in the Supreme Court challenging Aadhaar? The first area of challenge was, Aadhaar is being conducted without any legislative sanction. No law is there. That was the first challenge. और मुझे याद है, जब हम मंत्री बने थे तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि देखो इसका क्या उपयोग हो । आज अरुण जेटली जी नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, वे थे, हम लोग थे, बाकी लोग भी थे । सबसे पहले तय किया गया कि इसका कानून लाना है, तो कानून लाया गया, प्राइवैसी की चिंता की । यह बातें हम लोगों के सामने है तो मैं इस सदन को विनम्रता से आश्चस्त करना चाहूंगा ।

The proposed amendment is strictly in compliance with the Supreme Court's order. It is completely voluntary. The voluntary nature of compliance is based upon the consent of the owner of Aadhaar. The private entities are exempted from taking any biometrics, Aadhaar Number, etc. and if they do, they can go to jail and a penalty of Rs.1 crore can also be imposed subsequently.

Therefore, all these safeguards – whereby they are prohibited from violating the regime – have been in place.

सर, कुछ बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं । मनीष जी अभी यहां नहीं हैं ।...(व्यवधान) धन्यवाद ।
...(व्यवधान) आपने अपनी जगह बदल ली । मैं आपको वहां खोज रहा था । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इधर खोजिए, उधर नहीं ।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The second part is the 'right to be forgotten'. I need to compliment the hon. Member for raising a very interesting issue. But I would like to gently remind him that the right to be forgotten is a concept which flows from the data protection laws. Even in the GDPR, the European Union's data protection law, there is such a concept. But we need to also acknowledge that the right to be forgotten is a concept which is still evolving. The norms are still to be concretised globally.

Now, as far as data protection law is concerned, I wish to assure this House, as I have said earlier, that the work is in progress. Justice Srikrishna Committee report has come about. The widest consultation had happened in the country for more than two years. After the report came, we had also put it on website. Now, some more inter-ministerial consultation is going on. The work is in progress. But let me share my general view on the data. I am happy that this issue has been raised. Pinaki Ji has raised this issue. We are very clear that India is fully supportive of data sovereignty of India. India's data sovereignty needs to be respected clearly and categorically.

The second point is this. Let the law come, you will see that. The second point is very important. I am very concerned and keen about it. India - being populated by 1.3 billion people, generating billions of data – must become a centre of data analytic. आज डेटा एनालिसिस और डेटा प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी बात हो सकती है और हमें उस पर विचार करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं और करना चाहिए। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है कि डेटा अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए किसी इलाके में कोई बीमारी आती

है, उस बीमारी का कारण क्या है, उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए। डेटा एनालाइज होना चाहिए। इन सभी विषयों पर विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। As I have said earlier, let me also repeat in this House, there has to be a fine blend....(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): There is no medical information in the Aadhaar.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: That is a separate chapter altogether. Madam, Aadhaar is separate.

What I am simply saying is that data availability, data utility, data innovation, data privacy, all have to be worked together and the law will surely respond to that.

Now, two issues were raised by the hon. Member. You are sitting here. I was looking for you there. The issue raised was about abuse of data by hospitals. ...(*Interruptions*) Take a light banter.

Hon. Speaker, Sir, I wish to tell her that if any hospital denies medical aid or benefit to a patient in the absence of Aadhaar, it is not right and fair. The ecosystem of Aadhaar is very clear. I would urge her that if she has any specific information, make a complaint to the health department concerned there and also bring the matter to my notice. I assure you that we will take appropriate measures.

Lastly, today, Aadhaar is being globally feted.

सर, एक बहुत बड़े अमेरिकन इकोनोमिस्ट हैं – पॉल रोमर, मैं समय की कमी के कारण उनको पढ़ूंगा नहीं। He said: “The Aadhaar platform in India is something to be really followed globally. The way it is saving public money is a matter of great appreciation.”

सर, आपकी अनुमति से सदन के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मैं आज से करीब एक वर्ष पहले कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में भाग लेने बहामास गया था, वहां कई विषयों में डिजिटाइजेशन का भी एक विषय था। बाकी चर्चा हुई, लेकिन अफ्रीका एवं अन्य देशों के मंत्रियों ने कहा कि हमें आधार के बारे में बताइए। हिन्दुस्तान में आधार से जो गुड गवर्नेंस आया है, उससे हम सीख लेना चाहते हैं।

मैं इस हाउस से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि ‘आधार’ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, भारत की प्रशंसा हो रही है, आप भी कुछ प्रशंसा करना सीखिए। श्रीमान् शशि थरूर जी आपकी ही सरकार ने यह शुरू किया था। उसमें आप भी मंत्री थे। हमारा कहना है कि आलोचना करना आपका अधिकार है, विरोध करना आपका अधिकार है लेकिन कुछ मामले पर शायद इस सदन को खड़ा होना चाहिए। ‘आधार’ एक ऐसी उपलब्धि है, which is bipartisan. Yes, it was conceived during the regime of Shri Atal Behari Vajpayee.

Now, why was this Ordinance? यह सवाल अंत में माननीय प्रद्युमन जी ने कही है। हम ऑर्डिनैस क्यों लाए? अब यह बताएं कि करोड़ों लोगों के पास आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल बैंक में लिंकेज के लिए कह दिया और बाकी सर्विस के लिए लॉ लाओ तो क्या हम बाकी लोगों को छोड़ दें? क्या गरीब लोगों को छोड़ दें कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम अपने फोन का सिम नहीं बदल सकते। ऐसी हमारी साधारण जनता, जिनकी संख्या करोड़ों में थी, उनके हित के लिए इमर्जेंसी में इसको ले आए।

सर, पिछली लोक सभा में यह यहां से पास हो गया था, लेकिन उस हाउस में जा कर रुक गया। किन कारणों से वह रुक गया, मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। हमारे मित्र जानते हैं कि किन कारणों से रुका। संविधान का यह प्रावधान है कि अगर एक हाउस के टेन्योर में पास नहीं हुआ तो इसको दोबारा लाना पड़ता है। इसलिए हम यहां पर लाएं हैं। मैं इस सदन में बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, that it is a wholesome amendment in compliance with the Supreme Court order. It makes Aadhaar voluntary with proper safeguards. I would urge the House कि कृपया करके देश के आम आदमी पर ट्रस्ट करें। देश का आम आदमी समझता है। अगर कोई भी आम आदमी मुझसे शिकायत करे कि मुझे 'आधार' के कारण परेशानी हो रही है तो मैं उसकी जरूर चिंता करूंगा। आज तक, मैं पांच साल से आई.टी. मंत्री था। 'आधार' मेरे अंतर्गत है। मुझसे एक आम हिन्दुस्तानी आदमी ने शिकायत नहीं की है कि 'आधार' से हमको परेशानी है। 'आधार' से हमको फायदा हो रहा है। मैं कहूंगा कि आप भी यहां करें। मैं इन कारणों से बहुत विनम्रता से हाउस से अपील करूंगा कि कृपया इस संशोधन को पूरा पास करें। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am entitled to the right of reply. Please give me a little protection.

First of all, I would like to say that you have exhausted all your resources to appropriate the credit of Aadhaar. आपने हमारे सारे बयान सुने हैं। आपको ऐसा लगा कि हम 'आधार' से प्रसन्न नहीं हैं। आपने कैसे यह हाउस में कह दिया कि शायद हम लोग खुश नहीं हैं। इसलिए विरोध करते हैं।...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप समर्थन कर दीजिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम लोगों ने हिन्दुस्तान में सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स पायलट प्रोजेक्ट की हैसियत से शुरू किया था। Aadhaar is the brainchild of the UPA

Government. Secondly, earlier you said that we should not reduce Parliament to an Adalat. आप पहले भी कह चुके थे और आज भी इसका जिक्र किया। हमारी अदालत रहेगी। आपने कई विषयों पर अदालत का जिक्र किया। इसका मतलब है कि all legislations are destined to be scrutinized by our judiciary. हम पार्लियामेंट को जरूरत मानते हैं। पार्लियामेंटी सुप्रीमैसी, हमारे स्वीकार में नहीं होगा। हिन्दुस्तान का संविधान पार्लियामेंटी सुप्रीमैसी को नहीं मानता। आपकी बात से ऐसी बू आ रही है कि आप बार-बार यह कहते हैं कि यह अदालत में न बदल दिया जाए। हम लोगों ने अदालत में नहीं बदला है। आप आधार के बारे में सारी सराहना खुद को लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं कहती है। मैं दो मुद्दे उठाऊंगा। Until a Government notification is issued, authentication can be done only through Aadhaar number and passport. However, if an individual does not have a passport, the only verification method will be through Aadhaar number. Therefore, it may be asked whether this will result in Aadhaar number becoming mandatory for authentication. यह क्वैश्चन आ रहा है कि Whether Aadhar number will become mandatory for authentication or not. नोटीफिकेशन नहीं हुआ है।

The Bill defines biometric information to include photograph, finger prints and iris scans. Further, it empowers UIDAI authority to specify other biological information that may be collected. Therefore, UIDAI can prescribe other categories of biometric information. The question is whether these types of biometric information which may be collected should be prescribed by Parliament, or whether it should be left to regulation notified by UIDAI.

महोदय, आपको यह फंडामेंटल क्वेश्चन जरूर मानना पड़ेगा। आप बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं, हम नहीं कहते हैं। हम सभी 'आधार' से प्रसन्न हैं। हम सब चाहते हैं कि 'आधार' चुस्त हो, दुरुस्त हो, फ्लॉलेस हो और इसमें कोई लूपहोल न रहे, इसलिए हमारे पक्ष की तरफ से आपको बार-बार सचेत किया जा रहा है। हमारे पक्ष की तरफ से आपको वार्निंग के तहत सचेत किया जा रहा है। आप बार-बार स्कूटनी के जरिए इसमें सुधार ला रहे हैं। हम पहले भी कह चुके थे कि इतना बड़ा मुद्दा है, इसे आप स्टैंडिंग कमेटी में ले जा सकते हैं। आपने पहले भी कहा, आज भी डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए कहा है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल कब आएगा? कभी आप कहते हैं कि डेटा ऑयल है। प्रधान मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि डेटा गैस है। ऑयल हो या गैस हो, लेकिन जो भी हो, सबके सामने लाना चाहिए। आप बात नहीं सुनते, इसलिए मैं अपना रेजोलूशन मूव करता हूँ।

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Speaker, Sir, I have a specific query. I would like to draw the attention of the hon. Minister to Section 57 of the Aadhaar Act. Insofar as it allows the sharing of Aadhaar data with private entities is concerned, it was struck down by the Supreme Court. Now, you have, through an amendment to the Telegraph Act and the Prevention of Money Laundering Act, allowed the sharing of the data on a voluntary basis. My specific question is this. Does the Supreme Court judgement permit sharing of that data even on a voluntary basis with a private entity? Or, are you, in this amendment Bill, going beyond the Supreme Court judgement? That is my specific question to the hon. Minister.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, Sir, I will reply in brief. I stated that you started it. On the floor of the House, in course of my reply, I said that your Government concretised it, the late Atal Bihari Vajpayee thought about it. This I will surely say that the people thought that the Narendra Modi Government will better implement it. Therefore, we have come to power. Be very clear about it.

On the second part, I again say that it is voluntary. As to what Shri Manish Tewari ji said, I would request him to go through the judgement once again. The circular under the Telegraph Act and the rules of Money Laundering Act were debated before the Supreme Court and the Supreme Court said that you cannot do it by a circular or by a rule. It has to be done by a law. Therefore, there is a separate amendment.

Sir, as regards the amendment to clause 4 and 5, I said that there are three injunctions, which are very clear for an entity also. Firstly, it has to be on a voluntary basis. Secondly, it must be for an objective backed by a law of Parliament. Thirdly, otherwise it must be for a clearly stated State objective, which is what the Supreme Court has said, subject to the authority confirming it, the requirement of privacy and security. All these proper safeguards are there in place. For the other provisions, as I said, the Srikrishna Committee has said, the authority should be reinforced and all other things are there.

Sir, I would like urge upon this House देश के लोग करोड़ों की संख्या में 'आधार' के साथ चल पड़े हैं। मैं हाउस से भी आग्रह करूंगा कि वे भी साथ चल पड़ें और इस संशोधन को पारित करें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

माननीय अध्यक्ष : किस नियम के तहत आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, नियम 368 भारत के संविधान के तहत है। अभी इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में बात मत कीजिए। आप चेयर को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

डॉ निशिकांत दुबे : महोदय, नियम 368 का प्वाइंट-V यह कहता है कि

“For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provision of this Constitution under this article.”...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

Clause 2 Amendment of Section 2

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

“Page 2, line 10,--
after “individual”
insert “after ensuring the protection of right to privacy”. (1)

Page 2, line 11,--
after “sub-section (4) of that section”
insert “,without infringing the right to privacy”. (2)

Page 2, line 15,--
after “entities”
insert “connected to Aadhaar system and bound to protect the
right to privacy”. (3)

Page 2, line 26,--
after “such offline modes”
insert “,without affecting the right to privacy,.” (4)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Amendment made:

Page 2, for lines 6 and 7,--
substitute ‘2. In the long title of the Aadhaar
(Targeted Delivery of Financial and
other Subsidies, Benefits and Services)
Act, 2016 (hereafter in this Part
referred to as the principal Act), after

the words “the Consolidated Fund of India”, the words “or the Consolidated Fund of the State” shall be inserted.’.

(35)

(Shri Ravi Shankar Prasad)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 2 यथासंशोधित विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 यथासंशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 36* to the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 36* to the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

* Vide Amendments list No. 5 circulated on 4.7.2018.

New Clause 2A

Amendment made:

Page 2, *after* line 7,-

insert “**2A.** In section 2 of the principal Act, --”. (36)

(Shri Ravi Shankar Prasad)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि नया खण्ड 2A विधेयक में जोड़ दिया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 2A विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3

Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप अपना अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving Amendment No.

5 to clause 3.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5**Amendment of Section 4**

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, in this case, the hon. Minister has read out, – “informed consent”. So, my amendment is that it should be “informed written consent”. It will be safer. Kindly accept that amendment.

I beg to move:

Page 3, line 14,--
for “informed”
substitute “written”. (8)

Page 3, line 15,--
for “authentication”
insert “by protecting the right to privacy”. (9)

Page 3, line 32,--
after “place”
insert “only”. (10)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, if anyone cannot write, that means he cannot give....(*Interruptions*) Therefore, we have taken good care of that....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 से 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन 8 से 10 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI ASADUDDIN OWASI (HYDERABAD): I beg to move:

Page 3, lines 10 and 11,--

Omit “ or in such other form as may be notified, in such manner as may be specified by regulations”. (14)

Page 3, line14,--

For “the informed consent”
substitute “the free, prior and informed consent”. (15)

Page 3, for lines 15 to 32,--

Substitute “(4) The Authority shall not allow any authentication to be performed if it is found that the requesting entity:

- (a) has been registered or has conducted operations for less than seven years as on the date on which such request is made; or
 - (b) employs or has itself contracted with any personnel who were, or any entity that was, previously penalised or sentenced to imprisonment for more than three years or has paid a fine of more than 5000 rupees to a competent authority under law; or
 - (c) employs or contracts with personnel who have previously been found to conduct themselves in a manner that could result in a breach of privacy of any person; or
 - (d) possesses a record of having dealt with private information of individuals in a manner that is likely to endanger their privacy; or
 - (e) is subject to pending criminal or regulatory action for non-compliance with, or violation of any, law in force; or
 - (f) is subject to complaints with respect to non-compliance with extant standards of data security and privacy.
- (5) No entity shall be allowed to perform authentication unless –

- (a) The Authority is satisfied that the requesting entity is compliant with any standards of privacy and security specified under the law;
 - (b) The Authority is satisfied that the requesting entity is permitted to offer authentication services by or under any law for the time being in force;
 - (c) The Authority provides reasons in writing as to why such authentication is being permitted to perform;
 - (d) The Authority issues a notice, at least 14 days prior to the performing of authentication, seeking any objections from the public if any; and
 - (e) The Authority has received an undertaking from the requesting entity, explaining the specific need to require Aadhaar number for authentication and elaborating why no alternative mode of authentication was considered by the requesting entity.
- (6) The Central Government shall, by rules, determine whether requesting entity shall be permitted the use of the actual Aadhaar number during authentication or only an alternative virtual identity.
- (7) Every requesting entity to whom an authentication request is made under sub-section (3) shall, for the purposes of identification, at the first instance offer to undertake identification through any valid identification document issued by or under any law for the time being in force.
- (8) No person shall be denied any service solely for refusing to, or being unable to, under authentication: -

Provided that, for the purposes of this action, "free, prior and informed consent" is obtained only when all material information has been provided in an unambiguous and legible manner." (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 से 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन 14 से 16 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am just going in the same direction as the Minister's assurance that the service is not to be made compulsory by private providers. So, it is very much in the same direction as the Minister's Statement. But I will move amendment no. 33 and 34 because private service providers getting Aadhaar is unconstitutional. So, just remove the word 'private' and say 'any Government service', and it is done. Thank you.

I beg to move:

Page 3, lines 31,--

for "any service"

substitute "any government service". (33)

Page 3, *after* line 32, --

insert "Provided that nothing in this section shall provide for mandatory authentication of an Aadhaar number holder for the provision of any private service or service provided by a private entity". (34)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन 33 और 34 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)**SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:** Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 37* to the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 37* to the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

The motion was adopted

* Vide Amendments list No. 5 circulated on 4.7.2018.

- (i) खंड (क) में, “सहमति अभिप्राप्त करेगा” शब्दों के पश्चात् “और बालक के मामले में, व्यस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही उसकी सहमति अभिप्राप्त करेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
परंतु यह कि अनुरोधकर्ता अस्तित्व वृद्धावस्था के कारण या अन्यथा रोग, क्षति, अक्षमता अथवा निःशक्तता के कारण अथवा अन्यथा या किन्हीं तकनीकी या अन्य कारणों से अधिप्रमाणन में असफलता के मामले में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक या व्यवहार्य साधन प्रदान करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अवधारित किया जाए” (17)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन 17 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7

Insertion of New Section 8A

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving amendments No. 11, 12, and 13 in which there are two amendments – “the written consent” as well as “without infringing the right to privacy”.

I beg to move:

Page 4, line 4,--
after “of this section”
insert “without infringing the right to privacy”. (11)

Page 4, line 6,--
for “the consent”
substitute “the written consent”. (12)

Page 4, line 11,--
after “verification”
insert “without infringing the right to privacy”. (13)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन 11 से 13 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अगर सभा की सहमति हो तो इस विषय की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय विधेयक पास होने तक बढ़ाया जाता है।

Clause 9 *Insertion of new section 23A*

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप अमेण्डमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, this amendment is very important because unless and until there is a public debate on what the Authority is going to decide, it will be a one-sided decision; this will be against the principle of natural justice. So, I move my amendment.

I beg to move:

Page 4, *after* line 30,--

insert "(3) The Authority, prior to issuing directions under sub-section (1) of this section, shall—

1. seek approval for the draft directions from the Central Government in a form prescribed by the Central Government;
2. place the drafts of such directions in the public domain for at least fifteen days prior to their notification; and
3. provide sufficient opportunity to be heard to any person who may be impacted by the direction." (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप अमेण्डमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, my amendment is a small amendment. Regarding intentional disclosure, in the original Act there is no

amendment to the penalty set on such disclosure, but still there is a fine of Rs.10,000 only or imprisonment up to three years. So, I move my amendment.

Sir, I beg to move:

Page 4, *after* line 39,--

Insert "(3) Where the Authority fails to discharge its functions under this Act or fails to issue directions at appropriate time, the officers of the Authority responsible for such failure shall be punished with a fine which may extend to fifty thousand rupees." (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 9 विधेयक का अंग बने”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 Amendment of Section 29

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप अमेण्डमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am not moving amendment nos. 29 and 30.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने” ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 11 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 12 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 Insertion of New Chapter VIA

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप अमेण्डमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I move amendment nos. 19 and 20.

I beg to move:

Page 6, *omit* lines 6 to 20,-- (19)

Page 7, *for* lines 5 to 11,--

Substitute “(2) Every appeal under this section shall be preferred within a period of forty-five days from the date of the decision or order appealed against:--

Provided that the Supreme Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of forty-five days if it is satisfied that a substantial question of law requires its decision.”. (20)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 और 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 13 विधेयक का अंग बने”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 और 15 को विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 16 Substitution of new section for section 40

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप अमेण्डमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, these amendments urge the Government for substitution of the term from three years to five years and suggesting fifty thousand rupees instead of ten thousand rupees. So, I move my amendment nos. 31 and 32.

I beg to move:

Page 7, line 28,--

for “three years”

substitute “five years”.

(31)

Page 7, line 29,--

for “ten thousand rupees”

substitute “fifty thousand rupees”.

(32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 और 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 16 विधेयक का अंग बने”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 24 Amendment of Section 4 of Act 13 of 1885

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप अमेण्डमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, it is very important to control private companies from not misusing and exploiting this data. That is why, I move these amendments.

I beg to move:

Page 8, for lines 41 to 43,--

substitute “(3) Any person who is granted a license under the first proviso to sub-section (1), shall identify any person to whom it provides its services by—”. (21)

Page 9, for lines 6 to 15,--

substitute “(d) use of any other modes of identification that are valid by or under any law for the time being in force.
(4) No person who is granted a license under the first proviso to sub-section (1), shall use authentication under clause (a) of sub-section (3), unless he has first attempted

identification through modes of identification under clauses (b) to (d) of sub-section (3).

(5) The use of modes of identification under sub-section (3) shall be a voluntary choice and no person shall be denied any service for not having an Aadhaar number.”. (22)

Page 9, for lines 19 to 122,--

substitute “(7) The Central Government shall, from time to time, prescribe such rules as may be necessary to further strengthen protections and safeguards under this section.”. (23)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 24 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 से 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

“कि खंड 24 विधेयक का अंग बने”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 25

Insertion of new section 11A

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप अमेंडेमेंट मूव कर रहे हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Yes, I am moving my Amendments.

I beg to move:

“Page 9, lines 35 and 36,--

omit “if the reporting entity is a banking company”. (24)

Page 9, lines 40 and 41,--

for “as may be notified by the Central Government in this behalf”.

substitute “by or under any law for the time being in force”. (25)

Page 9, *for* lines 42 to 46,--

substitute “(2) No reporting entity shall use authentication under clause (a) of sub-section (1) to identify any person to whom it provides its services, unless the reporting entity has, at the first instance, attempted to undertake identification through all other modes of identification under clauses (b) to (d) of sub-section (1).

(3) The use of modes of identification under sub-section (1) shall be a voluntary choice of the person who is sought to be identified and no person shall be denied any service for not having an Aadhaar number.

(4) If, for identification of a person, authentication under clause (a) of sub-section (1) is used, neither his core biometric information nor the Aadhaar number of the person shall be stored.

(5) The Central Government, shall, from time to time, prescribe such rules as may be necessary to further strengthen protections and safeguards under this section.”. (26)

Page 10, *omit* lines 1 to 21.” (27)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खण्ड 25 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 से 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन 24 से 27 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।”

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Hon. Speaker Sir, I am coming to the third reading of the Bill. It has its impact and consequences while the Bill is passed. So, I am not taking much time. The impact is very massive. So, I would like to seek an assurance from the hon. Minister, whether the Minister will bring the Data Protection Bill at the earliest so as to protect the interest of the people, so as to protect Right to Privacy.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The interests of the people of India are very much protected by the Aadhaar Act, which is already working very well. People are very happy and as regards the data protection, I have already said that the work is in progress and surely we will come up.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 05 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Friday, July 05, 2019/ Aashadha 14, 1941 (Saka)
